(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्ठम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का 13वां दिवस [संख्या 8

शनिवार

6 अक्टूबर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री बालकृष्ण थानवी, सदस्य विधान सभा की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सांभर साल्ट लिमिटेड को अनुदान स्वरूप प्राप्त आयोडाइज्ड प्लांट, जो कि फलौदी में लगा हुआ है, सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर लगाना चाहती है, इस विषय में।

2. सर्वश्री गुल मोहम्मद, रामकृष्णदास गुप्ता, नवनीत पालीवाल, मन्जूर अली व नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से भूतपूर्व उदयपुर महाराणा द्वारा उदयपुर के प्रसिद्ध जग मन्दिर पर अवैध कब्जा करके होटल बनाने के प्रयत्न के विषय में।

3. श्री हरचन्द सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ तहसील के कुछ गांवों की कीमती कृषि भूमि छावनी हेतु अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

4. सर्वश्री माधवसिंह दीवान, सूरजपाल सिंह, खंगारसिंह चौधरी व रामसिंह विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल द्वारा किसानों से रिश्वत लेकर फ्लेट रेट मन्जूर करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

②

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री नरपतराम बरवड़, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम रथकुडिया, तहसील बिलाड़ा में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ किए गए बलात्कार के विषय में।

6. श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नगरपालिका फेडरेशन की 33 सूत्री मांगों को लेकर किये जा रहे आंदोलन के विषय में।

7. श्री गोपालसिंह (खण्डेला), सदस्य विधान सभा की ओर से कस्बा खण्डेला के हरिजन मोहल्लों में बांध के रिसाव का पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

8. श्री रणजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 29 व 30 सितम्बर को ग्राम बावड़ी के उप सरपंच व अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र सूरजराम रेगर की लाठियों से मारपीट करने की घटना के विषय में।

9. श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से रानीवाड़ा आइडियल दुग्ध डेयरी में घोटाले एवं कर्मचारियों तथा पशुपालकों को बकाया रकम का भुगतान करने के विषय में।

10. श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से बाटलीबॉय कम्पनी द्वारा कुओं पर लगाई गई डीजल मशीनों की मनमानी कीमत वसूल करने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माननीय श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, डीजल और सीमेण्ट के बारे में।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अध्यक्ष महोदय। मैं इसके ऊपर दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको व्यवस्था में नहीं लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था में क्यों नहीं लिया है ? सरकार अभी तक कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दे पायी है। डीजल की कमी से रबी की बुवाई में असर पड़ेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे आप समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार हो चुका है ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) : इस विषय पर सरकार की तरफ से 8 तारीख को वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री अब्दुल अजीज (मकरान) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, ग्राम रोल में तीन व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में । एक बजे से पहले मैंने दे दिया था । मुझे खेद है असेम्बली सेक्रेटेरियट में सबमें पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसको जानबूझ कर अवाइड किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले भी इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है ।

श्री अब्दुल अजीज : पहले इस पर चर्चा नहीं हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है । इस तरह के अहम् मसलों पर अगर आप चर्चा करने की इजाजत नहीं देंगे तो न्याय की दृष्टि से हर मामला चौपट हो जाएगा । अगर सरकार इस बारे में आपको प्रभावित करने के लिए कोई संकेत करती है तो मैं आज वाक-आउट करूंगा ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये धमकी दे रहे हैं वाक-आउट करने की····

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसे मसलों को नहीं लेंगे तो यह····

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की थी । मैं समझता हूं यह एक अहमियत का मसला है, सरकार को तुरन्त कोई उत्तर देना चाहिए । आपका अधिकार है एडमिट करने का या नहीं करने का लेकिन मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता कि यह एक महत्वपूर्ण और अहम् चर्चा का विषय है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री माथुर ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय की अहमियत को महसूस करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते कि इसके बारे में चर्चा करने से कोई तनाव की स्थिति हो या और कोई बात हो। इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं है। मगर साथ ही इस बात को भी नहीं भूल सकते कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, खास तौर से जो मेला वहां भरता है, मदार साहब का चिल्ला बहुत बड़ी चाज है और मुस्लिम वर्ल्ड के लोग उसको देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं, अब की बार ग्राउण्ड शिफ्ट होने से मेला नहीं भरेगा। अगर सरकार यह समझती है कि सदन में इसकी चर्चा करने से तनाव पैदा होने का खतरा हो सकता है तो मुख्य मन्त्री जी कोई रास्ता निकालें और माननीय सदस्य से और हमसे बैठ कर बातचीत कर लें। जो सदियों से मेला भरता आ रहा है वह नहीं भरे और पुलिस एक्शन जैसी कोई कार्यवाही हो, यह ठीक नहीं होगा। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। इस मेले की बड़ी अहमियत है, इसलिए इस समस्या को मिल बैठ कर हल किया जाय। राज्य सरकार के मन्त्री भी वहां गए थे, जो फैसला हुआ वह अभी तक लागू नहीं हुआ। इसकी अहमियत को समझते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, हम और मुख्य मन्त्री जी बैठ कर बात कर लें और कोई रास्ता निकालें। मेला नहीं भरेगा तो राजस्थान सरकार की बदनामी होगी और हमको भी बड़ा दर्द होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अहमियत का मसला है, इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : रोल में जिस प्रकार साम्प्रदायिक स्थिति बनी उससे तो इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य परिचित हैं। सरकार ने इस संबंध में जो कार्यवाही की वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। मेरा विश्वास है कि तत्काल कार्यवाही करने के कारण जो विषम स्थिति हो सकती थी वह नहीं हो पाई। मकराना व डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, मैं समझता हूं इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग चाहें तो मैं और गृह मन्त्री आपके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार यह समस्या, जो शेष रही हो, का समाधान किया जा सकता है। हम इसके लिए तैयार हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। यहां चर्चा करने से किसी वर्ग को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अलबत्ता उत्तेजना पैदा हो सकती है। इसलिए आपके पास किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी है तो आज, कल, परसों जब भी आपको सुविधा हो, हम बैठ कर बात करने को तैयार हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। कल जैसा....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कक्ष में पधारें। आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है मुझे समझायें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हजारों भूमिहीन किसान उजाड़े जा रहे हैं। हम सदन में बैठ कर बात करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे अनुरोध किया है, कृपया कक्ष में····

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोक महत्व के प्रश्न को अगर इस तरह से टाला जायेगा ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह अस्पष्ट है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर कक्ष में मुझसे मिलेंगे और लेने लायक होगा तो 8 तारीख के लिए मैं रख दूंगा। किसी तरह से मेरा टालने का विचार नहीं है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मैं आगे की कार्यवाही शुरू करना चाहता हूं। आप कक्ष में आकर मिलें। 8 तारीख को अभी असेम्बली है मेरी समझ में आयेगा तो उस दिन लिया जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 8 तारीख को मैं नहीं रहूंगा। कल जैसा मुख्य मंत्री ने कहा, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्नों को ही सदन में लेना चाहिये ···

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूं। अस्पष्ट होने की वजह से मैंने अस्वीकार किया है। आप कक्ष में मिलें। जरूरी होगा तो 8 तारीख को आपको बता दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इधर नहीं रहूंगा। मैं चाहता था कि यह हजारों किसानों का सवाल है, मुझे बाद में समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : लोक महत्व का प्रश्न है यदि वह सदन में नहीं आयगा तो क्या फायदा। परसों रख दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : परसों इसका इतना महत्व नहीं रहेगा जितना आज है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण थानवी। दो मिनट में।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी दूर करने के लिए एकमात्र जो नमक उद्योग फलौदी में है उससे वहां की जनता को राहत मिली है। 20 हजार मजदूर नमक क्षेत्र में काम करते हैं एवं 600 उत्पादक भी इससे लाभान्वित हुए हैं। 1976 में सांभर साल्ट लिमिटेड ने स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी क्वालिटी का नमक निर्यात करने हेतु फलौदी में आयोडाइज्ड प्लांट लगाया है जिसमें नमक का निर्माण किया जाता है। सांभर में पहले से ही कई प्लांट लगे हुए हैं मगर वहां नमक उत्पादन इतना नहीं है जिससे कि उन प्लांट्स की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इसके मुकाबले फलौदी में जो प्लांट लगा है, वह बहुत कारगर साबित हुआ है। वहां पहले सालाना 2॥ लाख टन नमक का उत्पादन होता था, प्लांट लगने के बाद में बढ़ कर 4 लाख हो गया है। फलस्वरूप कई नये लोगों को मजदूरी मिली, बेरोजगारी हटी और आगे भी बेरोजगारी हटने की गुंजाइश है। अब

(6)

(श्री बालकृष्ण थानवी)

मालूम हुआ है कि सांभर साल्ट लिमिटेड फलौदी से उक्त प्लांट को हटाना चाहता है। इसलिए उद्योग मन्त्री जी से प्रार्थना है कि फलौदी तहसील की डेढ़ लाख जनता के हित के लिए, 20 हजार मजदूर जो नमक उत्पादन का काम करते हैं उनके भले के लिए, और आगे और नये लोगों को रोजगार मिल सके, उस दृष्टि से आयोडाइज्ड प्लांट वहीं रहने दिया जाए, वहां से हटवाया नहीं जाय।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): कल तय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुल मोहम्मद।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसके संबंध में उनको, माननीय माथुर साहब और माननीय किशन सिंह भाटी को व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर चुका हूं। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को इस बात के लिए तुरन्त आग्रह किया है कि उस प्लांट को वहां से नहीं हटाया जाए। इस सम्बन्ध में जो सांभर साल्ट में राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको भी विशेष रूप से यह निर्देश दिए गये हैं कि उस प्लांट को वहां से हटाने का सख्त विरोध करें। मैं केन्द्रीय उद्योग मन्त्री से भी वार्ता कर रहा हूं। उनको मैंने अपनी तरफ से तार और चिट्ठी भेजी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : जो केन्द्र द्वारा कदम उठाया गया है, उसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस सब की जानकारी प्राप्त की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री गुल मोहम्मद, रामकृष्णदास गुप्ता, नवनीत पालीवाल, मन्जूर अली व नूरा, इन पांच माननीय सदस्यों में से कोई भी सदस्य बोलना चाहें तो बोल लें। एक ही सदस्य बोलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले उदयपुर के राजघराने के प्रति पूर्ण आदर प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने आजादी की लड़ाई से पहले और बाद में अभूतपूर्व त्याग का परिचय दिया। आज मैं जो मसला उठा रहा हूं वह इतना गम्भीर है कि राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। उदयपुर राजस्थान का दूसरा काश्मीर है। वहां पिचोला लेक में जग मन्दिर की एक इमारत है जो अपनी वास्तु कला और शिल्पकारी के लिए ··

श्री अध्यक्ष दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : प्रसिद्ध है। उसका इतिहास भी उतना ही गौरवपूर्ण है। आज भी जग मन्दिर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। आज भी उस

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मन्दिर में मुस्लिम संत औलिया साहब की दरगाह है जिसमें हिंदू-मुस्लिम दोनों समय-समय पर शीश नवाते हैं। यह मन्दिर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वहां आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में भी हिन्दू-मुस्लिम शीश नवाते हैं। ऐसे मन्दिर की भव्य इमारत को महाराणा भूपालसिंह जी ने पुरातत्व विभाग को दे दिया था। हमारी सरकार ने इस मानूमेंट को प्रोटेक्टेड मानूमेंट करार दे दिया। किसने इसको बनाया इसके इतिहास में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि मुगल-शहंशाह शाहजहां ने शरण पाई, वहां के महाराणा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने शरण पाई ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शहजादा खुर्रम जहांगीर का लड़का। जहांगीर व नूरजहां ने उसको हटाया तब वहां जाकर वह टिका। राजा करणसिंह ने इसको बनाया या खुर्रम ने बनाया, इसमें न जाकर इतना ही कहना काफी है कि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वह इमारत हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसको महाराणा भूपालसिंह जी ने भी पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। हमारी राजस्थान सरकार ने भी इसको प्रोटेक्टेड मानूमेंट घोषित किया हुआ है लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ही वहां के वर्तमान राजघराने को इसमें होटल खोलने की स्वीकृति प्रदान करने जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं।

तो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है ? रामबाग पैलेस की स्थिति और हो सकती है और जग मन्दिर की स्थिति और हो सकती है। अगर रामबाग, जयपुर को भी हिस्टोरीकल इम्पोर्टेन्स का पैलेस मानते हैं, अगर शिल्प और वास्तु कला का इसको नमूना मानते हैं तो जग मन्दिर से इस रामबाग की स्थिति भिन्न है। यदि इसको भी हिस्टोरीकल इम्पार्टेन्स का मानते हैं तो इसमें मुझे एतराज नहीं है मगर जग मन्दिर, जो कि उदयपुर में है और जो कि भारत के दूसरे कश्मीर में भव्य इमारत है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों अपना शीश नवाते हैं, में होटल का निर्माण करने से निश्चित रूप से लाखों और हजारों हिन्दू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। यह एक ऐसा कार्य है जो कि उदयपुर स्टेट में नहीं हुआ। महाराणा भूपालसिंह जी ने इसको इस लायक माना कि पुरातत्व विभाग को सौंपा। हमारी राजस्थान सरकार न मालूम किन कारणों से, किन प्रभावों से और किन कन्सीडरेशन से उसको होटल बनाने जा रही है, होटल बनाने की स्वीकृति दे रही है।

अगर वहां होटल की आवश्यकता है तो वहां एक नया होटल भी बनाया जा सकता है, इसमें हमें आपत्ति नहीं है परन्तु

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

राजस्थान हिस्टोरीकल इम्पार्टेन्स की इमारत को कायम रखने, ऐतिहासिक यादगार को कायम रखने, हिन्दू-मुस्लिम एकता को कायम रखने और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। इसलिए मैं सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिये राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इस बात की घोषणा करे कि वहां होटल नहीं बनने दिया जायेगा और आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्ट को सौंपा जायेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर····

श्री अध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह जी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं केवल एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन है···

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन : चाहे गुलमोहम्मद जी के बाद ही समय दें लेकिन एक मिनट का समय दें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां पला हूं, वहां बीस साल रहा हूं, इसलिए एक मिनट जरूर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरचन्द सिंह जी।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, काफी महत्वपूर्ण मामला है। मुझे एक मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय रामकृष्णदास जी गुप्ता ने काफी प्रकाश डाल दिया है।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, कुछ तथ्य रह गये हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने की इजाजत दें··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करता हूं। मुझे दो मिनट दें। यह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि कई स्थगन प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। मैं यह व्यवस्था रखना चाहता हूं कि चाहे दस माननीय सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें किन्तु एक ही माननीय सदस्य उस पर बोल सकें तो सदन की कार्यवाही चलाने में हमें आसानी होगी। कृपया मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं····

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है···

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बोल लें।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामकृष्णदास गुप्ता ने जो कहा है कि राजस्थान सरकार ने इस भवन और सारे कैम्पस में होटल बनाने की इजाजत दी है यह गलत है।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : आप राज्य सरकार की ओर से बोल रहे हैं? अगर मेरी बात गलत है तो सरकार खण्डन करेगी।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप अपनी इनफार्मेशन दे चुके हैं।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को उदयपुर से चुनाव लड़ाने हेतु महाराणा उदयपुर को खुश करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है यह महल बहुत प्राचीन बना हुआ है। जब आगरा का ताजमहल भी नहीं बना था उस समय से पहले का जग मन्दिर बना हुआ है। शाहजहां खुर्रम ने जब बगावत की थी तो बगावत करके इसी महल में आकर शरण ली थी। इसका इतिहास गवाह है····

श्री अध्यक्ष : कोई नये तथ्य हों तो रखें।

श्री गुल मोहम्मद : वहां मदार साहब की दरगाह है जो कि शाहजहां खुर्रम ने संत मदार की मिन्नत करके बनवाई थी। अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह की दरगाह के ऊपर की पहाड़ी पर मदार साहब का चिल्ला है उसी की दरगाह (मजार) जग मन्दिर के अन्दर है। ऐसे दर्शनीय स्थान पर और ऐसी जगह पर अब आम आदमी को नहीं जाने दिया जाता है और आने जाने की रोक टोक है भूतपूर्व महाराणा के समय यह हिन्दू-मुस्लिम भाइयों के

(19)

(श्री गुल मोहम्मद)

लिए हमेशा खुला रखा जाता। था वे लोग वहां चादर चढ़ाते थे। यह हिन्दुस्तान में एक ऐसा स्थान है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीत है। भूतपूर्व महाराणा ने इसे पुरातत्व विभाग को सौंप रखा था। नगर परिषद्, जिसकी स्थापना सन् 57 के बाद हुई है, के द्वारा दर्शनार्थियों को वहां ले जाने के लिए नावें व स्टीमर लगाये गये थे। वहां पर रोक नहीं लगाई गई थी। हमारे राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री निरंजन नाथ जी आचार्य थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी थी अपने अध्यक्ष पद से, तमाम यात्रियों के लिए स्थल को देखने की व्यवस्था की थी। यह यात्रियों के दर्शनों के लिए खोला था लेकिन आज स्थिति विपरीत है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता है। वहां एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा लगता है वह भवन मुख्य मन्त्री जी ने भूतपूर्व महाराजा को बख्शीश किया है। अगर मुख्य मन्त्री महोदय यह कहें कि वह होटल महल में नहीं बनाया जा रहा है और वह एग्रीकल्चर लैण्ड पर बनाया जा रहा है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह विधान सभा भवन बना हुआ है, इसके सामने कोई दूसरी बिल्डिंग बनाई जायेगी तो इसका स्वरूप बिगड़ जायेगा। आज विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो शाहजहां खुर्रम ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, जो आगरा में बना हुआ है, उस ताजमहल के दालान में कोई नयी बिल्डिंग का निर्माण करा दिया जायेगा तो ताजमहल अपना अस्तित्व खो देगा, उसका स्वरूप बिगड़ जायेगा। इसी प्रकार से यह बहुत पुराना जग मन्दिर है इसके अस्तित्व को बचाने के लिए इसे पुरातत्व विभाग को देवें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसकी फाइल में लिखा है, "अगर जग मन्दिर को पुरातत्व विभाग के अधीन घोषित किया जाये तो रामबाग को क्यों नहीं।" आपने आर्डर में लिखा है, इसलिए इसको पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं दिया जाये। इस प्रकार के आर्डर्स फाइल पर मौजूद हैं यह हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। इसमें जाहिर होता है कि मुख्य मन्त्री जी वहां होटल बनाने के इच्छुक हैं या महाराजा को जनता पार्टी को सहयोग देने के कारण यह बख्शीश में दिया जा रहा है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर। यह फाइल कहां से और किस के द्वारा चोरी होकर इनके पास आ गयी? पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि फाइल कहां से आई?

श्री गुल मोहम्मद : यह जग मन्दिर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

यह दरगाह ऐसी है जहां चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हों, सभी चादर चढ़ाते हैं। हिन्दू भाई कपूर जलाते हैं। कई इसे कपूर बाबा की दरगाह भी कहते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, इस प्रकार आपको धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं

(श्री गुल मोहमम्द)

है। वहां होटल बनने से तुरन्त रोकें और दरगाह व जग मन्दिर को दर्शनार्थियों के लिए खोले जाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

माननीय श्री हरचन्द सिंह जो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। वर्मा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसी के संबंधित कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं, कारण यह है कि मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है। चाहे एक ही स्थगन प्रस्ताव पर पांच माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हों लेकिन उस स्थगन प्रस्ताव पर एक ही सदस्य बोल सकेगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले ही इस स्थगन प्रस्ताव पर गुल मोहमम्द जी प्रकाश डाल चुके हैं और रामकृष्णदास जी गुप्ता ने भी इस संबंध में कहा है इसलिये, माननीय सदस्य, आप विराजिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर जिले का है, मैं उदयपुर जिले का रहने वाला हूं, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय पालीवाल जी, मुझे सहयोग दे।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप चार दिन से मेरा कोई भी स्थगन प्रस्ताव नहीं आ रहा है। मुझे आप सिर्फ एक मिनट का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करे। कृपया सहयोग दें, माननीय सदस्य। मैं भी पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस प्रस्ताव पर सदन में दो माननीय सदस्य पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी व्यवस्था

(12)

(श्री अध्यक्ष)

दी हुई है। एक ही स्थगन प्रस्ताव पर एक ही माननीय सदस्य बोलेगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी(मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि स्थगन प्रस्ताव पर एक ही व्यक्ति बोल सकेंगे तो बाद में यह क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरचन्द सिंह जी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। आपने एक मिनट नहीं दिया और उस एक मिनट के बचाने के लिये यहां दस मिनट समाप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही व्यवस्था दी है कि एक स्थगन प्रस्ताव पर एक से अधिक माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे चाहे हस्ताक्षर पांच सदस्य करें। अगर इस व्यवस्था को आप नहीं बनाये रखेंगे और अव्यवस्था करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने खड़े होने शुरू हो जायेंगे। आपको चान्स दूंगा बोलने का तो दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का चान्स देना पड़ेगा।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, सिर्फ एक मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें।

श्री नवनीत पालीवाल : एक मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अपनी विवशता प्रगट कर चुका हूं। इस तरह आप बोलेंगे तो दूसरों को भी चान्स देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकार्ड पर तो आने दी जाय कि एक ही स्थगन प्रस्ताव पर दो-तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि एक वरिष्ठ माननीय सदस्य, जो कि पहले मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष महोदय से याचना कर रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : फिर आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यही तो इनका दुर्भाग्य है कि यह मुख्य सचेतक रह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शंकरलाल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज जग मन्दिर को होटल बनाया जा रहा है, उसके अन्दर तोड़फोड़ हो रही है, मजार तोड़े गए हैं, मन्दिर तोड़े गए हैं। इधर हल्दी घाटी को भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। कुम्भलगढ़ के किले को भी नष्ट होने से नहीं बचाया जा रहा है। इस प्रकार जो सारे ऐतिहासिक महत्व के महल वगैरह हैं, उनका सत्यानाश हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। यह जो आप फर्मा रहे हैं यह तो जग मन्दिर के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी वहां पर गये हैं उन्होंने सारा मौका देखा है। उनको भी जग मन्दिर में आसानी से एन्ट्री नहीं मिली है। उनको भी जाने से मना किया था। बड़ी मुश्किल से जिलाधीश महोदय को लेकर गये थे। आम आदमी का जाना बन्द कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गुल मोहम्मद जी, आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य श्री हरचन्दसिंह।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन के सारे ऐतिहासिक महत्व को समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। रिकार्ड नहीं किया जाय।

श्री हरचन्द सिंह।

श्री मथुरादास माथुर : मन्त्री महोदय कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं।

(14)

श्री भंवरलाल शर्मा (पुरातत्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जगमन्दिर को होटल बनाने सम्बन्धी प्रश्न को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, जगमन्दिर सरकार द्वारा एंसियेन्ट मोनूमेन्ट डिक्लेअर किया जा चुका है। जगमन्दिर को होटल बनाने की स्वीकृति नहीं दी गयी है। कुछ भी तोड़ने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : तो फिर, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कैसे मजार को तोड़ा जा रहा है? वहां पर ऊपर जो चान्द लगा हुआ था उसको क्यों हटाया गया? अध्यक्ष महोदय, उसमें और भी चेंजेज किये जा रहे हैं। वहां से मजार को हटाने का क्या उद्देश्य है? यह कोई महाराजा की निजी प्रापर्टी नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। भूतपूर्व महाराजा के खिलाफ पुरातत्व कानून के तहत कार्यवाही की जावे। यह झूठ है कि वहां से मजार को हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। यह जघन्य अपराध किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

माननीय सदस्य श्री हरचन्द सिंह।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कहा गया है अभी मन्त्री महोदय द्वारा, वह एक सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया है। हो सकता है कि वह चूंकि प्राइवेट प्रापर्टी है इसलिए सरकार तो प्रोटेक्टेड मानूमेन्ट घोषित किये हुए होने के कारण होटल नहीं बना रही है लेकिन प्राइवेट पार्टी, जो कि मालिक है, होटल बनाने की योजना बना रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह प्रोटेक्टेड मोनूमेन्ट भी जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद घोषित किया गया है। आपकी सरकार ने नहीं किया था।

श्री मथुरा दास माथुर : यह मानता हूं कि आपकी सरकार ने प्रोटेक्टेड मानूमेन्ट जगमन्दिर को घोषित किया। फिर मजार को क्यों तोड़ा जा रहा है, चान्द वगैरह को क्यों हटाया जा रहा है? इसकी ओर सरकार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अगर राज्य सरकार नहीं दे रही है तो सरकार की तरफ से स्टेटमेन्ट दे दिया जाय कि नहीं दे रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि तोड़ने की कुछ भी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, उसमें आम आदमी पहले जा सकता था। वह अब नहीं जा सकता है। सरकार कहती है कि होटल की इजाजत नहीं दी, फिर किस तरह होटल बनाया जा रहा है? धार्मिक जजबात से खेलना चाहते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले उदयपुर नगर परिसद् द्वारा जग-

(श्री नवनीत पालीवाल)

मन्दिर में जाने के वास्ते नावें चलायी जाती थी, अब वह बन्द कर दी गयीं।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं वह पांच साल पहले की बात कर रहे हैं। अब वहां नावें नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व अध्यक्ष श्री निरन्जन नाथ आचार्य ने यह व्यवस्था की थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य श्री हरचन्द सिंह।

श्री हरचन्दसिंह(पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, पहले इनसे तो मेरा पिन्ड छुड़ाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। वर्मा जी, कृपया शान्त रहें।

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो व्यवधान कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं वह भौंपू है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप भौंपू नहीं ढपोलशंख हो।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भौंपू कहा है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यहां पर वर्मा जी ने माननीय सदस्य को ढपोलशंख कहा है। इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बेकार सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहे। माननीय सदस्य श्री हरचन्द-सिंह।

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आया है तब से यह जोर शोर से आवाज चारों तरफ हो रही है कि जनता पार्टी का बजट गांवोन्मुख हो रहा है। अगर जनता पार्टी का ध्यान सही मायने में गांवों के विकास करने की तरफ होता तो मैं उसको निश्चित रूप से उसकी नीतियों की दाद

(16)

(श्री हरचन्दसिंह)

देता लेकिन इसके कर्म ऐसे नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी ग्रोर राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ग्रोर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में एक सैन्ट्रल मैकेनाईज्ड फार्म के लिए 33 हजार एकड़ जमीन सन् 1956-57 में एक्वायर की गयी । इस 33 हजार एकड़ जमीन के एक्वायर होने से, अध्यक्ष महोदय, करीब 1300 परिवार बेघरबार हो गये । उनका पुर्नवास, अध्यक्ष महोदय, करीब 13 साल तक नहीं हो सका । उसके बाद में 1964-65 में राजस्थान सरकार ने घग्गर बाढ़ के नियन्त्रण हेतु ग्रौर जमीन एक्वायर की जिसके कारण 1200 परिवार बेघरबार हो गये । स्थिति ऐसी हैं, अध्यक्ष महोदय, आज तक बेचारे 1200 परिवार बेघरबार हो कर बरबाद हो गये हैं । अभी ऐसा पता लगा है कि इन 1200 में से 600 परिवार को बसाया गया हैं लेकिन 1200 में से जो छः सौ परिवार बच गये वह बेचारे आज भी बेघरबार हैं ग्रौर सड़कों पर दर-बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं ।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, अनेक बार मैंने इस बारे में लिखित निवेदन किया है । मुख्य मन्त्री महोदय, उन लोगों का पुनर्वास करवायें ।

सन् 1969-70 के अन्दर हवाई अड्डे के लिए करणीसर के 150 परिवारों की जमीन अवाप्त कर ली । उन लोगों के पुनर्वास के लिए जमीनें तो दे दी और इस सरकार ने उनको पास बुकें तो दे दीं लेकिन राजस्व रिकार्ड ग्राज तक उनका अमल दरामद नहीं किया गया । राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने की वजह से काश्तकार दो पैसे के लोन के लिए जाता है तो उसको मिलता नहीं है । इसलिए मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि करणीसर के हवाई अड्डे के लिए जिन लोगों की जमीने ली गई हैं उनको जमीनें दी गई हैं उनका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये ।

सन् 1974-75 में श्योपुरा, भगवानसर ग्रादि 7 गांवों का रकबा फिर एक्वायर कर लिया गया ग्रौर 300 परिवार बेघर कर दिये गये । पांच साल हो गए उन लोगों को जमीनें नहीं दी गई । जो लोग बेघर हैं उन लोगों को कोई जमीन नहीं दी गई है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान् यही नहीं, रीसेन्टली 100 परिवारों को बेघरबार कर दिया है । वे घर बसाने से महरूम रखे जा रहे हैं । उन लोगों को ठीक से बसा नहीं पाये । इसके बाद ल ल पुरा, सिद्धवला । एल. एल. पी. 3 एल. एल. पी. एवं रामसरा, इन पांच गांवों का रकबा ग्रौर एक्वायर कर लिया गया हैं । क्या सारे भारतवर्ष की सुरक्षा का भार सूरतगढ़ के काश्तकारों पर है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग जिनको बेघर कर दिया गया है. को बेघर नहीं किया जाये । अगर छावनी बनानी है तो राजस्थान कैनाल

(श्री हरचन्दसिंह)

में और बहुत सारा इलाका ऐसा पड़ा हुआ है रकबा पड़ा हुआ है वहां पर बनाई जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह : उन काश्तकारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये, उनको मुआवजा दिलाया जाये। जिन काश्तकारों को खेती से महरूम रखा गया उनका फसल का मुआवजा दिया जाये। बार बार आसन से मैं यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि रकबा एक्वायर करने से पहले सरकार मिलिट्री को एन० ओ० सी० जारी कर देती है। वे कब्जा कर लेते हैं। एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी नहीं होती। एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इस तरह से काश्तकारों के साथ सलूक किया जाता है। एक ही तहसील का करीब 1 लाख एकड़ रकबा एक्वायर कर लिया जाये तो, अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह : क्या विस्थापित कर पायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपने ध्यान आकर्षण कर लिया।

श्री हरचन्द सिंह : यह ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव नहीं, यह हजारों काश्तकारों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। जो काश्तकार अपने घरों में बैठे हैं....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

उनकी जमीनें लेकर उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं। आप उनकी जमीनों के बदले में जमीनें दीजिए। उनके रोजगार के साधन मुहैय्या करवाइये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह : ... तब कहीं सरकार एन० ओ० सी० जारी करे, यही गुजारिश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। शांत रहें। निवेदन है कि जो भी माननीय सदस्य बोलें, कृपया खड़े होकर बोलें।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो जो स्थगन प्रस्ताव श्री हरचन्द सिंह जी ने रखा है उस बारे में एक जानकारी कर लूं। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ फार्म की जमीन लीज पर दी थी। वह लीज की अवधि शायद समाप्त हो चुकी है, पिछले

(श्रीमती मदनकौर)

साल ही समाप्त हुई हैं। क्या राज्य सरकार ने इस लीज की अवधि और बढ़ा दी या क्या स्थिति है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : नहीं बढ़ाई है। उसकी एक कमेटी बनी हुई है। उसमें विचार हो रहा है, क्या किया जाये।

श्री हरचन्द सिंह : मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस मामले में क्या करना चाहती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह विचार कब तक होता रहेगा ? यह किसान विरोधी सरकार नहीं है। विस्थापितों को कोई जगह नहीं दे रही है, उनको नादरश ही तरीके से बेदखल किया जा रहा है तो यह सरकार किसान विरोधी, किसान शत्रु सरकार है अन्यथा इसको चाहिए कि विस्थापितों को जगह दें। आप कर्त्तव्य विमुख हैं। आपमें सूझ बूझ नहीं है। आप समय क्यों बेकार कर रहे हैं ? जनता के साथ मखौल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय विरोधी दल के नेता ने बहुत ही आक्रोश में इस सरकार को....

एक माननीय सदस्य : गालियां दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जो सूरतगढ़ से आये हैं, का भाषण ध्यान से सुना होगा तो मालूम हो गया होगा कि गलती किसने की है। किस सरकार ने किसानों को बेदखल किया हैं। बेदखल करने वाला कौन है, गालियां खाने वाला कौन है। जहां सहानुभूति होनी चाहिए थी वहां आलोचना हो रही है। उनकी कृपा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : उस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आप का कर्त्तव्य आप वहन करिए, किसानों को जगह दीजिए, यह मेरी मांग है। आज की सरकार के नाते आपका पुनीत कर्तव्य है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी बड़ी कृपा है, आपने अपने विचारों में संशोधन कर लिया।

जहां तक सूरतगढ़ फार्म का क्वेश्चन हैं, वह विवादास्पद मसला है। भारत सरकार की यह इच्छा है कि किसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को फार्म वापस न दिया जाये। पिछली सरकार ने भी प्रयत्न किये कि किसी तरह वापस मिल जाए। हमने भी इस बात की कोशिश की कि सूरतगढ़ फार्म वापस मिल जाये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वापस नहीं दिया जायेगा। इसलिए नहीं दिया जायेगा कि रशियन गवर्नमेंट का इक्विपमेंट के नाते इन्वेस्टमेंट है और एक प्रकार से इनवाल्वमेंट रहा है। कई कारण हो सकते हैं। भारत सरकार वापस नहीं देना चाहती। अगर वापस नहीं करे तो इसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या मूल्य मिले, इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक कमेटी बना रखी हैं। मैं डेफिनेट नहीं कह सकता, शायद दो महीने में इसका निर्णय हो जाये कि हमको कितना कम्पेन्सेशन दिया जाये।

श्री केदारनाथ : फाइनल हो गया, अवार्ड आने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो महीने में अवार्ड आने वाला है कि कितना पैसा मिलेगा। जहां तक यह कहा गया कि एयरपोर्ट के लिए जिन काश्तकारों को जमीन एक्वायर की गई उन काश्तकारों को अब तक जमीनें नहीं दी गईं। अगर माननीय सदस्य इससे पहले बात करते तो मैं बता सकता था किस प्रकार से रिहैबिलिटेट नहीं हो पाये। अगर की गलती रही है तो माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जिन किसानों 9, 10 वर्षों से रिहैबिलटेट नहीं किया गया है, कोशिश करेंगे वे रिहैबिलिटेट जल्दी से जल्दी हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर चुका हूं, इसके अन्दर काफी स्पष्टीकरण दिया जा चुका हैं। आप बिराज जायं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा कहना है कि मिलिट्री ऐसे एरिया को ले रही है जो कमान्ड एरिया है। उन्हें अकमान्ड एरिया के लिए क्यों नहीं कहा जाता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर यह कन्ट्री के डिफेन्स का सवाल हैं और राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। हम भी चाहते हैं अनकमान्ड एरिया दें लेकिन उन्हें कौनसा सूट करता है, उनको कौनसी जगह ज्यादा सूट होती है, आखिर उनके सलेक्शन का सवाल है। इसमें नेशन के डिफेन्स का प्रश्न रहता है इसलिए मैं समझता हूं यह उन्हीं पर छोड़ा जाना चाहिये कि कौनसी जगह उन्हें पसन्द हैं और उनके काम की है।

श्री अध्यक्ष : सर्व श्री माधव सिंह दीवान सूरजपाल सिंह, खंगार सिंह चौधरी व रामसिंह बिश्नोई में से कोई एक सदस्य बोल सकता है।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी उठाया था और फ्लेट रेट में जो गड़बड़ियां हैं उस ओर ध्यान आकर्षित किया था। मुख्य गड़बड़ यह है कि किसी खातेदारी में 3-4 नाम सम्मिलित हैं तो उनके ऊपर समान रूप से फ्लेट रेट लगाने के बारे में पिछली बार विद्युत मन्त्री जी ने कहा था लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो पाया है। चार भाई हैं और चारों के नाम है। अगर एक के ऊपर फ्लेट रेट लागू नहीं है, पहले से डेढ़-दो गुना लिया जाय तब तो ठीक है, कोई बात नहीं किन्तु इससे भी अधिक हो जाता है तो मुश्किल होती है....

(व्यवधान)

(श्री सूरजपाल सिंह)

यह ध्यान आकर्षित करने हेतु ही स्थगन प्रस्ताव दिया है। अगर किसी खेत में 3-4 भाई है तो फ्लेट रेट लागू करने में उनको भी एक ही तरह माना जाय। फ्लेट रेट समान रूप से सब पर बराबर लागू हो।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान ग्राम रथकुडिया तहसील बिलाड़ा में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ किये गये बलात्कार की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम रथकुडिया में करीब 8-10 आदमियों का एक गेंग है। 25-1-79 की बात है जब एक हरिजन महिला अकेली खेत में काम रही थी उसे अकेली देख कर खेत में घुस आये। अकेली महिला को देख कर पहले तो रेत आंखों में डाल दी फिर उसके साथ बलात्कार किया। उसके शरीर पर 25 चोटें आई हैं। पुलिस ने उसका केस भी दर्ज नहीं किया। 25 चोटें होते हुए भी डाक्टर ने अपने डाक्टरी मुआयने में यह नहीं लिखा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, केवल 25 चोटें ही अंकित की हैं। जो तफतीश हुई है उसमें भी पुलिस की साजिश है। पुलिस उससे मिली हुई है। इसी गेंग ने 25-1-79 को भजन मण्डली में से एक औरत को उड़ाया। अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है कि उस औरत के साथ 9 आदमियों ने बलात्कार किया। अभी तक 9 मुल्जिमों में से केवल दो मुल्जिम ही गिरफ्तार हुए हैं, 7 मुल्जिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस तरह पूरी तहसील में यह आंतक फैल गया है कि हरिजन महिलाओं और अन्य महिलाओं का भी कोई प्रोटेक्शन नहीं रहा। यदि इस तरह की गड़बड़ियां चलती रहीं तो औरतों का खेतों में काम करना मुश्किल हो जायगा। इसलिये गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा उस महिला की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाय और अपराधी को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके सजा दी जाय।

श्री सम्पत राम (गृह मन्त्री) : वैसे तो माननीय सदस्य ने जिस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में पूर्ण सजगता रखनी चाहिये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिये। लेकिन मुझे एक दुःख हुआ और वह यह कि इस घटना के बाद तो आप मुझ से कई दफा मिल चुके हैं। इस तरह का गेंग घूम रहा है इसका आपने कभी जिक्र ही नहीं किया····

(व्यवधान)

मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता हूं। कोई गेंग हो तो बतायें, मैं कुछ करना करना चाहता हूं और मुझे करना भी चाहिये।

श्री नरपत राम बरवड़ : आप बात को टाल देते हैं इसलिये मैंने कहना उचित नहीं समझा।

श्री सम्पत राम : मैं तो उन के लिये कहता हूं जो वकालत से सम्बन्ध रखते हैं। गरीब का, किसान का, मजदूरों का कभी भी मामला आया हो तो मैंने ऐसा कभी

(श्री सम्पतराम)

नहीं कहा होगा। वकील होता है तो मुझे कुछ शक होता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छी और सक्षम नगरपालिकायें नागरिकों के लिये अच्छी सुविधायें जुटाती हैं। 190 नगरपालिकाओं के कर्मचारियों ने राजस्थान नगरपालिका फेडरेशन के माध्यम से अपनी 33 सूत्री मांग लेकर मांगें रखी हैं। वह मांग रखे हुए आज करीब डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल पहले उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद वे सम्बन्धित अधिकारियों से मिले और मिलने के बाद वे हड़ताल पर उतरे। 11 अक्टूबर के दिन राजस्थान में हजारों कर्मचारी हड़ताल पर उतर जायेंगे। जहां-जहां नगरपालिकाएं हैं शहरों में, कस्बों में वहां गन्दगी, सड़ांध और बदबू फैलेगी। राजस्थान नगरपालिका फेडरेशन ने क्या मांग की है। वे चाहते हैं राणावत वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वह लागू की जायं। राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों को 1-9-68 से लागू करने को कहा था, यह निर्णय हो चुका है लेकिन 1-9-68 के बाद पूरे 11 साल बीत जाने के बाद भी स्वायत शासन विभाग के अधिकारी मांग पूरी नहीं कर सके। उन्होंने एक मांग रखी है, 12 घन्टे काम लिया जाता है, 16 घंटे काम लिया जाता है इसलिये मेहरबानी करके हमें ओवर टाइम दिया जाय या हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि 240 दिन काम करने के बाद कर्मचारियों को स्थायी किया जाय। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि राज्य कर्मचारियों के समान उन्हें भी माना जाय। उन्होंने ग्रेचुइटी, पेन्शन की भी मांग की है। वे आपके पास आये। आपने उनको नहीं सुना तो, श्रीमन्, उन्होंने हड़ताल की। राजनीति गरम होती है जब आप ध्यान नहीं देते है। फिर सड़कों पर आ जाती है। सड़कों पर राजनीति आ जाती है उसके बाद विधान सभा में भी राजनीति गरम हो जाती है।

यह लिखा हुआ ज्ञापन देने के बाद डेढ़ साल तक उन्होंने बार-बार आपके दरवाजे खटखटाये। जब आपने नहीं सुना तो कभी न कभी तो दुखी व्यक्ति बाहर आयेगा। पचासों बार कहने के बाद आज वे सचिवालय के बाहर हड़ताल किये हुए हैं। मैं चाहता हूं, आप बात करें, कोई समझौता करें नहीं तो 11 अक्टूबर के दिन से जो हड़ताल होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके स्वायत शासन विभाग की होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्रीजी उत्तर दे रहे हैं, साहब।

श्री दाऊदयाल जोशी : हड़ताल ही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्यों खड़े हो जाते हैं, साहब ? ये दाऊजी क्यों खड़े हो जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम जी चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रानीवाड़ा डेयरी में जो बड़ा भारी गोलमाल चल रहा है, उसके बारे में पहले भी सरकार को आगाह कर चुका हूं और आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा मैं पुनः सरकार को आगाह करता हूं कि रानीवाड़ा डेअरी में बड़ा भारी घोटाला हो रहा है। पहले भी निर्माण कराने में, मशीनरी खरीदने में जिन लोगों ने और सिक्का साहब ने गोलमाल किया है, उसकी आपको जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही आज यह डेअरी इस हालत में है कि जहां पहले बीस हजार लीटर इकट्ठा कर रही थी वहां पांच हजार लीटर दूध पर आ गयी है। माननीय कृषि मन्त्रीजी, इस दूध की डेअरी में एक मैनेजिग डायरेक्टर सिक्का है और उनका बेटा मैनेजर है। दोनों बाप बेटों की डेअरी बना रखी है और इस डेअरी के जो डायरेक्टर सिक्का और उनका बेटा ऐवल है वे हर महीने में दस हजार रुपये पगार और टी. ए. डी. ए. का फायदा उठा रहे हैं। आज 25 लाख के घाटे में यह डेअरी चल रही है। मैं, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्रीय लोगों ने लाख शेयरों को खरीद रखा है लेकिन आज दिन तक पाँच साल में शेयर होल्डरों की एक दिन भी मीटिंग बुला कर डेअरी का ब्यौरा और आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बताया गया है और न मीटिंग ही बुलाई गई है। इस डेअरी के अन्दर भयंकर, बड़ा भारी गोलमाल चल रहा है, जो किसान और पशुपालक अपना दूध इस डेअरी को देते हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फेट में गड़बड़ करते हैं, पेमेन्ट समयपर नहीं देते हैं। इससे पशुपालकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहले बीस हजार लीटर दूध मिलता था उसकी जगह पांच हजार घट कर आ गया है। पेमेंट के लिए कर्मचारी हर साल में तीन चार महीने हड़ताल पर बैठे रहते हैं। इस हठधर्मी से इस डेअरी की हालत बिल्कुल शून्य है। कोई काम नहीं हो रहा है इसलिए सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करके अपने हाथ में डेअरी लेनी चाहिए। अगर समय रहते हुए डेअरी हाथ में नहीं ली गई तो करीब पचास लाख से एक करोड़ का घाटा सिक्का डेअरी को देकर हैंड ओवर कर देगा। इसलिए इससे पहले ही कृपा कर यह डेअरी सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार के शेयर वगैरह हैं तो पहले ही यह अपने हाथ में ले लेनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : कृषि मन्त्री जी कहें उससे पहले मैं भी····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस स्थगन प्रस्ताव में आपका नाम नहीं है।

श्री माधोसिंह : सूरजपालसिंहजी का नाम है। हमारे ही क्षेत्र का मामला है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें उसके पहले मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : इस डेयरी का सिरोही के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहें उसके पहले सिर्फ पांच सैकंड में कहूंगा।

इस बारे में तीन बार सदन में चर्चा हुई। इस डेयरी की हालत बुरी से बदतर होती जा रही है। आखिरकार शेयर होल्डरों के उसके अन्दर शेयर हैं। कोई मीटिंग नहीं होती, हड़तालें होती हैं। बीस हजार से पांच हजार लीटर तक दूध का प्रोडक्शन घट गया है और लाखों रुपयों का घोटाला बताया जाता है। नुकसान में चल रही है। आखिरकार सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार सो क्यों रही है? सरकार क्या करना चाहती है? इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कृपया बतायें।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी कुछ मुद्दे हैं उनका जवाब भी साथ-साथ दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव में आपका ,नाम नहीं है।

श्री माधोसिंह : सूरजपालसिंह जी का नाम है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सूरजपालसिंह जी का नाम भी नहीं है। सिर्फ रतनारामजी चौधरी का नाम है। पहले किसी सरकम्स-टांसेज में दे दिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आइडियल डेयरी के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में मैं जानकारी दे देना चाहता हूं।

यह जो आइडियल डेयरी है यह सिक्का द्वारा स्थापित की गई। इसका लाइसेन्स जो मिला, रजिस्ट्रेशन जो इसका हुआ, वह इस सम्बन्धी लॉ के तहत भारत सरकार के साथ समझौते के आधार पर हुआ है, उसमें राजस्थान सरकार का कहीं पर भी हिस्सा नहीं है। हमारे यहां से आर. आई. एम. डी. सी. का कुछ हिस्सा है, बाकी जितने भी हिस्से लिये गये हैं वे या तो राजस्थान के बाहर की फर्मों के हैं, या भारत सरकार और भारत सरकार के कई कार्पोरेशन जो चलाए जा रहे हैं, उनके है। जहां तक इस डेयरी में व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इसको मानता हूं कि वहां पर अव्यवस्था है। जहां

(24)

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

तक दूध के इकट्ठा करने का प्रश्न है, वह क्षेत्र दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। परन्तु राजस्थान सरकार की कुछ मजबूरियां हैं। हमने इस पर विचार किया था कि इसको राज्य सरकार हाथ में ले ल। हमने ज्यों ही विचार किया, हमारे सामने अनेक अड़चनें आ गईं। सिक्का से भी बुला कर बात की और यह कोशिश की कि इस डेयरी की व्यवस्था को सुधारा जावे ताकि वहां के पशुपालकों को अच्छा लाभ मिल सके और दूध का अच्छा संकलन हो, नियमित रूप से दूध का संकलन होता रहे परन्तु इस प्रयत्न के बावजूद जिस तरह स्थिति सुधारना चाहते हैं, उस तरह नहीं सुधार पा रहे हैं। आज भी यह सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि किसी न किसी तरह से इस डेयरी की हालत सुधारी जावे और पशुपालकों का शोषण नहीं हो। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जितने भी आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं, उठाये जायेंगे।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछ लूं अगर आपकी अनुमति हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पहले माधोसिंहजी, फिर आपको अनुमति दूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कृषि मन्त्री जी ने फर्माया है, यह आइडियल डेयरी है इसका राजस्थान सरकार से कोई संबंध नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 40 लाख के शेयर राजस्थान के नागरिकों के हैं। क्या राजस्थान सरकार का उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? आप यह फर्मायें कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। आपको इन नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिये। आपको, कृषि मन्त्री जी, पता है कि यह डेयरी 1975 के अन्दर····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : 75 से इस डेयरी का कार्य शुरू हुआ जब से ही मिस्टर सिक्का, मैनेजिंग डायरेक्टर की हरकतों की वजह से दिन-ब-दिन इसकी हालत गिरती गई। यह तीन करोड़ की डेयरी है। तीन करोड़ रुपये इसमें लगे हुए हैं। इसके अन्दर अव्यवस्था के कारण जहां दो लाख लीटर माहवारी दूध इकट्ठा होना चाहिए था वहां पर जैसा माननीय रतनारामजी ने कहा कि वह पांच हजार लीटर पर आ गया है। आप देखिए कि जिस डेयरी के बारे में हम सोचते थे कि आनन्द डेयरी के मुकाबले में स्थापित होगी, उसकी आज यह स्थिति है। रेवदर जैसी जगह पर, रामसिंह के अन्दर, जसवन्तपुरा के अन्दर, भीनमाल के अन्दर, सांचौर के अन्दर जिस तरह के सब सैन्टर कायम हुए थे, उनमें से आज एक सब-सैन्टर काम कर रहा है सांचौर का। बाकी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं सब-सैन्टर। चिलिंग प्लाण्ट भी नहीं लगा है। इसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

(श्री माधोसिंह)

दूसरा दूदाना में एक भूमि आइडियल डेयरी को राजस्थान सरकार ने····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : ··· दी थी गायों को चराने के लिए, पशुओं के लिए ताकि डेयरी में दूध इकट्ठा हो और गायों का पालन हो। राज्य सरकार के साथ कुछ शर्तों पर उनका समझौता नहीं बैठने की वजह से वह डेयरी कार्य नहीं कर रही है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह डेयरी ऐसी है जिससे सांचोर, सिरोही और जालौर जिलों के पशुपालकों की आमदनी का बहुत ही जबर्दस्त साधन उपलब्ध हो सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिलावें और भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करके इस डेयरी में जो नुकसान आ गया उसको वापस सुधारें जिससे वापस लोगों को फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि रानीवाड़ा आइडियल डेयरी हालांकि राजस्थान सरकार की नहीं है, लेकिन इस डेयरी फार्म को स्थापित करने में राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार की रियायतें दे रखी हैं और वे इसलिए दे रखी हैं कि जालौर और सिरोही के विस्तृत इलाकों में दूध इकट्ठा करेंगे और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान देंगी। लेकिन अब डेयरी की ऐसी व्यवस्था चल रही है कि यह आइडियल डेयरी पशुपालकों का शोषण कर रही है। राजस्थान सरकार ने रियायतें दी हैं इसलिए राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि इस डेयरी की दशा सुधारे और इसके कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायतों को समाप्त करने का नोटिस दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बहस तो नहीं हो रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी उस जिले के रहने वाले हैं। एक सवाल पूछ लूंगा तो क्या प्रलय हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो कम्पनीज एक्ट के नीचे डेयरी रजिस्टर हुई है उसकी आखिरी शर्त को क्या आपने पढ़ा या नहीं ? यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रूल्स के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अन्तर्गत डेयरी कहलाई जाती है। 95% शेयर्स कार्पोरेशन के और पब्लिक के है और सिर्फ सिक्का और नोमिनेटेड फेमिलीज के 2 लाख के शेयर्स हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ चुके, प्रश्न तो पूरा हो चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लियर कर दूं।

श्री अध्यक्ष : क्लियर हो चुका है। माननीय सदस्य प्रश्न पूरा आ चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं आया। मेरा प्रश्न अभी अधूरा है। पूरा कहां हुआ। आपने कहा राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार ने इसी वजह से अन्तिम आइटम रखा है कि लोकल शेयर्स लेने आवश्यक होंगे। अगर नहीं लेंगे तो डेयरी नहीं चलेगी।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सजेशन पूरा हो गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसको एग्जामिन करा लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री कल्याणसिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा राजस्थान सरकार का विशेष शेयर नहीं है। राजस्थान सरकार केवल चिन्ता इसलिए कर रही है क्योंकि दूध उत्पादक राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान, पशु पालक शेयर होल्डर्स हैं। इसलिए राजस्थान सरकार गम्भीर चिन्तन कर रही है। जैसा कि कम्पनी एक्ट में समझौता हुआ था, उस समझौते की शर्तों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। उनका अध्ययन कर लिया गया है उनके तहत जितनी कार्यवाही करना आवश्यक है वह करने के लिए सरकार तत्पर है। रियायतें दी गई है। मैं मानता हूं कि कोई भी उद्योग स्थापित होता है, उस उद्योग को स्थापित करने के लिए जितनी सरकार को रियायतें देनी चाहिये, उतनी रियायतें दी गई हैं। कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत करा देना चाहता हूं, ये आपके ही बोये हुए बीज हैं जिनके फल हमें और किसानों को भोगने पड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

माननीय राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कुछ एक कम्पनीज जिस तरह से किसानों को डीजल, पंपिंग सैट्स और बिजली की मोटरें बेचने में लूटपाट कर रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । इससे किसान बहुत ही दुःखी हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : भाई, उनको सरकार का आशीर्वाद है ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है काफी बड़ी मात्रा में गांवों में विद्युत पहुंचाई जा रही है और किसानों के कुओं को विद्युतीकृत किया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही जब किसान विद्युतीकृत कुओं पर बिजली की मोटर लगाना चाहता है तो वह बाजार में उपलब्ध नहीं है । सारी बिजली की मोटरें भूमिगत कर दी गई हैं । कम्पनियां मनमाना पैसा वसूल कर रही है जो 500 से लेकर 1500 तक पहुंच चुका है । मुझे बड़ा खेद है, अध्यक्ष महोदय, आज अकाल से पीड़ित किसान अपने कुए पर बिजली लगा कर कुछ अपनी रबी की क्राप और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध करने के प्रयास में है । किसान अपने लिए, देश के लिए या मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराता है, इस अकाल में किसान बहुत बड़ा सहारा देना चाहता है लेकिन उसको इस अवसर पर बाजार में मोटरें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, 500 से लेकर 1500 तक की लूट मची हुई है । तो किसान असमर्थ है कुए पर बिजली लगाने के लिए । जितना भी लोन मिल रहा है, सरकार अनुदान दे रही है वह उस कोस्ट पर है जिस पर वह खरीद पायेगा । इसमें जो दो ढाई हजार का लाभ है, अनुदान की राशि काम में लाई नहीं जा सकती, लोन मिलता नहीं, पैसा लायेगा कहां से, पैसा उपलब्ध नहीं है । इसलिये वह असमर्थ होता है । जितनी भी कम्पनियां हैं जयपुर में मोटरों की—टैक्समो, बीकम, बोल्टास, सभी पर 500 से 1500 तक ब्लैक चल रहा है । बाटलीबाय की ओर मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे मुझे कुछ पत्र उपलब्ध हुए हैं प्रमाण के तौर पर । मैं चाहूंगा सरकार इस पर गौर करे, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोके और किसानों को राहत पहुंचाये । अभी अभी एक कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया है । उन्होंने लिखा है—

After great and careful consideration and serious thoughts, I am unable to resist my temptation in stating that how our concern is fleecing the poor farmers of the State by purchasing an engine at Rs. 2000 and selling at Rs. 4350 with slight addition of pump consisting of Rs. 350 only ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आप हिन्दी में बतला दें ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह एक्चुअल लैटर था, 2-4 लाइन सुनाना चाहता था । हिन्दी में बताऊंगा तो एक्चुअल तथ्य सामने नहीं आयेंगे फिर भी आपका आदेश नहीं है तो बता देता हूं । उन्होंने पत्र

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

में लिखा है कि जो कम्पनी अजीत एन्जिन को एक्यूमेक्स में दो हजार में खरीदती है उसमें 350 का पम्पिग सैट लगाती है और उसको बाजार में 4350 में बेचती है। इस प्रकार 100 प्रतिशत मुनाफा ले रही हैं इस पर भी सरकार मौन है, कोई बन्दिश नहीं है। किसान दिन दहाड़े लुटता जा रहा है। उन्होंने इस बात पर ही इस्तीफा दिया है कि एग्रो सैल कार्पोरेशन को पत्र लिखा उस पत्र को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्री ने पत्र लिखा है—

"With reference to your office vide No. dated you sale of disel engine pumpsets, not are, therefore, requested to kindly certify that you are not allowing a higher rate of trade discount to your other dealers than the one offered to the Corporation. This may kindly reach us by 12th October, 1978."

इस पर उन्होंने वापस जवाब दिया है कि हम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट डीलर 16% कमीशन लेते हैं और राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन साढ़े 12% लेता है। उनको 4% का मार्जिन दे रहे है। जब बाजार में बिकता है तो 4% एक्स्ट्रा कमीशन देकर उन्हीं से बिकवाते हैं। जब बाजार में नहीं बिकता है तो एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से बिकवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम् मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि इस अहम मसले पर, इस कम्पनी के मामले पर सरकार ध्यान दे।

रीसेन्टली एक्यूमेक्स लिमिटेड को 3-10-76 को, बाटलीबाय एण्ड कम्पनी लिमिटेड को 4-6-76 को टेलीग्राम भेजा। इनवोइस नं० एसी/78/278 दिनांक 5-10-78 है जहां तक कार्पोरेशन की बात है, 1,950 रुपये प्लस 350 रुपये पम्प का लेते हैं। यह कितनी बड़ी लूट है। हमारे पास स्लिप मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों का मसला है। यह और भी अहम हो जाता है क्योंकि राजस्थान आज अकाल से पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष : आप विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार के लिए एक अहम मसला हो जाता है। मेरे पास ये जो कागज हैं, मैं इनको देने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर सरकार कार्यवाही करने में अक्षम है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्होंने पत्र लिखे हैं। एग्रो इन्डस्ट्रीज से इतना लेंगे औरप्राइवेट डीलरसे इतना लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, यह कम्पनी जो इंजनों पर लूटपाट कर रही है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : निवारक निरोध कानून आ गया है।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी उसका विरोध करेगी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जितना रुपया प्राप्त करते हैं। जब तक इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे तब तक यह इस प्रकार का प्राफिट लेना बन्द नहीं करेगी चाहे एग्रो इण्डस्ट्रीज की मार्फत हो, चाहे भूमि विकास बैंक की मार्फत हो। जो गवर्नमेंट 25% अनुदान देती है, वह बेकार जा रहा है। यह कम्पनी इन्जनों को मनमाने ढंग से बेच रही है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ करन्ट प्रैक्टिस के द्वारा भी इस कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि वह घोषणा करें कि इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ये पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हरचंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की जानकारी दी है मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जानकारी मुझे किसी भी सर्किल से प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं। उनके पास जितने पत्र हैं, वह मैं उनसे लेकर और आफिसर्स से जानकारी लूंगा। उसके बाद इसके सम्बन्ध में सारी व्यवस्था कर ली जाएगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : व्यवस्था क्या होती है। कार्यवाही कीजिए। जिन्होंने जनता को लूटा है, उनको सींकचों में बन्द कीजिए।

(व्यवधान)

श्री हरचंद सिंह : व्यवस्था तो यह भी हो सकती है कि उसको और लूटपाट करने के लिए लाइसेंस दे दिया जाये। किसानों को इस मनमाने भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाये। कृषि मन्त्री जी एक किसान हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, न मेरा स्थगन प्रस्ताव पढ़ा गया है और न मेरा नाम बोला गया है। न मुझे टाइम दिया जा रहा है। अगर मेरा स्थगन प्रस्ताव सचिवालय में नहीं है तो इससे ज्यादा अन्याय मेरे साथ हो नहीं सकता।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए मैं बोलने की अनुमति नहीं दे सकता है।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आज विधायी कार्य के लिए मैं समय चाहता हूं।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका स्थगन प्रस्ताव है। आपका नाम पुकारा गया था। आप यहाँ नहीं थे।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : मैं दो मिनट में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपका नाम पुकारा गया था।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा था। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कार्यवाही चलाने में सहयोग दें।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए इण्ट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय सदन की यह परम्परा रही है कि अगर आपने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार भी किया है, तो भी माननीय सदस्य दो मिनट के लिए बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इनका नाम पुकार चुका हूं। स्थगन प्रस्ताव पढ़े जा चुके हैं। माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था मान्य है। किन्तु माननीय सदस्य को मालूम नहीं था कि किस क्रम में उनका नाम पुकारा जाएगा। अतएव मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य के प्रति उदारता बरती जाये।

एक माननीय सदस्य : उदारता बरतिये।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह घटना अखबारों में भी आ चुकी है। लोगों को अखबारों के जरिए से भी मालूम हुआ है। जैसी कि परम्परा है सामन्ती जमाने में किस प्रकार का जुल्म होता था। मैं उदाहरण के लिए छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। सुनते आ रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सामन्तशाही अभी भी चल रही है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं, उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं।

29 तारीख का किस्सा है। एक भंवर लाल नाम का रैगर जिसको गांव के चन्द आदमियों द्वारा बुलाकर रात को पीटा गया। ग्राम पंचायत के पंचों ने पिटाई की। उसके बाद सुबह उसको फिर बुलाया और मुर्गा बनाया गया। पूरे दिन मुर्गा बनाया गया। उसको इस तरह परेशान करने के बाद रात

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

को फिर पीटा गया। इतना भयंकर पीटा गया कि वह बेहोश हो गया।

हमारे संपतराम जी हैं, उनकी देख-रेख में·······

श्री हरचन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरिजनों को मुर्गा बनाया जाय या कुछ बनाया जाय, जगजीवनराम जी टस से मस नहीं होंगे।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : आखिर में उन बड़े आदमियों ने उनको पीटा, खुद पंचों ने हरिजनों को पीटा, और 151/– जुर्माने के ले लिए, उसके बाद हरिजनों को छोड़ा गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जुर्माना लेकर जमा किया या दारु पी गए।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : ऐसी अदालतें गांवों में चल रही हैं अध्यक्ष महोदय, अगर यही होता रहा तो क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : यह पेरेलल गवर्नमेंट का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : जब वे पुलिस में गए तो वहां भी बड़े आदमियों की पैरवी की जाती है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। सारा वातावरण गन्दा हो गया है। ये गृह मन्त्री जी आज हरिजनों के मसीहा बनते हैं, मैं यह चाहता हूं कि लोग इनको बदनाम नहीं करें, इनसे काम काबू में आ जावे तो ठीक है। चमार और ठाकुर का कहां मेल जोल। दिन दहाड़े हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब आपके नोटिस में यह किस्सा आ गया है, आप इसका पता लगा लें और इसकी जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को दण्ड देंगे तो समस्या सुलझ सकती है, नहीं तो हरिजन मर जायेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और आप कुर्सी से ही चिपके रहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

इसकी रोकथाम करते हैं तब तो ठीक है, इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीन श्री खण्डेला।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव खण्डेला शहर में बांध के रिसाव से हरिजनों के मोहल्लों में पानी भर जाने और दलदल हो जाने के विषय में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला लगभग बीस हजार की आबादी का कस्बा है। सिंचाई विभाग ने पिछले वर्ष जो बांध बनाया और बांध बन जाने के बाद अध्यक्ष महोदय, रिसाव का पानी सारे खण्डेला शहर में, खास तौर से हरिजनों के मोहल्लों में, जहां गरीब लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ी तादाद में भर गया और दलदल पैदा हो गया है। मैंने इस

(श्री गोपालसिंह)

सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र भी लिखा और पिछले अधिवेशन में शासन द्वारा यह व्यवस्था भी दी गई थी कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी स्वयं वहां पर जावें। अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्री जी वहां गए भी; मुझे खुशी है कि वे वहां पर पहुंचे और वे इस समय यहां विराजमान है, सड़क पार करने के लिए उनको अपनी धोती ऊंची करनी पड़ी थी, मैं समझता हूं वे इस मामले को जान गए होंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना समय गुजर गया। सारे शहर में सड़ांध पैदा हो रही है, बीमारी फैल रही है और इस बहरों और गूंगो सरकार ने इस हरिजनों की विरोधी सरकार ने, पिछड़े वर्ग की विरोधी सरकार ने जहां इस तरह की भयंकर समस्या हो गई वहां अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो बीमारी फैलने की आशंका है और भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से, अगर जल्दी से कोई उपाय नहीं किया गया तो बीस हजार की वहां पर आबादी है, भयंकर बीमारी फैल जायगी और समस्या और भी विकट हो जाएगी, धन और जन खतरे में पड़ जायगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका इन्तजाम करिये, आपको तो इस बात की चिन्ता नहीं है लेकिन माननीय उद्योग मन्त्री जी को वहां पर जाना पड़ता है, इसलिए दोनों को मैं यह कहना चाहूंगा, इस शहर को बचावें और रिसाव के पानी को निकालने के लिए उपाय करने की कृपा करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : धोती नहीं तो नेकर पहनकर चले जायेंगे।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

व्यवस्था का प्रश्न

अलवर काण्ड से सम्बन्धित कानसिंह आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, पहले वाले अधिवेशन में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि अलवर के महाराजकुमार की हत्या के मामले में कानसिंह आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जायगा और सारी परम्पराओं को तोड़कर कानसिंह आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा गया था कि इस हाउस के मैम्बरान उस रिपोर्ट को पढ़कर उस पर अपने विचार रख लें और उसके बाद राज्य सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। परन्तु किसी कारण से 9 अप्रेल को हाउस एडजोर्न हो गया और इस अधिवेशन में भी कोई प्रस्ताव नहीं आया। 25,30 मैम्बरान ने भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस पर विचार किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानसिंह आयोग पर राज्य की ढाई करोड़ जनता का पैसा खर्च हुआ है। आपातकाल में जिन

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

अधिकारियों ने अत्याचार किए उनके खिलाफ इस रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। हमारी राज्य सरकार जो हमेशा आपातकाल की दुहाई देती रही है......

(व्यवधान)

(व्यवस्थान-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आसन पैरों पर हो, माननीय गुप्ताजी, आपने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, इसके बाद में आपने भाषण शुरू कर दिया, मैंने आपको प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाने को अनुमति दी है। भाषण देने को नहीं दी थी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब आसन पैरों पर हो तो यह परम्परा है, आपकी और सदन की गरिमा है; आप भी इस सदन में दो ढाई वर्ष से बिराज रहे हैं, कृपया इस बात का ध्यान रखें, यही मेरा निवेदन करने का मतलब था।

(व्यवधान)

माननीय गुप्ताजी का पाइंट आफ आर्डर है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सर्व प्रथम आसन के प्रति आदर रखते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे कारण यदि आसन को कोई चोट लगी है तो मुझे माफ किया जाय परन्तु मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि श्रीमान् इस सदन के फ्लोर पर मुख्य मन्त्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कानसिंह की अलवर कांड के बारे में रिपोर्ट है, उस पर विचार किया जाएगा और सदस्यों के विचार करने के बाद राज्य सरकार कार्यवाही करने के लिए मानस बनाएगी। वह अधिवेशन चला गया, इस अधिवेशन में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव इस का नहीं आया है। कुछ साथियों द्वारा प्रस्ताव इस संबंध में रखा गया है। मैं पाइंट आफ आर्डर के द्वारा कहना चाहूंगा कि मुख्य मुन्त्रीजी पुनः आश्वासन दें कि 8 तारीख कानसिंह रिपोर्ट पर विचार करने के लिए फिक्स की जाए। कानसिंह आयोग पर करोड़ों रूपये खर्च हुआ है, उस पर विचार नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण देने लग गए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सदन की गरिमा व प्रतिष्ठा के लिए इस सदन के फ्लोर पर जो आश्वासन दिया गया है उसकी इज्जत करें, अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मन्त्री को आदेश देकर सदन में उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहें।

श्री अध्यक्ष : यह जो कानसिंह रिपोर्ट अलवर कान्ड के बारे में है, उसके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है ध्यानकर्षण करने के लिए और बहस के लिए, वह विचारधीन है और जब भी इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा, माननीय सदस्यों को मैं सूचित करूंगा।

(व्यवधान)

एक एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं बोलूंगा ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैंने चार बार सदन में खड़े होकर आपसे निवेदन किया है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव है, आपने जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, उन सबको समय दिया है। अगर आसन की ओर से मुझ को समय न देने का निश्चिय किया जा चुका है, तो....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव व्यवस्था में नहीं लिया गया है, तो फिर आपको समय देना कहाँ तक ठीक है? अगर आपको कुछ फर्माना है तो कृपया कक्ष में आ जायं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अस्वीकार तो सब का किया था जबकि सब को समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं दिया गया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह जयपुर जिले के किसानों का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है और बिजली मन्त्री ने पिछले अधिवेशन में जो आश्वासन दिया था उसके भंडा फोड का सवाल है। जयपुर जिले के किसानों को ...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : समय दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुझे इस पर समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कक्ष में आ जायं। मैं आपसे बात करूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैंने भी कोई गलती नहीं की है जो आसन की ओर से समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव व्यवस्था में ही नहीं लिया गया है तो ...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह सचिवालय की गलती है, मैंने समय पर दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव मेरे सामने आया था, व्यवस्था में नहीं लिया गया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि समय दिया जाए, जयपुर जिले के किसानों का सवाल है, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का सवाल है, मुख्य मन्त्री राज्य में भ्रष्टाचार खतम करना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तो इससे ज्यादा खेद की बात नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया : (दौसा) गत सत्र में बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने अलवर के युवराज प्रतापसिंह के हत्याकांड के बारे में प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : अभी इस पर व्यवस्था देनी है या नहीं देनी है, मैं आपको व्यवस्था से अवगत करा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : Let me speak Sir. । मुझे निवेदन फर्माने दें, आपने मुझे समय दिया है । उस समय जब बहुत से सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, उससे प्रभावित होकर सरकार ने कानसिंह आयोग की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी, हरेक सदस्य को स्टडी करने को दी । आपात काल की ज्यादतियों में यह यह प्रताप सिंह हत्याकांड सबसे बड़ी ज्यादती थी । आपात काल के दौरान मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था और उसके बाद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर टाइम रखा गया था लेकिन चूंकि....

(व्यवधान)

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

Let me speak Sir

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को समझ चुका हूं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरी भावना क्या है, बोलने तो दें, कम से कम रिक्वेस्ट करने का मौका तो देना चाहिए । आप स्पीकर हैं, Let me speak Sir.

श्री हरीश शर्मा : (रामगंज मंडी) on a poiat of order.

श्री मूलचंद सामरिया : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं ।

श्री मूलचंद सामरिया : मैं बता रहा हूं कि जो कार्य सदन में लिया गया, जिस रिपोर्ट की प्रतियां बट चुकीं और यह कहा गया कि चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी प्रति बांट रहे हैं, इसलिए इसकी स्टडी करके पूर्ण रूप से सरकार को इसकी जानकारी दें जिससे सरकार इस पर प्रभावी रूप से कार्यवाही कर सके । लेकिन मैं समझता हूं बड़े-बड़े आई० एस० एस० व आई० पी० एस० आफिसर्स, मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जघन्य हत्याकान्ड के मामले में सरकार की तरफ से आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो उस पर सदन में विचार होना आवश्यक है । साथ ही यह जानकारी मिली है कि उसकी क्रिया-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

स्थिति के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट भी शायद सरकार के पास आ चुकी है। जिस विषय पर लगातार पुकारने के बाद यह सरकार पावर में आई है, ज्यादती करने वाले और लोग हैं, अधिकारी हैं जिनकी वजह से उनकी हत्या हुई जिसमें वर्तमान सरकार का कोई हाथ नहीं हो सकता। इसके बावजूद इनको छिपाने से जनता को यह भरोसा नहीं हो सकेगा कि हत्याकान्ड के लिए जो अपराधी है उनको सजा मिलेगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मूलचंद सामरिया : तो जनता का विश्वास उठ जायेगा और लोगों में दूसरे विचार पैदा होंगे।

(व्यवधान)

यहां मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम भी बैठे बैठे बोलेंगे, हम आपके आदेश की पालना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्ति रखें। विधायी कार्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटमेन्ट का आखिरी मोड़ आ गया है। मैं उसको कन्कलूड कर रहा हूं। please let me speak. । सिर्फ दो तीन लाईन ही बोलूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मुख्य मन्त्री जी ने सदन में इस बारे में गत सत्र में ही विचार करने के लिए कहा और सारे कारनामें पिछली सरकार के हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिशशर्मा : अध्यक्ष महोदय, आॅन ए पोईन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सामरिया जी, आपने जो व्यवस्था उठायी उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे विचाराधीन है और जब इस पर निर्णय हो जायेगा तब मैं उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को दे दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यः कृपयास्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री हरीश शर्मा

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा यहां सदन में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, अलवर महाराजकुमार हत्या काण्ड के बारे में। अभी भी इस सदन के 25-30 सदस्यों ने अपने दस्तख्त किये, उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि पिछले सत्र में ही वह सदन में डिस्कस होने वाला था, पर अचानक सदन स्थगित होने से वह रह गया। मेरा निवेदन है कि इस पर कार्नासिह आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप इस पर व्यवस्था दें, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सदन में आज ही लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीन सदस्य, कृपया शान्त रहें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो पोईन्ट आफ आर्डर माननीय सदस्य श्री हरीश शर्मा ने रेज किया है उस पाइन्ट आफ आर्डर को मैं रूल आउट करता हूं क्योंकि आज का जो बिजनेस है उसमें वह नहीं है और पाइन्ट आफ आर्डर जो आज का बिजनेस हो उसी के तहत उठाया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्य के पाइन्ट आफ आर्डर को मैं रूल आउट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया सहयोग दीजिए। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मन्त्री ने कहा था कि जीरो आवर एक घण्टे तक ही चलेगा। हम तो सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी वाले बोल रहे हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कृपया आप अपने साथियों को लगाम दें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को जान-बूझकर ढ़ील में रखा जा रहा है और अधिकारी लोग अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार जानती है कि इमर्जेन्सी में किस प्रकार के काले कारनामे हुए थे और अलवर महाराजकुमार की जो हत्या की गयी थी, ऐसे काले कारनामों को छिपाकर दोषी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं इसलिए विरोधी पक्ष वाले समर्थन नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो समर्थन दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष, महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अभी जब आपने व्यवस्था दे दी फिर भी सत्ता पक्ष वाले लगातार बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था होने के बावजूद एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सदस्य सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं। हम तो बैठे-बैठे सुन रहे हैं। यहां पर सदन के नेता महोदय भी बैठे हैं और उनकी पार्टी के व्हिप महोदय भी बैठे हैं, पर कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पाइन्ट आफ इनफार्मेशन होता तो भी कोई बात हमारे समझ में आती है, पर यह तो भाषण दे रहे हैं। कल हमारी पार्टी के नेता महोदय ने बैठ कर हमें सभी बातें बता दीं, उसी के अनुसार हम यहां पर चुप बैठे हैं

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी, उसी के अनुरूप हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, पर ये लगातार बोलते रहे हैं। आपकी आज्ञा की अवहेलना करते रहे यह, इस तरह तो काम चलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि पिछले सत्र में अलवर महाराजकुमार की हत्या काण्ड के बारे में हाउस में यह मामला सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था। उस वक्त आश्वासन दिया गया कि कानसिंह रिपोर्ट की फाइन्डिंग्ज को हाउस की टेबल पर रखा जायेगा और हाउस में यह मामला डिस्कस होगा। यहां पर हाउस में माननीय सदस्यों ने पुरजोर मांग की कि इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए। वह रिपोर्ट दूसरे दिन हाउस में डिस्कस होने वाली थी, पर 9 तारीख को ही हाउस अचानक ही एडजोर्न हो गया और वह रिपोर्ट हाउस में डिस्कस नहीं हो सकी। तो यह तो पहले से ही हाउस में पेन्डिंग है और हमने 25-30 सदस्यों ने इसके लिए दस्तखत किये हैं। अध्यक्ष महोदय न केवल 25-30 सदस्य ही बल्कि सदन के 95 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उस पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि कानसिंह रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? श्रीमान् कल छुट्टी है, परसों हाउस एडजोर्न होने वाला है। सदन सिर्फ परसों तक ही है तो क्या आप शाम तक निर्णय लेकर सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा देंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह हमारे रूल्स आफ बिजनेस की धारा 131

(श्री किशनसिंह भाटी)

के अन्तर्गत अत्यन्त लोक महत्व का मामला है। अध्यक्ष महोदय, कानसिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसको काफी समय हो गया है हम यह जानना चाहते हैं कि जनता सरकार उन कलपरिटों के खिलाफ में क्या कार्यवाही करने जा रही है? आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अधिकारी वर्ग कुल दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, मैं इस पर अपनी पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : इसके ऊपर नहीं दे चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के और विशेष तौर से जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, अलवर महाराजकुमार हत्या काण्ड के ऊपर जो कानसिंह आयोग बैठा था, उसकी रिपोर्ट पर हाउस में चर्चा करने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं। इनका चिन्तित होना स्वाभाविक है, यह मेरी जानकारी में........

(व्यवधान)

आप तसल्ली रखें, मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब कोई कमीशन की रिपोर्ट आती हैं, उस रिपोर्ट पर सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें उस रिपोर्ट को पूरी तरह के स्टडी करने के बाद जब उसका पूरी तरह से स्क्रीनिंग हो जाती है तब आगे कार्यवाही होती है। मैंने कानसिंह आयोग की जो रिपोर्ट है वह स्टडी करने के लिये दे दी है।

श्री किशनसिंह भाटी : आज दो साल हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज दो साल तो हो गये पर सभी पहलुओं से उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तसल्ली रखें, किशनसिंह जी आप सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कोई कमीशन रिपोर्ट देता है, उसकी फाइंडिग्ज होती है उनको एग्जामिन किया जाता है उसके बाद में कार्यवाही होती है। वैसे तो शाह आयोग की रिपोर्ट आ गयी, मारुति आयोग की रिपोर्ट आ गयी, क्या इन्दिरा गान्धी का प्रोसीक्यूशन हो गया? आखिर कमीशन ने रिपोर्ट दी, इसके फाइंडिग्ज को लीगल शेप देना होगा, किस प्रकार प्रोसीक्यूशन करना है, कौन दोषी नहीं है। सिर्फ कानसिंह जी ने रिपोर्ट दे दी इसी से मैं उन लोगों का चालान नहीं कर दूंगा। पहले देखना पड़ेगा किस किस का चालान हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, और कैसे कार्यवाही होगी, इसको देखना पड़ेगा। कल मुझे यह पता पड़ा कि कानसिंह आयोग

(४)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की रिपोर्ट के बारे में हाउस में माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह रिपोर्ट एडवोकेट जनरल को दी है। इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये, कल वो आने वाले थे, आये भी लेकिन मैं हाउस में मशगूल था इसलिए मेरी एडवोकेट जनरल महोदय से बातचीत नहीं हो सकी। मैं आज उनसे बात करूंगा और बाद में आगे जो भी होगा शाम तक बता दूंगा। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह तो मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य जो जैसलमेर से आने वाले है, श्री किशनसिंह जी, इनको कुछ अधिकारियों से नाराजगी है लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन करना वाजिब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह नहीं है। यह आप गलत आरोप लगा रहे हैं।....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत नहीं है, सही है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यहां तक कह गये कि कमीशन पर लाखों रुपया खर्च कर दिया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमें अफसोस है कि हमें ऐसे मुख्य मन्त्री मिले हैं जो हाउस में गलत आरोप लगाते हैं। हम किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी : सदन का कौन माननीय सदस्य चाहता है कि लीगल प्रोसीक्यूशन नहीं हो....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।....

(व्यवधान)

श्री एच०एन०शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मसला बड़ा गम्भीर है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब दल के माननीय नेता महोदय ने यह कह दिया है, क्षमा चाहता हूं, सदन के नेता महोदय ने....

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय मुख्य मन्त्री जी, हाउस में गलत स्टेटमेंट देकर हाउस को मिसलीड करके इस इश्यू को इस तरह से साइडट्रैक नहीं कर सकते ...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मन्त्री महोदय ऐसा नही कर सकते....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : फिर आप यह मानकर भी चलिये कि आपके कहने से मैं किन्ही बेगुनाहों का चालान भी नहीं कर सकता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कौन कहता है करो ?

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

रिकार्ड नहीं किया जाये।

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। माननीय भाटी जी, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय,.... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं निवेदन करना चाहता हूं.... ....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आप हमको प्राटेक्शन दीजिए ताकि हम अपना जवाब दे सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बोलने के अधिकार को नहीं रोकता। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस सदन के नेता महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि आज एडवोकेट जनरल को बुलाकर या कल छुट्टी है, एडवोकेट जनरल को बुला कर, यह बात डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो भी मसला है वह माननीय सदस्यों के सामने रखा जायेगा। माननीय सदस्य अब कहां इसमें कोई बात रह गयी है।

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री किशन सिंह भाटी : हम कब कहते हैं कि बेगुनाह का चालान करें। हाउस के किसी भी मेम्बर ने यह नहीं कहा कि बेगुनाह का चालान किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय परसराम जी मदेरणा।

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 67 के अन्दर जयपुर के अन्दर गोलीकांड हुआ और उसके ऊपर बेरी आयोग ने रिपोर्ट दी..........

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य....

माननीय श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, कार्नसिंह कमीशन की रिपोर्ट राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एक्वीजीशन आफ एस्टेट एक्ट, 1961 के ऊपर बेस है....

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह हाई कोर्ट में चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : ओरीजिनल रिपोर्ट जो कार्नसिंह कमीशन ने दी है वह अंग्रेजी में दी है। अधिनियम है वह अंग्रेजी में है। जैसी मुझे जानकारी मिली है उन्होंने रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखी है लेकिन जो आपने हमको प्रतिवेदन दिया है वह हिन्दी ट्रान्सलेशन है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, आपकी मार्फत सदन के नेता से, कि इस रिपोर्ट की अंग्रेजी प्रतिलिपि हमको उपलब्ध कराई जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी की कापी कितनी अवेलेबल है यह तो मैं देखकर बता दूंगा लेकिन आपने जिस केस की बात उठाई और माननीय सदस्य जिन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है उनको मालूम है कि उस रिपोर्ट पर यह केस बेस है जिसके कारण से सारा विवाद खड़ा हुआ है। इस केस का फैसला होने वाला है। यह सरकार इन्तजार कर रही है कि केस का फैसला हाई कोर्ट से किसी तरह से उल्टा हो गया जिसको कार्नसिह कमीशन का बेस मानते हैं तो जो भी प्रोसीक्यूशन करना चाहते हैं वह स्टेज ही नहीं आयेगी।

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य, सुनिये। एक दफा यह निर्णय हो जाये, मुझे आशा है कि जो मुझे जानकारी मिली है, शीघ्र ही निर्णय होने वाला है और सारे मुद्दों पर आफिसर्स जिनके खिलाफ कुछ बातें लिखी गयी हैं या नान-आफिशियल के बारे में लिखी गयी हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको नोटिसेज दिये जाते हैं या नहीं दिये जाते हैं, नोटिसेज देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। यह कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे जिनके ऊपर एडवोकेट जनरल की राय ली गयी थी। मैं सदन को विश्वास दे सकता हूं कि अगर किसी तरह से कोई खामी नहीं रही और थोड़ी बहुत खामी रह भी जाती है जो कि रिकूप कर सकते हैं और जिसने दोष किया है वह कानून के शिकंजे से बचकर नहीं जा सकता यह कभी नहीं हो सकता कि हम अपराधी को बचाना चाहते हैं। बाकी के प्रश्न और भी लगे हुए हैं। प्रयत्न यह होगा कि कोई कानूनी खामी न रहे जिसके कारण से अपराधी बच जाये। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है और सभी की मंशा है कि वह सब तरह से पूरी हो। इसलिए चारों तरफ से उसकी पूरी तरह से स्टडी हो जाये उसके बाद जो एक्शन लिया जाना चाहिए वह लिया जायेगा और एक्शन लेने में कोई त्रुटि रहे तो उस समय माननीय सदस्य कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अमुक प्रकार का एक्शन नहीं लिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब मैं विधायी कार्य लूंगा....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : सवाल यह है कि क्या इस सदन के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : मान्यता प्रदान करते हैं। हत्या हुई है....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, दो तरफ से बातें कही गई। एक साइड से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री किशनसिंह भाटी : दूसरी साइड से इन्फार्मेशन देने के लिए हाउस....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मृत्यु का कारण नहीं है। जमीन के मामले को लेकर हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : किसी भी ...

(व्यवधान)

बिजली काट कर, कम्पेल करके किसी को मारा गया है। उसकी मृत्यु की जांच के बारे में हाई कोर्ट में कोई मामला पेन्डिग नहीं है। इसलिए मुख्य मन्त्री हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी इतना सा आश्वासन दे दें कि कब तक यह कार्यवाही कर देंगे। किस स्पेसिफिक पीरियड में।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मर्डर का मामला हाई कोर्ट में पेन्डिग नहीं है बल्कि उनकी जो जमीन एक्वायर की थी उस एक्वीजीशन का मामला पेन्डिग है....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट क्लेरिफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है....

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्य।

श्री एच. एन. शर्मा : सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें। माननीय श्री भाटी जी।

श्री किशनसिंह भाटी : हमने कोई वर्क्स का सवाल नहीं उठाया, हमने कोई....

ी अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

अंकित न हो

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय श्री किशन सिंह जी भाटी से निवेदन करना चाहूंगा जब भी आसन पैरों पर हों, कृपया बिराज जाया करें। आसन को कुछ कहने का मौका दीजिए। माननीय सदस्य आपस में बात कर रहे हैं, कृपया आपस में बात न करें। अब विधायी कार्य लूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। आपने मुझे टाइम दिया। मुझे बोलने के लिये आपने व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ एण्ड क्लेरिफिकेशन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बात कहने का अवसर दें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, किसी भी खेत में अगर मर्डर हो जाता है। खेत किस का था, जमीन किस की थी, किसने हमला किया, वह जब तक तय नहीं होगा....

(व्यवधान)

यह इसलिए इस से लिंक है कि जो सदस्य अलवर की बातें करते हैं....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : इसमें यह इश्यू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री मदनसिंह दांता : यह अलवर की बातें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : इसी सदन में मैंने प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : मर्डर किस का हुआ। मामला क्या हुआ। क्या किसी ने जा कर शूट कर दिया....

श्री बहादुरसिंह : It is a matter of enquiry.

श्री मदनसिंह दांता : क्या मतलब है। यहां कोई समझदार भी है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : बार-बार इसलिए कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री रतनलाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सकते में हमारा मुख्य मन्त्री है....

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

श्री मदनसिंह दांता : कोई भी एक्जाम्पल....

(व्यवधान)

मर्डर का फैसला असेम्बली में होगा?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : यह सम्पूर्ण असेम्बली भी यह कह दे कि मर्डर का केस यहीं तय किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(46)

(श्री अध्यक्ष)

बाजी से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अलवर के इश्यू पर आपकी व्यवस्था कब आयेगी ?

श्री अध्यक्ष : जो आपने प्रश्न उठाया है, उसकी व्यवस्था दे चुका हूं। आज की कार्यवाही में यह मुद्दा नहीं है, इसके लिए पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री किशनसिंह भाटी : आप सुन लें, फिर व्यवस्था दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

व्यवस्था दे दूंगा, लेकिन जब मैं बोलना चाहता हूं तो माननीय सदस्य, बीच बीच में खड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं आप से निवेदन कर चुका हूं आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

आज के बिजनेस में यह मसला नहीं होने की वजह से इस पर पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

इस मसले पर जो मुद्दा उठाया गया गया है, मैं व्यवस्था दूंगा और माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूंगा। आज के बिजनेस में नहीं होने के कारण पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं श्रीमती उजला अरोड़ा का नाम पुकार चुका हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्हीं दिनों पिछले साल चर्चा की गई थी, उस रिपोर्ट के बारे में।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम बजट सत्र में भी देखते रहे कि आज रिपोर्ट पेश हो, आज रिपोर्ट पेश हो लेकिन तब भी नहीं हुई·······

श्री मदनसिंह दांता : पैसे खा-खा कर अब कर रहे हैं... ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है इसलिये स्थान ग्रहण कर लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन को अवगत करायें कि वे रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर सके और अब क्या निर्णय लेने वाले हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : This is no point of order.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : 15 मिनट के लिये डिजोल्व कीजिये।

श्री मूलचंद सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा था इस रिपोर्ट के बारे में, मैं एडवोकेट जनरल से सलाह ले रहा हूँ। और सलाह लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचूंगा कि किन किन लोगों को ताले लगवाने हैं।

(व्यवधान)

अब यह बता दें कि माननीय सदस्यगण को अपने विचार प्रस्तुत करने के अधिकार हैं अथवा टाइम बार्ड नहीं होगा जब तक एडवोकेट जनरल की सलाह नहीं होगी ....

(व्यवधान)

इस पर आप व्यवस्था फर्मायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें.......

माननीय सदस्या, माननीय सदस्या स्थान ग्रहण करें।

यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हनवन्त सिंह (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था यह चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

अगर माननीय सदस्यों की यही मंशा है कि सदन की कार्यवाही न चले तो मुझे इस सभा को 15 मिनट के लिये स्थगित करना पड़ेगा। सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 1.25 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित की गई)

विधान सभा की बैठक पुन: म.प 1.55 बजे प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

अलवर काण्ड से सम्बन्धित कानसिंह आयोग के प्रतिवेदन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी ।

श्री किशनसिंह भाटी : अलवर के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था। श्रीमान् से व्यवस्था चाही गई । लास्ट सैशन में भी कई माननीय सदस्यों के दस्तख्तों से प्रस्ताव मूव किया । लास्ट सैशन में भी हाउस को जवाब देने का एश्योर किया गया था । गृह मन्त्री महोदय ने दूसरे दिन के लिये रखाया और बाद में हाउस एडजोर्न हो गया। वही प्रस्ताव पुन: आया है । इसकी व्यवस्था फर्मा दें । क्या श्रीमान् परसों इस पर बोलने के लिये अलाउ करेंगे ? इस बारे में निवेदन है ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय भाटी साहब ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सदन की ऐसी परम्परा रही है, कभी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले डिस्कस नहीं हुए और कभी व्यवस्था नहीं हुई । जो कोई सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देता है, वह आपको सूचना देता है और चैम्बर में बात करता है, और चैम्बर में ही आप अपने तरीके से मेरिट से डी-मेरिट से निर्णय करते हैं । आज तक हाउस में आसन से कोई ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कृपया बिराजिये । जो माननीय भाटी ने प्रश्न उठाया, मैंने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में वार्ता की है । उन्होंने मुझे जानकारी देने के लिए कहा है । जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किया है उस पर चर्चा परसों होगी ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है और उन्होंने मुझे जानकारी दी है । माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सर्वे-सर्वा स्पीकर हैं और स्पीकर इस हाउस से गाइडेड है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कृपया शान्त रहें । आप शायद गलत समझ रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है उसकी मैं सदन में जानकारी दे रहा हूं ।

श्री कौशल किशोर जैन : ये आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं । इनको इस हाउस से बाहर निकाला जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं । ये कह रहे हैं कि सत्तापक्ष

(श्री कौशल किशोर जैन)

को खुश करने के लिये, यह इनका कहना बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : हाउस सुप्रीम है।

श्री मदनसिंह दांता: पाइन्ट आफ आर्डर, सर! उस वक्त चेयर पर कौन था जब माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मुख्य मन्त्री परश्यू करेंगे या नहीं, इस वक्त चेयर पर आप हैं और क्या ऐसा हो सकता है, इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजें। जो आप कह रहे हैं मैंने ठीक तरह से सुन लिया है। कृपया बिराजें।

श्री मदनसिंह दांता : आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं जो स्पीकर साहब की सहमति से चर्चा के लिए ग्राह्य होते हैं उन प्रश्नों के बारे में स्पीकर महोदय चैम्बर में या आसन पर व्यवस्था देते हैं।

माननीय सदस्य, इस प्रश्न के बारे में सदन में जानकारी लेना चाहते हैं, और माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो जानकारी मिली है मैं वह जानकारी दे सकता हूं, इसमें किसी प्रकार से व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है। जो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय देते हैं उन व्यवस्थाओं की जानकारी में आसन के माध्यम से कन्वे करता हूं तो उस व्यवस्था का ठीक प्रकार से निष्पादन कर रहा हूं।

विकलांगों का विधान सभा भवन के समक्ष प्रदर्शन व उनका मांग पत्र

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी सदन को देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के बाहर विकलांगों के संघ के लोग जो बहुत ही मुसीबत से चलकर आये हैं और उनका हमारे विधानसभा के सामने प्रदर्शन हुआ है। मैं माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता, न उनको किसी से मिलने देते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक अपनी समस्याओं का पत्र दिया है उसको मैं सदन की मेज पर रखता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह समाज का जो विकलांग तबका है, बड़ी मुसीबत से चलकर वे लोग यहां आए हैं, मन्त्री महोदय को चाहिए कि उनकी क्या समस्या है, सदन के सभी लोगों को उनके प्रति सहानुभूति होगी, उनकी बात को सुना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलालजी, मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार जो यह सदन में सूचना दी है, क्या आपने मन्त्री महोदया से इस बारे में जानकारी की थी, क्या उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था ?

(50)

श्री शंकरलाल : मेरी उनसे कोई बात-चीत नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में आपने जो चर्चा उठाई, आप नियमों के अन्तर्गत चर्चा उठा सकते हैं। आप मन्त्री महोदया से डाइरेक्ट मिल लें। अनावश्यक रूप से आप इस तरह से चर्चा उठाकर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, यह........

श्री शंकरलाल : इस प्रकार के जब-जब भी अवसर आये हैं और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, मैंने जानकारी दी है, कोई गलत प्रक्रिया मैंने नहीं अपनाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सदन में बीस साल से हूं, जब कभी प्रदर्शन हुए हैं, सदन के समक्ष, माननीय सदस्यों ने सदन को जानकारी दी है, और उसका नोटिस लिया गया है, चेयर ने भी उसका नोटिस लिया है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मैंने सदन का समय जाया नहीं किया है। समाज के वे ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, मैंने सदन को जानकारी देकर कोई गलत प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ सदन से वाक आउट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के प्रति मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शंकरलाल ने जो मुद्दा उठाया, उससे एक हद तक मेरी सहानुभूति है। मैं पांच सैकिण्ड से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है लेकिन आखिरकार ये नियम भी मनुष्यकृत हैं और परम्पराओं के अनुसार भी हमको चलना चाहिए। अगर एक ऐसा तबका समाज का, विधान सभा के सामने आया है और वह सुनवाई चाहता है तो आपका, माननीय सदस्य को पांच मिनट के लिए खड़े होकर, इस बारे में संकेत करके, आसन का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। अगर अधिकार नहीं है तो मेरे खयाल में इस सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतएव मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम सरकार को जाकर उनके प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का जो भी सम्भव समाधान निकल सके, सरकार बाध्य तो नहीं है, लेकिन सुनवाई करना तो आपका पुनीत कर्त्तव्य है। विरोधी पक्ष के पास कौन सी सत्ता है, हम तो चर्चा ही कर सकते हैं, और चर्चा करने का हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है अन्यथा जनतन्त्र की परम्परा को हम कैसे निभा सकते हैं। अतएव मेरा नम्र निवेदन है, आसन से मेरा अनुरोध है कि जो कुछ हमने किया, इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं दी, यह बात प्रोसीडिंग में आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने शंकर लाल जी के मामले में.......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा है कि इस तरह से पब्लिसिटी को इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य शकरलाल जी एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते थे अभी माननीय सदस्य किशनसिंह जी माटी ने जो कहा वह क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : वह आपके काले कारनामों का भण्डा फोड़ था।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई विधान सभा की परम्परा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्क्ष : कृपया बिराजिये, सुनिये मुझे भी।

श्री किशनसिंह माटी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी चैयर पर इस तरह का एस्पर्सन कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदया।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय जयकृष्ण जी, कृपया बिराजिये। मैंने सुन लिया, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमारे अधिकारों के प्रति आप उदासीनता बरत रहे हैं।

(व्यवधान)

ऐसी बात हम नहीं होने देंगे, हाउस सर्वोपरि है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हाउस में बार–बार प्रकरण को लेकर और दूसरी बातों को लेकर जो माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस आसन के लिए गौरवशाली परम्परा नहीं होगी। इससे इस आसन की और हाउस की गरिमा और गौरव समाप्त हो जायेगा, अगर इस तरह से चैयर सत्तारूढ़ पक्ष के हाथों खेलेगी तो..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदया।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहती हूं कि जो प्रदर्शनकारी आए हैं, मैं उनसे मिलने गई थी और उनसे मेरी बात....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : गलत आरोप लगाया गया कि उनसे मिलने नहीं गए....

(व्यवधान)

सदन में गलत आरोप लगाते हैं। आपने मन्त्री महोदया पर गलत आरोप लगाया।

(52)

श्री शंकर लाल : क्या हुआ यह तो बताइये। उनकी समस्याओं के बारे में आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, सदन की परम्परा रही है बहुत से प्रोसेशन्स आते हैं और मांगें लेकर आते हैं सदन के सामने और माननीय सदस्यों का अधिकार है कि........

श्री श्योपतसिंह मकासर : विकलांग।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी समस्याओं के बारे में सदन को अवगत करायें लेकिन मेरा केवल यही संकेत मात्र था कि बहुत से ऐसे विषय हैं कि जिनमें माननीय सदस्य सहयोग करें। सदन के समय का अपव्यय न हो तो सीधा सम्पर्क मंत्री महोदय से करा सकते हैं, बातचीत करा सकते हैं और मन्त्री महोदय ध्यान नहीं दें तो आसन के सामने चर्चा के द्वारा उनका ध्यान भी आकर्षित किया जाता है। प्रक्रिया बतायें कि ऐसे मामलों में आप मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य से सहयोग चाहेंगे और कार्यवाही चाहेंगे और वे ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं तो आपका अधिकार और कर्त्तव्य है कि आसन के समक्ष रखें। मेरा आशय था कि मंत्री महोदय से सम्पर्क करने के बाद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, डेपूटेशन से नहीं मिले तो आपका अधिकार है, आसन जरूर सुनेगा, लेकिन कभी-कभी इस प्रकार की विशेष परिस्थितियां आती हैं जब सदन का बहुमूल्य समय कार्यवाही में उस समय लेना चाहते हैं, इस प्रकार की बहुत सी बातें हो सकती हैं, सूचना के माध्यम से और जानकारी देकर जिसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप लिखित जानकारी मांग लेते या मंत्री महोदय को उस बारे में संकेत दे देते, आपने सदन में ध्यान आकर्षित किया उसके लिए निवेदन करता हूं। लेकिन सामान्यतः इस प्रक्रिया के द्वारा मंत्री महोदय से पहले मिल लीजिए और उनसे सहयोग नहीं मिलता तो आसन की तरफ से सहयोग दिया जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : यहां यह परम्परा है कि सदन के सामने प्रदर्शन होते हैं। सरकार के सामने रिप्रजेन्टेशन लेकर आना है तो कहते हैं कि सैक्रेटेरियट जाओ। लेकिन यहां जब सदन के सामने प्रदर्शन करते हैं और सदन के प्रतीक आप हैं। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था निकाली जाए कि जो प्रोसेशन्स आयें, यहां सवाल उठा लिया, वर्ना हमें तो पता ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन के सामने डेपूटेशन आते हैं उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए, कुछ न कुछ प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे वे लोग डेपूटेशन में आकर मंत्री से मिलें, मत्री क्या करते हैं उसकी सूचना सदन में दें। वे सैक्रेटेरियट में जाकर मिल सकते थे लेकिन जब सदन के सामने आते हैं तो माननीय सदस्यों का अधिकार है, सरकार जो कुछ फैसला करे, हमें बताए, ताकि मालूम हो। There is difference between going to Secretariat and coming to this House. यह रोज का सवाल है, कभी अलाउ कर देंगे कभी रोक देंगे। इसलिए बैठकर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब कार्यवाही परम्पराओं के आधार पर चलती है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य जोर शोर से बोल रहे हैं। उन्होंने जो परम्परायें स्थापित की हैं उनके अनुसार आज तक कोई भी मंत्री इस बात के लिए विवश नहीं किया गया है कि वह डेपुटेशन से जाकर बाहर मिले या अन्दर मिले। न माननीय अध्यक्ष को इस बात के लिए विवश किया गया कि वह डेपूटेशन से मिलें। यहां जितने डिमान्सट्रेशन्स होते हैं कोई डिमान्सट्रेटर ऐसा नहीं होता या प्रतिनिधि नहीं होता जिससे मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं मिलता, उनकी समस्याओं पर चर्चा नहीं करता और जितना समाधान हो सकता है उसके बारे में कार्यवाही नहीं करता। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही है, वह विचित्र बात है। अगर राजस्थान विधान सभा का बिल्कुल ऐसी संस्था के रूप में विकास करना चाहते हैं, चाहे और कोई उदाहरण नहीं मिले और केवल राजस्थान में ही ऐसा उदाहरण बने तो मैं कह नहीं सकता, वर्ना मैं माननीय सदस्यों से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या हिंदुस्तान में कोई लोकसभा, राज्य सभा और बाकी विधान सभायें और विधान परिषदों में कहीं ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर जितने डेपूटेशन्स आए उनके सम्बन्ध में सरकार को निश्चित रूप से खड़े होकर स्टेटमेंट देना पड़ा या अध्यक्ष को कार्यवाही में हस्तक्षेप करना पड़ा? आप ऐसी परम्परायें कायम करें, आप 20 वर्ष तक मन्त्री रहे हैं, और कभी डेपूटेशन से बाहर जाकर मिले हैं? आप भी मिलते हैं, हम भी मिलते रहे हैं जैसे मन्त्री महोदया उनसे मिल कर आई हैं उनकी काबू की बात थी, वह बता दी और उनको सन्तोष भी हुआ है तो ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि डेपूटेशन आए और जानकारी सदन में दी जाए कि क्या बातचीत हुई, यदि कोई नई व्यवस्था लाना चाहते हैं तो मैं विवश हूं। इस प्रकार की लोकतांत्रिक संस्था आज तक देश में कहीं नहीं हुई है इसलिए मैं मजबूर हूं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो कुछ कहा है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि कोई रास्ता निकालना चाहिए कि उनसे पिटीशन लेकर पिटीशन कमेटी में देनी चाहिए........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी विधायक पिटीशन लेकर दे सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप कहते हैं कि बाहर आने वाले लोग चिल्लाते रहें तो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि परम्परा कायम होनी चाहिए जिससे उनका रिप्रेजेन्टेशन हो तो पिटीशन कमेटी में रेफरेंस हो जाए। कोई न कोई रास्ता निकालें यह मैंने सुझाव दिया है। मन्त्री से मिलना हो तो घर पर, सैक्रेटेरियट में जाकर मिलेंगे, मिलें न मिलें उनकी मर्जी है। लेकिन जब यहां आते हैं यहां सदस्य बैठे हैं, यहां तो नहीं बोल सकते, हल्ला-गुल्ला होकर बात खतम हो जाती है। इसलिए कोई प्रक्रिया निकाली जाये जिसके कारण इस सदन के सामने जो डिमान्सट्रेशन्स होते हैं, लोगों को मालूम हो कि हमारा रिप्रेजेन्टेशन सदन में पहुंच गया। हाउस आफ कामन्स में डिमान्सट्रेशन्स होते हैं तो पिटीशन्स कमेटी का जो पिचर लगा रहता है उसमें डाल देते हैं।

श्री शंकरलाल : मुझे निश्चित तौर से याद है नेता महोदय, जब यहां विरोध में थे, प्रदर्शनकारियों के लिए मांग करते थे, प्रोसीडिंग्स देखिए, कि मन्त्री महोदय, जायें और उनसे मिलें और नेता होने के बाद उनकी मान्यता बदल गई हो तो पता नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : परम्परा इस सदन की रह रही है, मुझे इस बात की जानकारी तथा अनुभव है कि लोक-सभा व राज्य सभा में क्या पद्धति या प्रक्रिया है। जब कभी डिमान्सट्रेशन में लोग आते हैं, समस्याओं को लेकर, अपना मांग पत्र लेकर आते हैं और पूर्व में हमेशा 25 साल की यह परम्परा मैं देख रहा हूं कि उस डिमान्सट्रेशन के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उनकी मांगों की तरफ और सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वह उनके प्रतिनिधियों से मिले। ऐसी व्यवस्था पिछले सत्र में आसन के आदेश से हुई है और एक कमरा भी इस बात के लिए अलाट किया गया है जहां डिमान्सट्रेशन के प्रतिनिधि जाते हैं और मन्त्री उचित समझता है तो वहां जाता है। हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप जायें। लेकिन खास तौर से सदन के नेता जब कभी यहां प्रदर्शन आते रहे हैं, उस मसले को बिना आसन को पूर्व सूचना के उठाते रहे हैं। मिलना या न मिलना मन्त्री की डिस्क्रेशन पर है, स्वेच्छा है लेकिन जन समस्याओं को लेकर सदन के सामने लोग आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि क्योंकि सदन सत्र में है, सदन के सामने उचित मांग रखेंगे तो निश्चित तौर से जन प्रतिनिधि हमारी मांगों के समर्थन में कुछ बात सदन के प्रांगण में कहेंगे। यह जो पद्धति है उसके अनुसार जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य किसी प्रश्न को रख रहे हैं कि डिमान्सट्रेशन आया है। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि समाज कल्याण मन्त्री मिल चुकी हैं। लेकिन हमारा अधिकार है कि ऐसे लोग जो सदन के बाहर आये प्रदर्शन लेकर आये, उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करें। आप परम्पराओं की दुहाई देते हैं, यह परम्परा रही है।

श्री हरीश शर्मा : यह परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में नेता महोदय ने अपने विचार व्यक्त किये लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनके विचारों से सहमत होने से विवश हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सारे राजस्थान की जनता का प्रतीक है और यहां पर सारे राजस्थान के जन प्रतिनिधि विद्यमान हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के नागरिकों का अधिकार है और एक स्वतन्त्र देश के अन्दर नागरिकों को विधान सभा के प्रांगण में अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और यह परम्परा आज की नहीं है, शुरू से ही रही है। नेता महोदय जब विपक्ष बैठा करते थे तब बार-बार इस ओर संकेत करते थे और यह कहते थे कि मन्त्री महोदय खुद जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलें। नेता महोदय यहां पर आग्रह करते

(श्री लक्ष्मणसिंह)

थे, संकेत करते थे, और कई बार बहिर्गमन करते भी देखे गये थे।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे याद है आप मुझे कई दफा नीचे डेपूटेशन से मिलने के लिए जबर्दस्ती पकड़ कर ले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जबर्दस्ती नहीं जब आप आ रहे थे तो मैं आपको ले गया था।

श्री मथुरादास माथुर : हम आपकी तरह बारी से नहीं आते थे, हम तो खुले दरवाजे से आते थे।

श्री लक्ष्मण सिंह: हम प्रदर्शन करने गये थे दिल्ली। हमने लोकसभा के सामने प्रदर्शन किये, हमारे प्रतिनिधियों को लोक सभा के अध्यक्ष से मिलाया। तो प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। यह सदन सुप्रीम है और कोई ऐसा नियम नहीं हो सकता जो कि उनको प्रदर्शन करने से रोके। यहां सदन में उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मिलना या नहीं मिलना, यह सरकार के अधिकार की बात है। लेकिन यहां पर यह परम्परा रही है कि यहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे सम्मान पूर्वक बातचीत करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि नेता महोदय का जो आचरण है वह बिल्कुल ही परम्परा के विपरीत आचरण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो मिले हैं, साहब।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं इनके आचरण के प्रति असन्तोष प्रगट करता हूं विरोध प्रगट करता हूं। इसके साथ, मैं सदन के दोनों पक्ष के सम्माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस बारे में कहें। यह हमारे सदन के सम्माननीय सदस्यों का अधिकार है। इन्हें कहना चाहिए ताकि मन्त्री मण्डल का घमन्ड कम हो और उनको अपनी वास्तविकता दीखे।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। शायद, जैसा कि मुझे याद पड़ता है पहले जब श्री भैरोंसिंह जी साहब यहां मेरे साथ ही बैठते थे उस वक्त ऐसे प्रदर्शन जब होते थे तब 8-8 या 11-11 लोगों के प्रतिनिधि मण्डल यहां आते और मन्त्री लोगों से बात चीत करते थे। यहां पर सदन में उनके बारे में घन्टों चर्चा होती थी। यहां पर शराब बन्दी के बारे में भी प्रदर्शन हुआ उस वक्त महारावल साहब इधर से उठकर उधर गये तो यह तो परम्परा रही है। आपने ही परम्परा को बिगाड़ा है वरना तो जो डेपूटेशन आते थे उनसे मिला जाता था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने नहीं जनता पार्टी ने।

श्री मदनसिंह दांता : उन्हीं की कह रहा हूं। यहां पर एक कमरा बना हुआ है इसके लिए लेकिन आपने तो ऐसी व्यवस्था कर दा है कि कोई तीसरी नाल को चढ़ कर ही नहीं आ सकता मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहां पर आपके मन्त्री जो हरिसिंह जी थे, प्रोफेसर केदार जब मन्त्री थे, वह जाकर नीचे लोगों से मिलते थे। इससे उन लोगों को सन्तोष होता है। अगर आप नहीं मिलेंगे

(श्री मदनसिंह दांता)

तो लोग यहां पर ऊपर से पर्चियां फेंकेंगे और पर्चियां फेंकने वाले किसी भी माननीय सदस्य के दस्तखत कराकर आयेंगे। और फिर पर्चे फेंकेंगे। आप यहां पर फिर उसको डिस्कस करोगे। तो मैं समझता हूं कि जो परम्परा रही है पांच व्यक्तियों के प्रतिनिधि मण्डल से बुलाकर बात करने, को उसको कायम रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। वह मिल चुके हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मिल चुके हैं, पर मिलकर क्या किया? हम तो यह सुनना चाहते हैं। प्रश्न यह है इन्होंने हां कहा या ना कहा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मन्त्री जी यहां सदन में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी कोई डेपूटेशन आता है तब माननीय सदस्य यहां पर आकर मन्त्री महोदय को मिलने के लिए आग्रह करते हैं। अब यह मन्त्री महोदय की इच्छा पर है कि वह मिलें या नहीं मिलें। और जब पहले मिल चुके हैं मन्त्री जी तो यहां पर सदन में सभी बातें कहें, ठीक नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रदर्शन सार्वजनिक होते हैं और कई बार सार्वजनिक महत्व के डेपूटेशन नहीं होते हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन भी होते हैं। तो सभी ऐसे प्रदर्शनों की यहां पर सदन में चर्चा की जाय, उचित नहीं है। कई लोग अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन विधान सभा के बाहर करके मन्त्री महोदय से मिलना चाहते हैं पर मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए मिलना कोई जरूरी नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मिल कर क्या निर्णय लिया?

श्री उपाध्यक्ष : अगर सार्वजनिक महत्व का कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो चाहे सदन में माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये या स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह माननीय सदस्यों को अधिकार है। श्री श्योपतसिंह जी आप विराजिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है, राजस्थान केनाल एरिया के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिल चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कल मुझे एक पत्र जनता पार्टी के महामन्त्री, जो बेरीवाली तहसील बीकानेर के हैं, ने दिया। उन्होंने अपने पत्र में मुझे लिखा है कि राजस्थान केनाल के एरिया में हजारों किसानों को नोटिसेज दिये जा रहे हैं और काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है क्योंकि उन काश्तकारों ने एक या दो किश्तें नहीं जमा करायी हैं। इतना ही नहीं, कुछ उनमें ऐसे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

लोग भी हैं, जिनको जमीन का कब्जा भी नहीं मिला है और उनमें बकाया निकाल कर उनको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग राजस्थान केनाल के डूंडा कटारी, और लूनाखा माइनर एरिया के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहा पर जिन काश्तकारों को जमीन अलाट की गयी थी उन लोगों को कब्जा इसलिए नहीं मिला कि वहां जो पत्थर, मुरब्बा के चारों तरफ लगा हुआ होता है, वह नहीं लगा होने से उनको पता नहीं चला कि उनकी जमीन कौन सी है, कौन सा मुरब्बा उनका है। पटवारी ने उनका कब्जा नहीं दिया तो यह राजस्व विभाग की गलती है न कि किसानों की। राजस्व विभाग ने क्यों नहीं पत्थर लगाये ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह वह लोग हैं जो कि आपसे कुछ उम्मीद करते है। इमर्जेन्सी में सताये हुए हैं। इमर्जेन्सी में उनकी जो किश्तें 20 साल में पूरी होने को थी, उन्हें दस साल में पूरी करने के आदेश दे दिये। तो हम चाहते हैं कि आज हजारों किसानों को बिना उनकी गलती के बेदखल किया जा रहा है जो इमर्जेन्सी के पीरियड में ज्यादती के शिकार हुए हैं, उनकी इन्स्टालमेंट कम करनी थी उसको ठीक की जाय और उन्हें बेदखल होने से रोका जाए। आप अन्त्योदयी परिवारों को भला करने की बात कहते हैं दूसरी तरफ आप इस तरह से उनकी जमीनों से बेदखल कर उन्हें अन्त्योदयी बना रहे हैं तो फिर उन गरीब किसानों का क्या होगा ? ऐसी सूरत में, मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इन्सट्रक्शन्स दीजिए कि अकाल के दौरान में, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर अगर किसी की जमीन काटी जाती है वह नहीं काटी जाये और उनको पाबन्द किया जाये। अगर जमीन तोड़ने के नोटिस देते हैं तो भयंकर असन्तोष फैल जायेगा, ऐसी सूरत में आपको समस्या का हल करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य....

व्यवस्था का प्रश्न

मन्त्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

श्री गुल मोहम्मद : पाइन्ट आफ आर्डर, सर,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने विधायी कार्य पुकार लिया है।...

श्री गुलमोहम्मद : मैं पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। मैंने 22 तारीख को एक निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी थी और अभी तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में मिल लें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में तीन-चार बार मिला लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि मैं व्यवस्था दूंगा। लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं दी गयी है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय यहां हों तो मैं उनसे व्यवस्था मांग लूं लेकिन होता यह है कि जब वह यहां होते हैं तो मैं नहीं होता....

श्री उपाध्यक्ष : आप पधारें अभी वह चैम्बर में ही हैं।

श्री गुल मोहम्मद : चेम्बर में काम नहीं बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कोई व्यवस्था दी जाये। आज एक मंत्री के चरित्र के बारे में किसी प्रकार की बात सामने आई है और मैंने निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी है। पहले भी इस प्रकार की सदन की परम्परायें रही हैं कि जब इस प्रकार की सूचना सदन में आई है तो उसी समय निन्दा प्रस्ताव लिया गया और उस पर विचार हुआ। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे निन्दा प्रस्ताव को लिया जाये और व्यवस्था दी जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी जब विरोध में बैठे थे तब उन्होंने इस प्रकार के कई निन्दा प्रस्तावों की सूचना सदन में बैठे बैठे ही दी तो उसी समय उसको विचारार्थ लिया गया। उसमें देरी नहीं की और आज जब वह मुख्य मन्त्री हैं तो निन्दा प्रस्ताव के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न उसी सम्बन्ध में उठाया जा सकता है जो कि उस समय बिजनेस ट्रान्जेक्ट किया जा रहा हो। आप उसके बारे में व्यवस्था उठा रहे हैं जो माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। आप व्यवस्था का प्रश्न जब माननीय अध्यक्ष पधारें, उन्हीं के सम्मुख रखें। यह उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है और उनसे ही सम्पर्क करें।

विधायी कार्य।

राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979

परिनियत संकल्प

श्री मूलचंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 मई, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 2, सन् 1979) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, 31 मई का दिन ऐसा होगा जिस दिन जनता पार्टी के घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में होंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा अध्यादेश जारी किया जिस अध्यादेश को 1922 का जो एक्ट था उस एक्ट के आधार पर आपने निकाल करके एक आध्यादेश जारी कर दिया। दरअसल यह 31 मई को प्रकाशित नहीं हुआ था। यह 2 जून के पेपर में प्रकाशित हुआ। श्रीमान् यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया? जब कभी दमन की नीति चलती है तो विद्रोह होता है। मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे मुख्य मन्त्री और बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं कि हमारी पुलिस का काम कानून और व्यवस्था बनाये रखना है और दूसरी तरफ कहते है कि उन्हें जनता का विश्वास अर्जित करना है। बड़े सुहावने भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद एक तरफ जब बेचारे दाल की छोंक में छमका लगी हुई कुछ छटांक दाल और आपके लंगर की भुनी हुई रोटियां खाते हैं और उसके बाद 24 घन्टे, 18 घन्टे आप उनसे काम लेते हैं और काम लेने के बाद जब वह अपनी मांगें रखते हैं तो आप अध्यादेश जारी करते हैं। आज आप एक एस० पी० के घर जायें, वहां पर अर्दली एस०पी० की ही नहीं बल्कि एस० पी० की बीबी और बच्चों की सेवा करता है। शादी–विवाह में पुलिस का जवान उनके बरतन तक घिसेगा। आपके यहां अर्दली की व्यवस्था है और यह आपने

(श्री मूलचन्द डागा)

बना रखी है। यह ढर्रा शुरू क्यों हुआ? हिन्दुस्तान के कई अन्य राज्यों में यह है। एक विधायक पटियाला में गुजर रहा था और जो पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी उसने सलामी नहीं दी तो सलामी नहीं देने के कारण उसने जाकर शिकायत कर दी और यह रिपोर्ट की कि वह दारु पीए हुए है। नतीजा यह हुआ कि शराब पीए हुए नहीं था, आपकी धमकी के कारण उसे बुखार आ गया। इस तरह से सत्ता अन्याय करती है। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों पाप हैं। गीता में भी कहा है कि भगवान को भी ललकारो यदि वह अत्याचार करता है तो।

जब संविधान की धारा 51 और 19 (सी) में कहा गया है और यूनियन फार्म करने का अधिकार है और यह संविधान की धारा है उसके अन्तर्गत पुलिस के लोगों ने अपनी मर्यादा में रहते हुए अपनी मांगें रखीं, अपनी बातों को कहा कि हमें सप्ताह में छुट्टी दी जाये और हमारे साथ वही व्यवहार कीजिए जो आर्टिकल 309 कहता है।

श्री जयप्रकाश जी ने एक बार कहा था। मैं उनकी तो नहीं कहता। आप जयप्रकाश जी की बात भूल जायें लेकिन मन्त्री कभी दौरों पर जाते हैं तो आठ-आठ घण्टे बेचारे पुलिस वाले खड़े रहते हैं लेकिन कभी आपने उनकी आंखों में देखा है, झांका है, उन गरीबों की आंखों में देखा है? क्या है वहां पर?

आपके पुलिस आयोग ने क्या कहा? धर्मवीर ने कहा कि 500 रु० दें। 6 जून को बुलाया होम मिनिस्टर ने और आप भी गये और मुख्य मन्त्री जी भी गये होंगे। 6 जून को उन्होंने यह कहा कि यूनियन फार्म करने का इन्हें अधिकार है। अर्दली प्रथा खतम कर दी जायेगी। यह प्रोसीडिंग्स में है, देख लें....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : एसोसियेशन बनाने का अधिकार है?

श्री मूलचन्द डागा : एसोसियेशन बनाने के लिए कहा है। अर्दली प्रथा के लिए कहा है। यह उनका आश्वासन है और जब डिस्कशन हो गया तो आपके मुख्य मन्त्री 9 जून को भाषण देते हैं कि किसी का बदले की भावना से चालान नहीं किया जायेगा। लेकिन आपने 124 आदमियों को निकाल दिया। सेवाओं से निकाल दिया, इसका क्या कारण था? अध्यादेश लाने का मतलब यह था कि उनका दमन करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा था और आश्वासन दिया था कि सप्ताह में छुट्टी दी जाये, तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए।

"Referring to the working conditions, Mr. Patel stated that the Conference felt that something had to be done about the long working hours. At present the average period of working for police personnel is spread over 14 hours per day."

तब उन्होंने कहा कि एसोसियेशन बना सकते हैं। जब 6 जून के बाद यह बातें प्रकाशित हुई तो जो पदाधिकारी थे उन्होंने सांभर जेल में कह दिया कि हम हड़ताल

(60)

(श्री मूलचन्द डागा)

वापिस लेते हैं। आपने आश्वासन दे दिया। आपने 123 आदमियों को विक्टीमाइज किया है। उनको निकाल दिया है और जिनका विक्टीमाइजेशन किया गया वह कौन कौन हैं, यह मैं अलग-अलग आंकड़े देने के लिए तैयार हूं। 5 सब इन्सपेक्टर्स, 12 ए० एस०आई०, 17 हैड कान्सटेबल, और 58 कान्सटेबलों को, आपने कुल इस तरह से 123 कर्मचारियों को, सेवाओं से छुट्टी दे दी और आश्वासन देकर भी निकाल दिया। लेकिन याद रखिये, अगर किसी का दमन किया जायेगा और अपनी मांगों को लेकर कोई आज अपनी बात कहे लोकतांत्रिक रास्ते से, उसकी आपने आवाज क्यों नहीं सुनी ? दो साल से यह बराबर हो रहा है। जब से आपका शासन हुआ है तब से हो रहा है। एक सौभाग्य की बात है कि यहां पर पहले मुख्य मन्त्री पुलिस के कर्मचारी रहे हुए हैं और वही आज उनकी बातों का तिरस्कार कर रहे है और अवहेलना कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं ? मैंने एक एस. पी. के घर पर देखा। नाम नहीं लूंगा उस एस. पी. का। वहां पर एक नाई था, जिसका काम यही था कि एस. पी. साहब की हजामत कर दे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी बजाने का सवाल नहीं है। यह सवाल सारे देश का है। 123 आदमियों को आपने गिरफ्तार किया। उन लोगों ने क्या किया ? 50 आदमी घर पर थे। कुछ ड्यूटी पर थे। रिकार्ड कहता है। घर से पकड़ कर लाए। नरोत्तमलाल पाराशर जिसको गोविन्दसिंह डी. आई. जी. ने कमरे में बन्द करके मारा। उसकी क्या हालत हुई। उसके 9 लड़के हैं। उसे नौकरी से निकाल दिया। उसकी औरत की हालत चिन्ताजनक है। शंकरलाल शर्मा, क्षेत्रपाल, इस तरह के लोगों को विक्टीमाइज किया, उन लोगों ने अपनी मांगे रखीं। मुझे तो यहां तक मालूम हुआ है, आपने कहा है, यों बैठे-बैठे मांगें स्वीकार नहीं होतीं, आन्दोलन भी करो। उनको यह कहा कि यों करो। जब उन्होंने आन्दोलन किया, कोई हिंसात्मक आन्दोलन नहीं किया, उन्होंने कोई आगजनी का काम नहीं किया, उन्होने कोई बस नहीं लूटी। जो उनके दिल में ज्वाला थी वह धधकी है। अभी आपने 1922 का एक्ट देखा है। सारे शासन प्रशासन को लकवा मार गया है। यह प्रशासन ही नहीं है। यह 1922 का एक्ट, ब्रिटिश शासन के जमाने का लाकर रखा है। पुलिस भी कहती है, हम भी भारत माता के लाल हैं, उनका भी अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार दिये हैं। आत्म सम्मान उनका जाग उठा है। वे भी आजादी के साथ जीना चाहते हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यादेश के कारण लिखे हैं, उन कारणों में जाना चाहता हूं। कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा। मेहरबानी करके भाषा को तो बदल दो। जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया है। पुलिस के 'पथ भ्रष्ट'। कौन पथ भ्रष्ट है ? पथ भ्रष्ट वे हैं जिन्होंने मांगें स्वीकार नहीं कीं। जो अन्याय सहना नहीं चाहते, उनको आपने पथ भ्रष्ट कहा है ? यह हिन्दी का शब्द लिखा है। पुलिस का जवान इन्टर-

(श्री मूलचन्द डागा)

मिडियेट आता है, मैट्रिकुलेट आता है वह नहीं चाहता कि मैं बूट पालिश करूं। वह नहीं चाहत एस० पी० की गाली सुनना। म्यूटिनी के समय में जो कानून लागू था वह लगा दिया—"अनुशासन हीन"। किसने अनुशासन तोड़ा? अनुशासन तो आपने तोड़ा है। उन्होंने तो अपना अधिकार समझ कर मांग की है। उन्होने अपनी मांग रखी है 1978 के अन्दर। कल तो गृह मन्त्रजी उत्तर दे रहे थे "सिद्धान्ततः हमने उनकी यूनियन का सिद्धान्त मान लिया है।" उन्होंने 5 मांगें सामने रखी हैं। यह चिट्ठा कब दिया? उस पर आपने क्या किया, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपके संशोधन भी हैं, उन पर भी आप बोलेंगे। कुछ आर्गूमेंट्स बाद के लिये भी आप रहने दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात चाहता हूं, उन्होंने यह कहा कि मान्यता दी जायेगी। क्या सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों को यह आर्डर मिल गये हैं कि वे यूनियन बना कर संगठित रूप से अपनी बात रख सकते हैं? आपने सदन में यह स्पष्ट कबूल किया है। बात करते हैं, बदले की भावना से नहीं लेंगे। आपने 123 आदमियों को सड़क पर छोड़ा है।

एक बात और कहना चाहता हूं। आपको नये टेक्नीक से काम लेना होगा। मैं चाहता हूं इस प्रकार का आर्डिनेन्स जो आया है उनको पथ भ्रष्ट कहें, उनको अनुशासनहीन कहें। श्रीमान्, राजस्थान में जितने पत्र निकलते हैं, चाहे दैनिक नवज्योति हो, चाहे राजस्थान पत्रिका, या राष्ट्रदूत, सब ने 9 जून को यह प्रकाशित किया है और आपने 31 मई की रात को ही गिरफ्तार कर लिये। लोगों को कानून का पता नहीं। लोग घरों में बैठे हैं कहां जालौर, कहां पाली, कहां बाड़मेर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार का कानून, यह पहले भी 1922 का ब्रिटिश शासन के जमाने का काला कानून था। पुलिस दमन के लिये रखी थी। आज पुलिस का रवैया वह नहीं रहा। पुलिस जनता का विश्वास अर्जित करना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं इस प्रकार का अध्यादेश, इस प्रकार के कारण अगर सरकार देती हो और वे विधायक जिन्होंने शपथ ली है, अगर उसका सम्मान करते हैं, मेहरबानी करके इस अध्यादेश को वापिस ले लें और उन लोगों को वापिस ले लें नहीं तो आप दुनिया के कोई भी सविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले नहीं हैं। मैं फिर दूसरी रीडिंग में और बातें कहूंगा। धर्मवीर आयोग बैठा हुआ है, उसने क्या निर्णय लिये, आपके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने क्या निर्णय लिया, यह सारी बातें बताना चाहूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : मेरा भी एक संकल्प है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाये। उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज से 6 महीने पहले इसी सदन की दर्शक गैलेरी से कुछ पुलिस कर्मचारियों ने पर्चे फेंके थे। वह इस बात का संकेत था

62

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कि पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष है। उन्होंने अपनी मांगों के लिए इस राजनैतिक सत्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास किये। उसके पहले कई दिनों से विधान सभा के मुख्य द्वार पर टेन्ट लगाकर बैठे हुए थे। इस सदन में बार-बार मांग की गई कि आप इन राज्य कर्मचारियों से बात करके, इनकी जो डिजाइन डिमाण्ड है, जो सही डिमान्ड्स हैं उनको आप पूरा करें। पुलिस कर्मचारियों से हम अनुशासन की मांग करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश की आम फोर्स, देश की पुलिस फोर्स में अनुशासन भंग नहीं हो तो यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि जो व्यक्ति अपनी मांगों के सम्बन्ध में सड़क पर आकर संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उनकी मांगों को हमें पूरा करना होगा।

जब माननीय प्रोफेसर केदार गृह मन्त्री थे, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस कर्मचारियों का राशन भत्ता पांच रुपये ही बढ़ाया गया बड़ी मुश्किल से। तत्कालीन गृह मन्त्री ने मन्त्रिमण्डल को इस बात के लिए राजी किया कि पांच रुपया इस महंगाई के जमाने में माहवारी भत्ते के रूप में बढ़ाया जाय। जो सरकार अपने पुलिस कर्मचारियों की सही मांगों के प्रति कुम्भकरण की नींद सोती है, जो उपेक्षा का व्यवहार करती है तो उनके लिए भी अन्य कोई रास्ता नहीं है। जब पुलिस कर्मचारी देखता है मास्टर, डाक्टर, इन्जीनियर, बाबू बारी-बारी से स्ट्राइक करते हैं। डाक्टरों ने स्ट्राइक करके, इन्जीनियरों ने काम बन्द करके, बाबू लोगों ने कलम बन्द करके इस राज्य सरकार के घुटने टिकाये हैं तो फिर पुलिस कर्मचारी भी वह रास्ता क्यों नहीं अपनायेंगे अपनी मांगें मनवाने के लिये? दूसरे पुलिस कर्मचारियों के लिए हमारे गृह मन्त्री महोदय चुपचाप बैठे रहे और कोई कारण नहीं बता रहे हैं तो फिर वे कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर आते हैं तो आप उनके लिए यह काला कानून बनायें। मैं समझता हूं, यह राज्य सरकार आपात काल के कानून से भी बढ़कर यह कानून सदन में ला रही है। 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' वाली बात यहां हो रही है। जो यह काला कानून ले आये। आपकी यह हिम्मत है। वे यह कहें कि हम यह कानून इसलिए लेकर आये कि राजस्थान पुलिस कर्मचारी चाइना से मिल रहा है, पाकिस्तान से मिल रहा है या देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या आज एक तीन सौ रुपए पाने वाला चपरासी........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, बहुत सी बातें तो मूलचन्द जी ने कह दी हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूं इसलिए बैठ भी जाऊंगा। थोड़ा सा और कह लेने दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कहना चाहता हूं, एक पुलिस कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है और उसका वेतन अन-स्किल्ड से भी नीचा। यह कानून ब्रिटिश शासन में था और आप जनता सरकार में कर रहे हो।

दूसरा, इंडियन पुलिस सर्विस काडर के अधिकारी को तो एसोसिएशन बनाने का अधिकार आज से नहीं लगभग 20 साल पहले से है। आज आपके एस. पी., डीवाई. एस. पी. तो इंडियन पुलिस एसोसियेशन के मेम्बर हैं। उनको भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के अन्तर्गत अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के अधिकार दिये हुए हैं और जब चन्द पुलिस कर्मचारियों ने अपने अधिकार मांगे तो उन लोगों की बात नहीं मानी। इसी बात के लिए उन लोगों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए यह आन्दोलन किया और उस आन्दोलन में 124 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा और मुझे मालूम है, बीकानेर में स्ट्राइक कैसे चालू हुई। पुलिस के चन्द व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस के बड़े अधिकारी बीकानेर में खुले आम शराब बिकवा रहे हैं और बताया गया कि लाखों रुपयों की शराब यहां बिकती है। लेकिन दुःख है कि उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने कहा, एक-तरफ हम अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको इस प्रकार की ड्यूटीज करने से रोका जाता था। लाखों रुपयों की घूस बड़े-बड़े अधिकारियों को दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा, शराब के धन्धे में राजनैतिक सत्ता का भी हाथ है। अनूपगढ़ से बीकानेर शराब आना मना है पर सूरतगढ़ से अनूपगढ़ लाना खुला है। मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं उनको नाम भी बताऊंगा लेकिन अभी नाम लेने से हिचकूंगा, अभी नाम नहीं लूंगा। परन्तु बीकानेर शहर की जनता जानती है। जनता के सामने हजारों लीटर शराब, पुलिस के अधिकारियों के सामने, बिक रही है तो श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय गृह मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि इनको सरकार के वित्त मन्त्री ने बीकानेर में उन पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि आप अपने आन्दोलनों को वापिस ले लें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जिन पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है उनको पुनः नौकरी में लिया जाय। अभी वे सदन में हैं नहीं, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि बीकानेर के पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया था या नहीं। अगर वित्त मन्त्री जी की बात सरकार नहीं मानती है तो उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनका बहुमत है। इन्दिरा जी का भी बहुमत था और उन्होंने आपात काल लागू कर दिया, पार्लियामेंट से अप्रूवड करा लिया। आप भी यह अप्रूवड करा लेंगे। परन्तु पुलिस कर्मचारियों की जायज मांगें सरकार ने तुरन्त नहीं मानी तो इस एक्ट के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे। जो इन्सान अपने हितों के लिये मरना जानते हैं, उनको कभी यह कानून नहीं रोक सकता है। भगत सिंह को मालूम था कि पार्लिया-

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

मेंट में बम फेंकने से फांसी होगी तो वह खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। पुलिस कर्मचारियों को भी मालूम है कि यदि आंदोलन किया तो गोलियां चलेंगी और गोलियां खानी पड़ेंगी किन्तु उससे वह जायज मांगों के खातिर पीछे नहीं हटेंगे। भूख के सामने मरने से आत्म सम्मान ज्यादा जरूरी है। वह पुलिस कर्मचारी आपके इस कानून को तोड़ देगा फिर आप क्या कर लेंगे ?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

पांच मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार पर मेरा आरोप है कि उन्होंने निर्दोष पुलिस कर्मचारियों को निकाला है। आज वे देश के कानून की पालना तभी करेंगे जब उनको मालूम होगा कि कानून से बनी हुई सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार है। हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिये ही नहीं, अपितु समस्त नागरिकों के लिये तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने एक बात कही थी, भय मुक्त रहें। जयप्रकाश जी ने भी इस बात को माना है कि जायज बातों के आगे किसी की परवाह मत करो। जब यह बात जनता पार्टी के महान् नेताओं ने कही है तो फिर पुलिस कर्मचारियों को अनैतिक और अव्यवहारिक नहीं मानना चाहिये। उनको कहा गया कि राजघाट पर टीयर गैस छोड़ो। अगर गलत हो तो कह दो कि जे. पी. ने यह गलत स्टेटमेंट दिया है। एक और राष्ट्र के बड़े नेता इन पुलिस कर्मचारियों को सीख देते हैं, देश के निवासियों को सीख देते हैं कि हमें गला कानून नहीं मानना चाहिए और ऐसे कानून नहीं मानने चाहिए और दूसरी तरफ उनकी दुहाई देकर आप सत्ता में आ गए हैं। इन लोगों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हैं। इस सरकार को धिक्कार है। इस सरकार में आत्म सम्मान नहीं है। यह सरकार कल्याणकारी सरकार नहीं बल्कि तानाशाहों की प्रतीक है। यह निकम्मी है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह उस पुलिस कर्मचारी का पेट बोल रहा है। यह उस पुलिस कर्मचारी की बीबी का पेट बोल रहा है। क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भरता जिनको इंसान तो क्या जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने आई. पी. एस. और आर. ए. एस. अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दीं : आपने सचिवालय में तीस पद कमिश्नरों के लिए खोल दिए.... ..

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी .. ....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप सचिवालय को ठण्डा करने के लिए 18 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। परन्तु इन गरीबों के पेट की आग को ठण्डा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये वाजिब मांग करते हैं तो आप काला कानून लाकर उनको दबाना चाहते हैं। ये जेलें भर जायेंगी। पुलिस कर्मचारी नहीं रुकेगा। उनके पीछे हम जैसे कितने ही नौजवान हैं जो उनकी सही मांगों के ऊपर उनका साथ देंगे। परन्तु अफसोस है कि यह जनता सरकार देश को कूड़ा कर देगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री हरचन्द्र सिंह : माननीय गुप्ता जी ने अभी कहा कि जे. पी. और जे. बी. की बात करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जे. पी. और जे. बी. की तब करते हैं जब चौधरी चरणसिंह को बदनाम करना होता है। ये सड़ी हुई लाशें हैं उनका क्या करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मंजूर अली और हरजीराम बुरड़क दोनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए शायद मुझे बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कृपया बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो परिनियत संकल्प कई माननीय सदस्यों ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो कारण इस अध्यादेश को प्रसारित करने के लिए राज्य सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत किए हैं वह कोई वैलिड कारण प्रतित नहीं होता, अध्यादेश को प्रस्थापित करने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्मरण दिलाने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि जब बजट सत्र चल रहा था और पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर के विधान सभा, सदन के बाहर हड़ताल की थी, तम्बू भी लगाये थे, उस वक्त राजस्थान की जनता सरकार और राज्य सरकार ने उनकी माँगों के सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दिए थे। जैसी मुझे जानकारी मिली है, उपाध्यक्षजी, उन मांगों पर विचार करने के लिए जो आश्वासन दिया वह आश्वासन झांसापट्टी था, वादाफरोसी थी। इसलिए असंतोष फैला है पुलिस फोर्स में। इन कारणों में यह बात कही गई है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने यह आन्दोलन किया है और पुलिस कर्मियों की अनभिज्ञता का फायदा उठा रहे हैं। कतिपय बाहरी व्यक्ति इंस्टीगेट कर रहे हैं इनडिसिप्लेन फैलाने के लिए पुलिस फोर्स को और उन्होंने इनसाइट किया है अपनी सेवायें नहीं देने के लिए। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर आरोप है कि 1969 से 71 के बीच जब इन पुलिस कर्मचारियों की मांगों के संबंध में, इनकी एसोसियेशन के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई थी, पुलिस में व्याप्त असंतोष, उनका आर्थिक पक्ष और दूसरा राजनीतिक पक्ष, इन दोनों के संबंध में जो पुलिस फोर्स के ऊपर के अधिकारी शोषण कर रहे हैं, उन सब के बारे में सबसे ज्यादा किसी ने वकालत की थी तो इस सदन के नेता ने की थी, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए यहां दूसरों के ऊपर यह आरोप मांढ़ना कि वह कुछ पथ भ्रष्ट सदस्य हैं, पथ भ्रष्ट किया किसने ? इसलिए मेरा पहला आरोप है कि पथ भ्रष्ट करने में कोई सूत्रधार है तो वर्तमान सरकार और वर्तमान सदन के नेता हैं उनको पथ भ्रष्ट करने में। दूसरा मेरा आरोप यह है कि बाहरी व्यक्तियों ने किया है तो उस वक्त जनसंघ पार्टी के नेता और अब सदन के नेता ने किया है। क्या वह बाहरी व्यक्ति नहीं थे वह पुलिस फोर्स में कभी रहे होंगे एक जमाने के अन्दर। उनका कुछ अनुभव पुलिस फोर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में रहा होगा। उन समस्याओं की जब वे

(श्री परसराम मदेरणा)

विरोधी पक्ष में बैठे थे निश्चित रूप से वकालत करते थे और सरकार में गए तो अबाउट टर्न हो गए उनकी मांगों के सम्बन्ध में। जिस वक्त पिछले सत्र में उनकी मांगों के सम्बन्ध में चर्चा हुई, हड़ताल समाप्ति के बाद और उससे बात करने के बाद उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया और गंभीरता से विचार इसलिए नहीं किया, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है पिछले सत्र में, कि यह सरकार अदूरदर्शिता की धारी शिकार बनी हुई है। अगले दिन का भी वह नहीं सोचती। यह उनको मालूम नहीं है कि डिसकन्टेण्टमेंट पुलिस फोर्स में व्याप्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि नवम्बर में जब यहां पर कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में एक दिन सदन में चर्चा हुई थी उस वक्त इन पुलिस कर्मियों के ओवर वर्क के सम्बन्ध में, उनको असुविधा है उसके सम्बन्ध में, उनको परिवहन की सुविधा नहीं है, उनको टाइपराइटर की सुविधा नहीं है और इसके साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार की नजीरें देते हैं उन बड़े अधिकारियों की कि एक डी–मोरेलाईजिंग इफैक्ट पुलिस फोर्स पर हो रहा है। इस सदन के प्रांगण में कहा था, यह बात नवम्बर, 78 की बात कह रहा हूं। इसलिए मैं रीट्रेट आज कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार इस सदन में जो कुछ भी सुझाव दिए, उन पर गौर नहीं करती। उनका जो मांग पत्र और ज्ञापन था उस पर सरकार सोती रही और जब यह पुलिस में असन्तोष भड़का कुछ मामलों को लेकर, और जो मुख्य बातें सामने आई, वह यह है कि हमसे ज्यादा काम लिया जाता है, हम थके हुए होते हैं, हमको मैस अलाउंस कम दिया जाता है, हमको छुट्टियां नहीं मिलती और उसके साथ ही साथ हमारी तनख्वाहें कम हैं। तनख्वाहों में अनुसंधान हो रहा है, उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है। राजनैतिक हस्तक्षेप के साथ साथ यह बात भी सामने आई थी कि हमको कुछ ऐसे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है जो हमारी ड्यूटीज के पार्ट नहीं हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में डिसकंटेंटमेंट का सबसे बड़ा कारण जैसा अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आज जो तस्करी और तेल का सट्टा वगैरह, दूसरी चीजों की आज बातें हैं, गवर्नमेंट की राष्ट्रीय नीति ही है और जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने खास तौर से जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सदन में उठाया कि उसका क्या असर पड़ेगा। उनको कौन संरक्षण दे रहा है इस प्रकार के इल्लीगल काम करने के लिए। अगर उनको संरक्षण मिलता है उन अधिकारियों से तो नीचे की पुलिस डी–मोरेलाइज होती है। जब पुलिस कर्मचारी, हैड कॉंस्टेबल, कांस्टेबल यह देखता है कि एक सब इन्सपेक्टर पांच हजार, सात हजार, दस हजार रुपये महीने के बटोर रहा है, ऊपर के अधिकारी खा रहे हैं, तस्करी करा रहे हैं। पूरे ड्राई एरिया में जाकर देख लीजिए, रातों रात शराब जीपों में जोधपुर में पहुंच रही है। मेरी कॉंस्टीट्यूएंसी भोपालगढ़

(श्री परसराम मदेरणा)

में उसका मुख्यालय है। मैंने पूछा कि यह तो ड्राई एरिया है शायद अब शराब नहीं आती होगी। लेकिन बताया कि ड्राई-एरिया होने के बाद उससे भी ज्यादा हमारे यहां शराब मिल रही है। निर्दोष व्यक्तियों को सजा मिल रही है। दोषी व्यक्तियों को किसी तरह से बचाने के लिये, 50 तरह के हथकण्डे किये जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलाउ किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, 1969-70 में बंगाल में जब श्रमिक सरकार थी, उस वक्त मन्त्रियों का घेराव हुआ था और हाई कोर्ट से समन्वय समिति गई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि सी. आर. पी. सी. का ओफेंस होगा काग्नीजिबल, तो ठीक से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन निर्दोष व्यक्तियों की मार-पीट करना और रोज ठुकाई करना जब पुलिस कर्मी देखते हैं, जब देखते हैं कि कैसे आदमी को पैसा लेने के लिये जलील किया जाता है तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? इसलिये बीमारी दूसरी है, इलाज गृह मन्त्री जी दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। आपको इलाज ऊपर से देखना पड़ेगा, आप नीचे जा रहे हैं। पुलिस के उच्चाधिकारी अगर एमीनेट करते हैं तो पुलिस के उच्चाधिकारियों को अपनी ईमानदारी का सर्वोच्च मापदण्ड प्रस्तुत करना करना पड़ेगा। यह नीचे के अधिकारियों से उम्मीद नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि सभी आफिसर गैर ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार भी हैं लेकिन ईमानदार व्यक्ति पूरे फोर्स में, चाहे इंडियन पुलिस सर्विस हो, चाहे स्टेट पुलिस सर्विस हो, आटे में नमक की तरह है। फिर भी मुझे एक आदमी का किस्सा मालूम है। मेरे क्षेत्र में खेड़ापा में एक सब इंसपेक्टर था, इतना आनेस्ट आदमी, कोर्ट में चालान करने के बाद वह किसी से बात नहीं करता। उसका इतना सोशल बायकाट किया कि वह मेंटली डिसआर्डर हो गया। ऐसे भ्रष्ट लोगों की गेंग बनी हुई है। और अगर इन भ्रष्ट लोगों की गेंग को नहीं तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका डीमोरेलाइजेशन-अफेक्ट होगा। इसमें पुलिस कर्मियों को आगे करने में बाहरी तत्वों का हाथ रहा है, यह कहना उनको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में आने का, जो बाद में इस तरह का रोल अदा करें। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ये सीनियर आफीसर्स, जैसा कि धर्मवीर कमीशन ने सुझाव दिया है, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य यह पसन्द नहीं करेगा कि जो पुलिस ला एन्ड आर्डर के लिये जिम्मेदार हैं, पब्लिक आर्डर और सेफ्टी के लिये जिम्मेदार है वह किसी प्रकार अन-डिसिप्लिन करे। क्योंकि अगर बाड़ ही खेत को खाने लगेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बीमारी यह नहीं है। बीमारी दूसरी जगह है। कुछ पुलिस कर्मी वो हैं जो मौज कर रहे हैं और नीचे वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, भत्ता नहीं मिलेगा, एसोसियेशन में नहीं बैठ सकते। हम एसोसियेशन में बैठ सकते हैं क्योंकि हम ऊंचे अधिकारी हैं। पुलिस फोर्स में यह एक्साइटमेंट फैलाना, हम इस पर डिसिप्लिन रखें। इस पर सदन को विचार करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो अध्यादेश लाया गया है यह गृह मन्त्री जी की लापरवाही की वजह से है। इसलिए

68

(श्री परसराम मदेरणा)

कि उनकी सरकार लापरवाह है। ये जिसके प्रतीक हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं इनके डिसकंटेंटमेंट के प्रति, जब सबसे पहले इंडिया में इन लोगों ने किया था, इसके पहले यहां पर हाउस में भी हुआ था, जब हाउस कोर्ट में कन्वर्ट हो रही थी उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमारा सुझाव था कि इस हाउस में चर्चा आ जाय खुले रूप से। गैलेरीज में चर्चा की जाय और हाउस एक कोर्ट की तरह बैठे। वह हाउस आज तक नहीं बैठा, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बैठ कर बात करेंगे। जब सदन की इस तरह से अवमानना हो तो सरकार की अवमानता करने के लिये पुलिस फोर्स को भी बाध्य होना पड़ता है। आज 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। इसलिये जो लचर दलील 'पथभ्रष्ट' की, बाहरी तत्वों की और एक्साइटमेंट करने के लिये, यह जो कुकर्म किये हैं और जनता सरकार आम खाने की सोच रही है। आज आध्यादेश जारी किया गया है और आर्टिकल 213 में सरकार ने इन्वोक कराया है। इस प्रकार सदन की गरिमा को धक्का लगाया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अध्यादेश को अस्वीकार करें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश पुलिस द्रोह के सम्बन्ध में जारी किया है उसे अस्वीकार करने के लिये मैंने भी प्रस्ताव दिया है। पुलिस में डिसअफेक्शन पैदा करने का काम सरकार ने किया और उसको द्रोह की संज्ञा दिया जाना, डिसिप्लिन के नाम पर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से सरकार ने, सरकार के माननीय गृह मन्त्री जी ने जो यह अध्यादेश निकाला यह काला अध्यादेश है। राजस्थान में आज से पहले कभी इस प्रकार का अध्यादेश और इस प्रकार का कानून नहीं लाया गया। मान्यवर, जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे और उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया कि पंजाब में किस प्रकार कांस्टेबल ने अकाली दल और संयुक्त पार्टी की संयुक्त सरकार के विधायक को सलामी नहीं देने के कारण विद्रोह बढ़ गया। इसलिये यह असंतोष राजस्थान में भी रातों रात आ गया हो ऐसी बात नहीं है। गृह मन्त्री जी को मालूम था, सरकार को मालूम था। हर समझदार को थोड़ी बहुत जानकारी थी, सब को मालूम था कि राजस्थान पुलिस में भयंकर असंतोष पैदा हो रहा है जिसके काफी कारण हैं जिनकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान के पुलिस कर्मियों में असतोष की झलक पिछले सत्र में राजस्थान पुलिस यूनियन जिन्दाबाद के नारे लगाये थे और यहीं से लोग निकल गये थे। पता ही नहीं चला कि कौन-कौन थे। तब इसकी शुरूआत की झलक राजस्थान विधान सभा में दिखाई दी थी। उस समय प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान पुलिस में असंतोष पैदा हो गया है और इंटरनल सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिये फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा देश और प्रदेश में ला एण्ड आर्डर समाप्त हो जायेगा। इसके कारणों की क्या जानकारी की जाये। आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया है। मान्यवर, असन्तोष

(श्री रामनारायण चौधरी)

का कारण कोई एक नहीं है। आज जो पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसी का यह परिणाम है। जब आन्दोलन हुआ तो छोटी-छोटी मांगों को लेकर शुरू हुआ। इन मांगों को वह पहले भी स्वीकार कर सकते थे। उनको मजबूर होकर यह संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके लिए मान्यवर, दोषी कौन है ? अगर कोई दोषी है तो वह राजस्थान सरकार है। गृह मन्त्री जी स्वयं इसके लिए दोषी हैं। उनको इस प्रकार का कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। समय से पहले ही उनको यह पता था। उनको पता था कि पुलिस में असन्तोष है। माननीय गृह मन्त्री जी यह कहें कि उनको पता नहीं था ? वह सदन में कहें ? उनको यह पता था कि पुलिस में भयंकर असंतोष पैदा हो गया है। लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। आज राजस्थान के बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों में असंतोष फैला हुआ है। उसका कारण सरकार के मन्त्री और मन्त्रियों के कार्यकलाप हैं। उनके इस तरह के कार्य हैं। 1979 में गोगामेड़ी में झगड़ा हुआ। जिस स्थान पर जनता 'एस' की मीटिंग हो रही थी। उस स्थान को वह जनता पार्टी को देना चाहते थे। उनको दबाने के लिए वहां के एस. पी. को कहा गया। एक मन्त्री वहां पर गये। वह एडीशनल एस. पी. को लेकर गये। उनको जाकर कहा, यह स्थान खाली करवाया जाएगा। जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री जी और भजनलाल के भाषण यहां पर होंगे। उसने कहा कि मेरे को हुक्म दिया जाये। उन्होंने कहा कि फोर्स आपकी है। जब वह वहां गये तो उन्होंने कहा कि यह खाली नहीं होगा। भले ही गोलियां चल जायें। मन्त्री जी का कलेजा भी हिल गया। वहां से वह भाग खड़े हुए। दूसरे मन्त्री पहुंचे, एक डी. एस. पी. को लेकर, कि यह खाली नहीं किया गया। मान्यवर, उस डी. एस. पी. का वहां पर माजना खराब किया गया। मां, बहिनों की गालियां दी गई। वह बाद में रोया भी। एक गंगानगर ही नहीं, राजस्थान के तमाम आफिसर्स को यह बात मालूम हुई। इस प्रकार से असंतोष पैदा करने में मुख्य मंत्री और मंत्री लगे हुए हैं। आपने उनको यह इजाजत दे रखी है। वह कहते हैं कि राजस्थान पुलिस में असन्तोष पैदा हो रहा है। आज वरिष्ठ अधिकारियों में यह स्थिति है। फिर छोटे कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ? वह दिन दूर नहीं है कि राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी आपको चुनौती देंगे। आपके व्यवहार और कार्यकलाप उनको इसके लिये बाध्य करेंगे। तो मान्यवर, इस प्रकार के काले कारनामें करेंगे, इस प्रकार का निकम्मा कानून बनायेंगे और कानून बनाकर दबाने की कोशिश करेंगे तो यह उद्दीपन सरकार का होगा, उन लोगों का नहीं। जब असंतोष का पता चल जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, अपनी हठधर्मी करते हैं, मनमानी करते हैं, मौका देते हैं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो। हजारों पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको तंग किया गया है। नौकरी से निकाला गया है। क्यों नहीं आपने पहले से कोई कार्यवाही की ? यदि आप में दम था, गृह मन्त्री जी, आप में दम था तो उनकी मांगों को बाद में भी स्वीकार करते। आप कह देते कि हम नहीं मानेंगे, हमारा कुत्ता दूध पियेगा, तुमको भूखा मारेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन आप में वह दम नहीं था। आप उनकी मांगों को लिए बैठे रहे हैं। उनको कहते रहे कि रिपोर्ट आ रही है। यह पहले भी हो सकता था। कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार का कानून लाने की। सरकार में कोई अक्ल नहीं है। गृह मन्त्री जी, यह कठोर कार्यवाही करने की स्थिति इसीलिए आती है कि आपने फर्ज को अदा नहीं किया है। आप मन्त्रिमण्डल में यह नहीं रख सके कि पुलिस में भयंकर असन्तोष पैदा हो गया है। कार्यवाही करने की जरूरत है। कार्यवाही नहीं की जाएगी तो राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर समाप्त हो जाएगा। यह बात पहले कह देते, जनता को बता देते, सदन को कहते, तो हम व्यक्तिशः कुछ नहीं कहते। यह जिम्मेदारी आप पर है। आप ठीक प्रकार से अपने विभाग को चला नहीं सकते हैं। इसलिए यह कर्मचारियों का विद्रोह नहीं है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आपकी सरकार तो यह कहती है कि सभी प्रकार से भय मुक्त रहो। आप तो भय-विहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, अब समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : क्योंकि आपने राजस्थान पुलिस के अनेक कर्मचारियों को, जो यूनियन बनाने वाले थे, उनको घर बैठा दिया है। उनके भी बाल बच्चे हैं। अब इसको काला कानून कहा जाये और आपके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें, मैं इनको क्या कहूं। यह एक ऐसा निकम्मा कानून है जैसा आज तक नहीं बना है चाहे कोई भी सरकार आई हो। इससे पहले रियासतों के राज रहे हैं उनमें भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं सदन से यह आग्रह करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने यह जो अध्यादेश जारी किया है, इसको अस्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केदारनाथ जी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी मदद से लॉ एण्ड आर्डर कायम किया जाता है। उनकी मांगों के बारे में यह राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी किया है, यह एक प्रकार से उनका दमन है। उनका जो आन्दोलन हुआ है, उसको फैलने का मौका मिला है। इससे पहले बिना किसी प्रकार का कोई कारण हुए यह नहीं हो सकता था। पुलिस का यह आन्दोलन 6 वीक में सारे देश में फैल गया। उनकी लेजिटिमेट ग्रिवान्सेज हैं। बिना किसी तैयारी के यह सारे देश में फैल गया। यही नहीं, बाकी जो फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्स है उनमें भी फैल गया। पहली बार ऐसे आन्दोलन को दबाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया। कम्पलैशन हुआ। अगर इसको दबाने के लिए मिलिट्री का बार बार इस्तेमाल करोगे तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसी मामूली चीजों को दबाने के लिए, वह भी पुलिस पार्टी के द्वारा नहीं, मिलिट्री के द्वारा। उनके सामने एक बड़ा स्ट्रक्चर है। इससे पहले दिल्ली और कलकत्ता में सबसे बड़ी हड़ताल हुई फिर यू० पी० में हुई। आपके

(श्री केदारनाथ)

सामने भी पुलिस ने प्रमाण दिया है। इस देश में आज भी पुलिस कण्डक्ट करने में कठिनाई है। पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वह गलत रिपोर्ट इनको देते हैं। आपके यहां सबसे बाद में हड़ताल हुई है। जोधपुर में मैस का बायकाट किया गया। उनसे बात नहीं की गई। इस अप्रोच को टाला गया है कि पुलिस के अन्दर बहुत बड़ा असन्तोष है। यह नहीं बताया गया कि पुलिस में बहुत बड़ा असन्तोष है। यह व्यापक रूप से फैल सकता है। टाइमली रिपोर्ट कर देते तो हो सकता है कि समाप्त हो जाता। आप यह सोचें कि इस आन्दोलन के पीछे किसी पार्टी का हाथ था, या किसी आउट साइडर का हाथ था तो मान्यवर, किसी आउट साइडर का हाथ नहीं था। मेरे पास भी मन्त्रालय रहा है। मैंने कान्सटेबल की लिविंग कण्डीशन्स देखी, इससे ज्यादा गिरी हुई लिविंग कण्डीशन्स मान्यवर, किसी को हो नहीं सकती। एक मजदूर भी जो काम करता है उसको 10/- से 15/- रु० प्रतिदिन मिलते हैं, उससे कम नहीं मिलता, लेकिन एक कान्सटेबल को जिसके हाथ में आपने लॉ एण्ड आर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, उसको आप 230/- रु० दे रहे हैं। उन्होंने आन्दोलन बिना शर्त वापिस ले लिया लेकिन अभी तक उनको रिइन्स्टेड नहीं किया। उनके मुकदमे वापिस नहीं लिए गए। आपने लीडरशिप की मार्फत इण्टरवीन किया, उनको आपने कम्पलेन किया और उन्होंने बिना शर्त आन्दोलन वापिस भी ले लिया, मगर समझौते के मुताबिक आपने उनको अभी तक रिइन्स्टेट नहीं किया। क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस तरह से आप उनके असन्तोष को मिटा पाएंगे? क्या उनमें इतना बड़ा भयंकर असन्तोष कल्मीनेट नहीं होगा और कल्मीनेट होकर सामने नहीं आएगा?

मान्यवर, मैंने यह देखा कि अर्दली की हालत बहुत खराब है, उससे आप घरेलू काम नहीं लें, आफिसियल वर्क भले ही आप ले सकते हैं। जब यह मन्त्रालय मेरे पास था, तब एस० पी० की कान्फ्रेंस में मैंने कहा था कि आप एक दिन पुलिस लाइन में जावें, उनमें कान्फीडेन्स पैदा करें, उनके केजुअल लीव के केसेज, उनके प्रमोशन के केसेज, उनके कन्फर्मेशन केसेज को आप मौके पर ही तय कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप उनके अलाउन्स को और बेसिक अमेनिटीज को जो देनी चाहिए और पे-स्केल की बात, मगर आप उनमें एक डाइरेक्ट काम्युनिकेशन पैदा कीजिये ताकि कान्सटेबल के दिमाग में एक विश्वास उत्पन्न हो कि कोई मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार है। आपने मुश्किल से उनका मेस अलाउन्स पांच रुपये बढ़ाया, मैंने उनसे वायदा किया था बी० एस० एफ० को जितना मिलता है उसके बराबर करने का। प्राइस लेवल को देखते हुए मैंने यह सोचा था उनकी हार्ड वर्किंग कण्डीशन है उसको देखते हुए यह तय किया था कि बी० एस० एफ० के बराबर उनको मैस अलाउन्स मिलना चाहिए ताकि वह भी अपने आपको जिन्दा रख सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, यह जो 77, में चेन्ज आया, एक सरकार से दूसरी सरकार आई, लेकिन हमारे समय में पुलिस फोर्स में सैटबैक अधिक

(श्री केदारनाथ)

पहुंचा है, उसका यही कारण है कि उन लोगों में भारी असन्तोष है। उनमें पॉलिटिकल इण्टरफियरेन्स बढ़ा है। आज पुलिस में सही तरीके से उनकी एफिशिएन्सी को मान्यता देते हुये संगठन को मान्यता दी जाती तो आज उनमें सैट बैक नहीं होता। इमर्जेन्सी में भी सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स में अत्याचार हुआ। कई जगह लार्ज स्केल में एजीटेशन हुए. लाठी चार्ज करना पड़ा, फायरिंग हुई तो जूडिशियल इन्क्वायरी बिठा दी, उसके कारण भी उनको गहरा सैटबैक पहुंचा। जनता पार्टी के राज में एण्टी-सोशल-एलीमेन्ट्स को मदद मिली। मेरा मतलब गुण्डों और असामाजिक तत्वों से ही नहीं, एण्टी सोशल एलीमेन्ट्स वे भी हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो टैक्स का इवेजन करते हैं, जो चीजों में मिलावट करते हैं। ये लोग भी एण्टी सोशल एलिमेन्ट हैं। ये लोग पोलिटिकल फील्ड में आकर ज्यादा फायदा उठाते हैं। चाहे स्टूडेन्टस में हों, या ट्रेड यूनियन में लीडरशिप हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो। मुख्य मन्त्री सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ, उसमें होम मिनिस्टर ने नोट पास किया। पुलिस फोर्स को सही तरीके से, उनको 27 सूत्री मांगे छोड़ दीजिए, बेसिक अमेनिटीज भी अगर उनको नहीं मिलती है तो यह उचित नहीं है। उनको एसोसिएशन के राइट्स दिये जायं, स्ट्राइक के राइट्स भी उनको होने चाहिए। मैं यह मानता हूं उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन उनकी ग्रिवान्सेज को मीट करने के लिए एक अलग एजेन्सीज क्रिएट की जानी चाहिए जो उनको बेसिक अमेनिटीज पर विचार कर सके। इतना अर्सा हो गया उनकी पे में बढ़ोतरी करना तो दूर रहा, बिना शर्त उन्होंने आन्दोलन वापिस ले लिया, अभी तक आपने उनके मुकदमे वापिस नहीं लिए। आप उनकी ब्रेक-इन-सर्विस को काण्डोण नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आन्दोलन कलकत्ता में हुआ, दिल्ली में हुआ, यू० पी० में हुआ, उनको वहां मान्यता मिली उनकी मांगे पूरी की गई और आज 6 महीने हो गए उनके मुकदमे भी वापिस नहीं ले सके, उनको ब्रेक-इन-सर्विस को कण्डोन नहीं किया। उनकी मांगों को मन्जूर नहीं किया। तो क्या आप यह सोचते हैं कि इस प्रकार से लॉ-एण्ड-आर्डर कायम होगा। इसलिए जितने भी निकाले गए हैं उनको वापिस लिया जाना चाहिए, और आज ही उनके रिइस्टेटमेंट के आर्डर जारी होने चाहिए।

मान्यवर, एक मिसाल देना चाहता हूं. बिहार में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिन्दू मुस्लिम यूनिटी नहीं चाहते, कम्युनल राइट्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग जो आपके साथ हैं उनको प्रमोशन दे दिया, जो आपके बस की बात है। सन् 1922 का सैन्ट्रल एक्ट है। कई जगह एजीटेशन हो गए हैं और आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। इसकी भी एक लिमिट हुआ करती है। आप सोचते हैं कि उनको आप मान्यता दे दी और उनको आप स्ट्राइक के राइट्स नहीं देना चाहते हैं. आप डरते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। मैं नहीं समझता, ऐसा करके आप उनको क्या अधिकार देना चाहते हैं। उनको ग्रिवान्सेज को दूर करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? एक एजेन्सी क्रिएट कर दीजिए और उनके अन्दर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि

(श्री केदारनाथ)

उनके मामलों को एक्सोपोडिशियसली निपटाया जायगा, तो मैं मान लूंगा कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, उनकी बेसिक-पे 350/- रु० होनी चाहिए। दूसरे अलाउन्स छोड़िए, मेडिकल अलाउन्स, मैस अलाउन्स, दूसरी बातों को छोड़िए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आपने वायदे किए, बेसिक-पे की बात है, उसको भी आप फिलहाल छोड़िए लेकिन उनको रिइंस्टेट कर दीजिये, मुकदमे वापिस ले लीजिये और ब्रेक-इन-सर्विस को कण्डोन कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सरकार की अक्ल पर तरस आ रहा है कि इस कागज के टुकड़े से देश के अन्दर पुलिस में असन्तोष है उसको मिटाना चाहते हैं। कौनसी दुनियां में आप रह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आपने इसमें लिखा क्या क्या है, इसमें लिखा है कि कुछ पथ भ्रष्ट सदस्यों ने आन्दोलन तथा अन्य अनुशासनहीन कार्यकलाप करना आरंभ कर दिए हैं। यह अनुशासन की बात किस ने सबसे पहले कही देश को ? जयप्रकाश नारायण ने। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश सरकार के न माने जायं जो अनुचित हों। यह सलाह पुलिस व मिलिट्री को किस ने दी ? जय प्रकाश ने। परसों कौन बोले ? जे० बी० कृपलानी बोले। क्या ये आपके दोनों नेता जिनकी मेहरबानी से आप सदन में बैठे हो, नहीं तो आपको वार्ड में चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाता। वार्ड के चुनाव में आपकी जमानत जब्त होती थी। ऐसे कई सदस्य यहां बैठे हैं। जिस जे. पी. की मेहरबानी से जिस आचार्य जे. बी. कृपलानी की मेहरबानी से आप यहां बैठे हैं वे पुलिस व फौज को सलाह दें कि आप गैरकानूनी आदेशों को मत मानो, गलत आदेशों को मत मानो। और फिर आप इस पर्चे के जरिए विधान सभा में लाकर अपनी शर्म मिटाना चाहते हैं और अनुशासन कायम करना चाहते हैं ? हमें बहुत खुशी हुई जब सेंट्रल रिजर्व फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने अपनी मांगों के लिए बगावत की। सबसे ज्यादा मेरी पार्टी को खुशी हुई। हमने उनको उकसाया नहीं, हमने उनको यह सलाह नहीं दी मगर उसके बावजूद भी शायद आप कमजोरी महसूस करते होंगे। यह बगावत मिलिट्री में भी आएगी। वहां पर भी सोचेंगे कि हमें ये आदेश मानने चाहिए या नहीं। जो सरकार जनता से कट जाए, जिस सरकार का जनता से कोई वास्ता न हो और पुलिस व फौज डंडे के जरिए इस देश के आंदोलन को दबाना चाहती है उस सरकार के आदेशों को माना जाए या नहीं, यह अच्छी शुरूआत है। खैर, आपकी पार्टी की सरकार हिन्दुस्तान के सूबों में है। मुझे इस बात का फिक्र है कि बंगाल में जहां मेरी पार्टी की सभा सरकार है, वामपंथी मोर्चे की सरकार त्रिपुरा और बंगाल में है वहां किसी भी सिपाही ने हड़ताल नहीं की क्योंकि उनमें अकल है....

(74)

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : वहां के ग्रेडस बता दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जहन्नुम में में जायं ग्रेडस। वहां पुलिस ने कोई हड़ताल नहीं की। आप बता दीजिए ग्रेडस क्या है वहां ?

श्री सम्पतराम : हमसे इन्फीरियर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल और त्रिपुरा में हड़ताल किसी सिपाही ने क्यों नहीं की ? क्योंकि वहां की सरकार का रवैया अपने कर्मचारियों के साथ भाई चारे का है, डंडे की ताकत से आन्दोलन को दबाना नहीं चाहती।

(व्यवधान)

उसने उनके सामने बैठकर वहां के मुख्य मन्त्री....

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या माननीय सदस्य यह बताने का कष्ट करेंगे कि चीन में हड़ताल करने का अधिकार है जिसकी वकालत आप करते ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप अपने आका बाजपेयी से पूछें जो वहां होकर आए हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : निस्संदेह वह हमारे नेता हैं और चीन जा कर आए हैं....

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : देश की इज्जत बेच कर आए हैं। डूब मरो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : देश की इज्जत बेचने वाले, जनता से दगा करने वाले और गद्दारी करने वाले तो तुम हो। राजस्थान में जो पुलिस आंदोलन हुआ वह माननीय सदस्य की पार्टी के बदौलत हुआ....

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष जी, इन नेकरधारियों से मेरी रक्षा कीजिए। देश को खतरा है, विधान सभा को खतरा है....

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : जेल से माफी मांग कर आने वाले डूब मरें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि चीन में क्या हो रहा है। मुझे मालूम नहीं मैं कभी चीन गया नहीं। अभी तुम्हारे आका सुब्रह्मण्यम स्वामी और वाजपेयी चीन होकर आए हैं, उनसे पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी, आप अपने विषय पर चर्चा करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आप चीन गए नहीं लेकिन आप उनकी वकालत और दलाली करते हैं ओर आपका पेशा यही है। आपने राजस्थान में पुलिस एजीटेशन कराया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हमें यह फिक्र है। तुम्हारी तरह चोर नहीं उनकी ग्रिवेन्सेज के लिए हम लड़ेंगे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आप चोरों के बाप हैं, तुमने चोरियां की हैं और दलाली भी की है। चीन के दलालों डूब मरो।

(व्यवधान)

आप चौधरी चरण सिंह से पूछिए। वह क्या पुलिस आन्दोलन के बारे में कहते हैं।

श्री हरचन्द सिंह : आपकी धोती ढीली हो रही है। चोर को चोर कहा जाएगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : तुम लोगों ने गद्दारी की है, समाज और पार्टी के साथ, उनको गद्दार कहा जाएगा।

(व्यवधान)

इन लोगों ने विश्वासघात किया है, आप उनकी वकालत कर रहे हैं।

श्री हरचंद सिंह : चुनाव आएगा तब पता लगेगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : जनता चोरों के सरदार समाज के दुश्मनों को माफ नहीं करेगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तुम्हारा कसूर नहीं। आप जैसा व्यवहार सारे देश में कर रहे हैं, जनता पार्टी को ले बैठेंगे और इस देश को भी ले बैठेंगे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आपको भी लेकर बैठेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हमें फख्र है कि हमने पुलिस कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया और उनकी मांगों का समर्थन किया क्योंकि वे हमारे भाई हैं, जिगर के टुकड़े हैं, हम उनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। आज क्या हालत है? आप देश की रक्षा की बात करते हैं, आप जवाब देते समय बता दें कि आपके कितने सिपाही टी. बी. के मरीज हैं? जिस पुलिस के सिपाही टी. बी. के मरीज हैं आप उनसे रक्षा करवाना चाहते हैं? किसको खतरा है? हमको कोई खतरा नहीं, आप बड़े-बड़े सेठों की रक्षा करवाना चाहते हैं। आप संख्या कम कर दीजिये मगर जिन लोगों को रखें उनको उचित पैसे दें। इस विधान सभा में सबसे पहले मैंने सवाल उठाया था और कहा था सिपाहियों के रहने और अच्छे खाने की व्यवस्था की जाए। आपके आई. जी. पी. और डी. आई. जी. का क्या हाल है? उनके शोक अजीब हैं, किसी के पास एक दर्जन कुत्ते हैं, किसी के पास एक दर्जन

(76)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कुत्तियायें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आफिसर ऐसे हैं जिन्होंने दर्जनों भैंसें बान्ध रखी हैं। अजीबो-गरीब शौक हैं इन पुलिस अधिकारियों के। उपाध्यक्ष महोदय, इन कामों के लिये बेचारे पुलिस कर्मचारियों से, सिपाहियों से बेगार ली जाती है। इसके साथ-साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पुलिस के थानेदार के लिये आपने क्वाटर की व्यवस्था की है लेकिन बेचारे कान्सटेबल को आपने लावारिश छोड़ दिया है। आपने सिपाहियो के लिये व्यवस्था क्यों नहीं की? आज पुलिस के सिपाहियों को आप जो खाना उनकी मैस में देते हो वह इस प्रकार का देते हो जो कि हमारे राजस्थान की जेलों में जो कैदियों को खाना मिलता है उससे भी बदतर है। जेलों के कैदी को उपाध्यक्ष महोदय, सिपाही से अच्छा खाना मिलता है। हमारे यहां पर पुलिस में भारी असन्तोष इन नीचे के वर्ग के लोगों में फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में पर्चा पुलिस वालों ने फैंका था, आपको पता है उन लोगों में असन्तोष था। अगर आप उनकी वाजिब मांगों को नहीं सुनेंगे तो आज बगावत पुलिस के सिपाहियों में ही नहीं आपको थोड़े दिन बाद बगावत मिलेगी आर. ए. सी. में, बी. एस. एफ. में। और यही हालत रही तो आपकी मिलिट्री भी बगावत कर सकती है। आपको पता होगा गृह मन्त्री जी अभी तीन जनरलों ने आपकी भारत सरकार को लिख कर दिया था कि प्रधान मन्त्रीजी, आप हमारी मांग मानो। उन्होंने एक मेमोरेन्डम दिया, उन्होंने कहा कि आप इस पर विचार करो। तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आप समय रहते चेतो। मेरा गृह मन्त्री जी, यह आपसे निवेदन है कि जो पुलिस कर्मचारियों की वाजिब मांग है उनको आप स्वीकार करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि हड़ताल का यह पहला असूल है कि जब कभी हड़ताल समाप्त होती है तब जिन लोगों को हड़ताल में निकाल दिया जाता है उनको पहले वापस लिया जाता है इसलिये आप उन लोगों को जिनको आपने निकाला है उनको वापस लो। जिनको सस्पेन्ड किया उनको आप बहाल करो। आप उनकी जो लीगल ग्रिवान्सेज हैं उन को दूर करो। यह भी अपने ही भाई हैं। माननीय छाबड़ा जी, ये कोई विदेशी नहीं हैं, यह कोई चीन के रहने वाले नहीं हैं जिसके कारण कि आप इनको वापिस नहीं लो या इनके ग्रिवान्सेज नहीं सुनो। अगर आप इनको दबाओगे गृह मन्त्रीजी, तो आप कामयाब नहीं होंगे, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। इनकी बहुत बड़ी तादाद है आप इनको सुनो, इनकी ग्रिवान्सेज दूर करो। इससे आप इनका दिल जीत सकोगे और जब आप इनके दिल जीत लोगे तो आप देखना कि यह क्या करते हैं। ऐसा किया है बंगाल और त्रिपुरा सरकार ने, उनके ग्रिवान्सेज को सुना है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी को पूछें कि चीन में जब आन्दोलन होता है तब तो आप दबाते हो और यहां पर आन्दोलन राजस्थान में होता है तो आप कुचलवाते नहीं, क्यों?

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, चीन में क्या होता है मैं तो वहां पर गया नहीं। इनके आकाओं को पूछो जो चीन गये थे। सुब्रह्मण्यम् स्वामी, वाजपेयी साहब, उन्हें पूछो वहां क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप इन आर. एस. एस. वालों के फन्दे में मत आओ। इन लठैतों को पुलिस में भर्ती मत करो।

श्री रघुनन्द व्यासन : आप तो गरूड़ पुराण पढ़ो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गरूड़ पुराण तो आर. एस. एस. का पढ़ो।

वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री बन्शीलाल सारस्वत (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के सदस्यों के नाम वापस लेने की अवधि आज पांच बजे तक के लिये बढ़ायी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : कल शाम तक के लिये बढ़ा दो।

श्री ओंकारलाल चौहान : आज की कार्यवाही समाप्त हो तब तक के लिए बढ़ा दो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि वित्तीय समितियों के सदस्यों के नाम वापस लेने की अवधि पांच बजे तक बढ़ायी जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के सदस्यों के नाम वापस लेने की अवधि 5 बजे तक बढ़ाई गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यही क्यों, जब तक सरकार है तब तक के लिये बढ़ा दी जाय।

परिनियत संकल्प

श्री श्योपतसिंह मकासर : गृह मन्त्रीजी, आपको इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि आप सिपाही को लाभ दें। आप बड़े-बड़े धन्ना सेठों, बड़े लोगों की नहीं सोचें। यह अपने ही भाई हैं, अपनी ही बिरादरी के लोग हैं, मेहरबानी करके जिनको आपने निकाला है, जिनको आपने आन्दोलन के समय सस्पेन्ड कर रखा है उनको आप वापस लो। उनकी वाजिब मांगों को मीट-आउट करो, नहीं तो आन्दोलन करेंगे। आपको मालूम है, आपके हाथ में बन्दूक नहीं है, बन्दूक तो इनके हाथों में रहती है। जब यह लोग मेहनतकश मजदूर वर्ग से मिल जायेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इनके प्रति

(78)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कर इनकी कठिनाइयों को दूर करो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सदन में जो बहस चल रही है उस पर मैंने यह प्रस्ताव रखा है। 21 मई, 1979 को जो ग्रध्यादेश राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है, उसको यह सदन ग्रस्वीकार करता है। इस विषय में यहां पर वैसे तो सदन में काफी बातें ग्रन्य सदस्यों ने बता दीं, उनको तो मैं दोहराना उचित नहीं समझता हूं लेकिन गृह मन्त्रीजी से यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रापने इसको ग्रपना प्रेस्टिज पाइन्ट क्यों बना लिया है। इसमें प्रेस्टिज पाइन्ट बनायें, वैसी कोई बात नहीं है। ग्राज पुलिस के कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। ग्रापको पता होगा कि पिछले सत्र में भी हमने ग्रौर खेतसिंह जी ने एक वार जोधपुर में पुलिस कर्मचारियों में जो ग्रसन्तोष व्याप्त है उसके लिये एक प्रस्ताव हम रखने वाले थे पर ग्रापने मना कर दिया था ग्रौर जो भी वहां पर दिक्कत थी ग्रापने उसके लिये मना कर दिया था ग्रौर जो भी वहां पर दिक्कत थी उसको ग्रापने बातचीत के जरिये हल कर दिया। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से गृह मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन ग्रब ग्राप इतना प्रेस्टिज पाइन्ट जो ले रहे हैं, वह उचित नहीं है। यह तो ग्रापको पता ही है कि हमारी विधान सभा में पिछले सत्र में पर्चे फैंके गये ग्रौर उन पर्चे फैंकने वाले लोगों के ग्रन्दर कितना ग्रसन्तोष था। ग्रापको मालूम हो गया होगा कि ग्रापके ग्रधिकारी जो यहां पर थे, कुछ भी नहीं कर सके। ग्रगर वह लोग सक्रिय होते तो यह घटना नहीं होती। तो जो भी पुलिस के सिपाहियों और हेड कान्सटेबल्स की जो वाजिब मागें हैं उन्हें ग्रापको मान लेना चाहिये। ग्राज ग्रापने जिन लोगों को गिरफ्तार किया ग्रान्दोलन के समय जिनको ग्रापने नौकरी से बाहर कर दिया, जिनको ग्रापने सस्पेण्ड कर दिया उनको ग्रापने वापस नहीं लिया है। ग्राप उनकी वाजिब मागों के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं, यह उचित नहीं है। ग्राज कर्नाटक में, बंगाल में त्रिपुरा, तमिलनाडू में इनकी जो वाजिब मागें थी उनको माना गया है। ग्रान्दोलन के समय में ग्राप ग्रौर मुख्य मन्त्रीजी बैठकर इनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। ग्रापके यहां के पुलिस के बड़े-बड़े ग्रधिकारी वर्ग इस मामले को लेकर ग्राये तो ग्रापने कहा कि इनको सख्ती से डील करो। ग्रापने इनकी डिमान्ड को सुना तक नहीं। ग्रापको ग्रगर इनकी डिमान्ड वाजिब थी तो उनको कम से कम मीट ग्राउट करनी थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस वालों का ग्रान्दोलन तो इमर्जेन्सी के समय भी नहीं हुग्रा। ग्रौर कांग्रेस के पिछले तीस वर्षों के राज्य में ऐसा कोई ग्रार्डिनेन्स निकालने की ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ी। ग्राज आप यहां सदन में, ग्रौर लोगों में कहते हैं कि हमने लोकतन्त्र को जीवित किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक बहुत बड़ा ग्रचीवमेन्ट किया है। इस बात को लेकर ग्राप इन्दिरा गान्धी को बुरा भला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कहते हो लेकिन अब यह आपका अचीवमेन्ट, यह आपका कीर्तिमान जो आप बता रहे हो, चलने वाला नहीं है। आपकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। जनता को आपका पता चल गया। आपका क्या अचीवमेन्ट है। यहां पर आपको यह भी सदन में कई बार सुनने को मिला होगा कि सारे पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है। कुछ ईमानदार हैं कुछ भ्रष्ट भी हैं। जब इन्हीं ईमानदार पुलिस कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों का भ्रष्ट तरीका देखा तो उन ईमानदार लोगों ने एजीटेशन किया। उस एजीटेशन में आपने कई लोगों को सस्पेन्ड कर दिया, कई लोगों को आपने नौकरी से टर्मिनेट कर दिया लेकिन मेरा निवेदन यह है। आपको उन्हें वापस लेना चाहिये और भविष्य के लिये आपको इनकी ग्रिवान्सेज के लिये कोई निष्पक्ष एजेन्सी, जैसे कोई ट्रिब्यूनल हो वैसी बना कर उनकी डिमान्ड को रेफर करने की व्यवस्था रखनी चाहिये। कम से कम आपको उनकी वाजिब मांगों को तो मानना चाहिये। और अगर आप उनकी वाजिब मांगों को मान लेते तो मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार आप सदन में आर्डिनेन्स लेकर आये हैं उसको लाने की आवश्यकता नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेन्स तो डर के कारण जारी किया होगा। इस आर्डिनेन्स के आखिर में जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स लिखे हैं वह यह हैं कि बाहरी एजेन्सी पुलिस फोर्स को खराब कर रही है। तो कौन से बाहरी आदमी ऐसे थे और कौन सी ऐसी एजेन्सी थी जिसने पुलिस फोर्स को भड़काया और आपने ऐसे कितनों को पकड़ा? यह आंकड़े आप दें तब हम सेटिस्फाई होंगे। जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं उनके बारे में आपको सदन को कनविन्स करना चाहिए कि कौन सी बाहरी एजेन्सी थी और वह लोग थे जिन्होंने पुलिस फोर्स को भड़काया, क्योंकि उस समय सदन सत्र में नहीं था इसलिए यह अध्यादेश जारी किया है।

दूसरा रीजन आपने दिया है कि कुछ पथ भ्रष्ट पुलिस कर्मी थे उनकी वजह से यह सारा आन्दोलन भड़का। यही 1922 के रीजनस थे वही अब भी इन्वोक किये हैं। तो आप बतायें ऐसे कौन से पुलिस के पथ-भ्रष्ट कर्मचारी थे जिन्होंने सारा आन्दोलन छेड़ा? मेरे ख्याल से यह बात नहीं है। आपने देखा कि चारों ओर ऐसी चीज फैल रही है, कौन सी राजनैतिक पार्टी दोषी है या नहीं वह तो पूर्व में घटनायें घटी हैं वह आपको सर्वविदित हैं और आप भी मैम्बर हैं जो कि ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे हैं। आप कांग्रेस राज्य में भी मन्त्री रह चुके हैं और इस राज्य में भी हैं और आपको सब तरह का एक्सपीरिन्स है इसलिए आप प्रेस्टिज इश्यू नहीं रखकर पुलिस कर्मचारियों की वाजिब मांगें हैं तो मान लेनी चाहिए। ब्रेक आफ सर्विस, और बहुत से मुकदमों को वापस लेने की बात कही है तो आप अपने वादे को पूरा करो।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में

(80)

'(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आर्डिनेन्स निकालना एक तरह से आर्डिनेन्स की मजाक उड़ाना है। आर्डिनेन्स की मंशा के माफिक सरकार काम नहीं करती है इसलिए हमें संकल्प लाकर ऐसे आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने की बात रखनी पड़ती है। हम आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं और आप सन्तोषजनक जवाब नहीं दे पाते और इसके कारण ही यह सारी स्थिति पैदा होती है। आपको वाजिब बात को मन्जूर कर लेनी चाहिये। यह कोई प्रोस्टिज इश्यु नहीं है। अगर कनविन्सिग रीजन है तो आपको मन्जूर कर लेना चाहिये। इसलिए ही तो डेमोक्रेसी बनी है। अगर विरोधी पक्ष आपको अच्छी तरह से आगाह करता है तब तो वाजिब बात है। हमने आपको हमेशा कोआपरेट किया है। पिछली बार खेतसिंह जी और हम एडजोर्नमेंट मोशन को प्रेस करने वाले थे लेकिन हमें बाहर लाया गया तो हमने आपको कोआपरेट किया लेकिन आपने हमको कभी कोआपरेट नहीं किया। आपके यहां इनडिसिप्लिन फैल रहा है और जैसा एटमास्फीयर है उसको कण्ट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। 4 घण्टे सोना पड़ेगा। इस तरह से सोते नहीं रह सकते। आपकी भी जवाबदारी है। आप अकेले इन्दिरा गांधी को गालियां देकर वोट नहीं ले सकते। आप कहते हैं कि इन्दिरा गांधी ने आपको सड़कों पर भेज दिया, अगर उसके पास ही पावर्स हैं तो फिर आप क्या हैं? 1922 की तरह ही पुराना कानून आपको लाना पड़ रहा है। जो राज चलाता है उसको एक्शन भी लेना पड़ता है। उसके साथ ही साथ वाजिब मांग आपको मन्जूर करनी चाहिये। ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिये कि आंदोलन हों और पुलिस कर्मचारियों को जेलों में देना पड़े, उनकी सर्विस में ब्रेक करना पड़े। किसी स्टेट में यह काम नहीं करना पड़ा लेकिन आपको मजबूरी की हालत में काम करना पड़ा। तो आपके आर्डिनेन्स जारी करने के रीजन्स कनविन्सिग नहीं हैं। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि जो आपने रीजन्स दिये हैं उनके बारे में आप सदन को कनविन्स करें और किन पथ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से आंदोलन हुआ है और बाहर के आदमी हैं उनकी वजह से आंदोलन हुआ है यह सब आप बतायेंगे तब ही हम कह सकेंगे कि आपने ठीक आर्डिनेन्स जारी किया।

राजस्थान तो पहले से ही एक पीसफुल स्टेट है आप प्रेस्टिज इश्यू नहीं रखते तो यह स्थिति नहीं आती। आगे भी आपको सतर्क रहना चाहिये और मजबूर करके हर मामले में भूख हड़ताल करके यह डिमाण्ड्स मन्जूर करते हैं तो फिर लोकतन्त्र क्या हुआ? लोकतन्त्र में तो वाजिब मांगें उसी समय मन्जूर कर लेनी चाहिये। इन्हीं फैक्ट्स के साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि आर्डिनेन्स जारी करने के कोई कनविन्सिग रीजन्स नहीं हैं। आप आन्दोलन को दमन करने में भी सफल नहीं हुए इसलिए ऐसा आर्डिनेन्स जारी करके दबाने की कार्यवाही नहीं करें क्योंकि आपके खुद के नेता कहते हैं। जब मुरार जी भाई प्रधान मन्त्री थे तो कहते थे कि पुलिस कर्मचारी गलत हुक्म नहीं मानें। उन्हीं के हुक्म की पालना की गई है इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि अध्यादेश को अस्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरा नाम भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल लें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं । मैं माननीय गृह मन्त्री जी आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके पुलिस कर्मचारियों के अन्दर असन्तोष क्यों आया है, हम इसकी जड़ में जायेंगे तब पता चलेगा । पहले यह असन्तोष क्यों नहीं आया और अब क्यों भयंकर असंतोष है ? इसका मुख्य कारण यह है कि पहले कांस्टेबल अनपढ़ आया करते थे और अब आपके कांसटेबल बी. ए. और ग्रेजुएट आते हैं । कल तक स्कूल और कालेज में साथ पढ़ते थे, आपस में अच्छे खिलाड़ी थे, पढ़ाई में आपसे होशियार थे उसके बावजूद आज आप तो जैक लगा कर लग गए सब-इन्सपेक्टर या डी० एस० पी० और दूसरे को कांसटेबल बनना पड़ा और फिर आदेश देते हैं तो उसकी पालना करनी पड़ती है । इस तरह से पढ़े-लिखे कांसटेबल के दिमाग में भारी असंतोष आया है और वह सोचता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, और इतना ही स्कूल और कालेज में एक साथ रहे हैं लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य यह है कि आप तो सिफारिश की वजह से आफिसर बन गये और मैं कांसटेबल ही रह गया । इससे मुख्यतः असंतोष फैला है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सोचता कि आप इस कानून को पास करवा कर पढ़े लिखे कांसटेबलों को काबू में ले आयेंगे, मैं समझता हूं कि इसमें आप सफल नहीं होंगे ।

दूसरी जो सबसे बुरी व्यवस्था हुई है वह यह हुई है कि पहले तो कांसटेबल से बढ़कर प्रमोशन हुआ करता था हैड-कांसटेबल में हैड-कांस्टेबल से सब-इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर से डी० एस० पी० और डी० एस० पी० से एस० पी० और एस० पी० से डी० आई० जी० और डी० आई० जी० से आई० जी तक पहुंचते थे । अब आई० पी० एस० सर्विसेज अलग हो गई और जितने भी आफिसर्स हैं वह सीधे आई० पी० एस० आते हैं और उनका कांसटेबलों से कोई ताल्लुक नहीं रहता है इसलिए वह कभी न तो साथ बैठकर रसोवड़े में खाना खाते हैं और न साथ खेलते हैं और न कभी उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुनते हैं । इसलिए आई० जी० और उनके नीचे के आफिसर्स हैं एस० पी० हैं उनका तो आपस में तालमेल है लेकिन एस० पी० और कांसटेबलों का तालमेल होना चाहिये वह टूट गया है इसलिए कांसटेबलों में असन्तोष की भावना सबसे ज्यादा फैल रही है ।

तीसरा कारण यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट वीक थी और स्टेट गवर्नमेंट भी वीक है और आपके नेताओं के भाषण ऐसे हुए और जयप्रकाश जी ने खुद ने कहा था कि अगर अन्तरआत्मा कहे तो हुक्म मानो नहीं तो मत मानो । इस तरह के आपने भाषण दिये उस समय तो आपने सोचा कि हमारी सरकार इस तरह से बन जाए और पुलिस का आंदोलन हो जाए लेकिन सरकार बनने के

82

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बाद वह आपके गले में आ गई है। तो नतीजा यह हुआ है कि पुलिस का आंदोलन सबसे भयंकर आंदोलन है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं चाहे सिंचाई के कर्मचारी हड़ताल करते हों, पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी करते हों, सहायक पटवारी करते हों या पी. डब्ल्यू डी. मिनिस्टर साहब की यूनियन करती हो, वह इम्पेक्ट नहीं पड़ता जो पुलिस कर्मचारियों की हड़ताल से पड़ता है। बाड़ स्वयं खेत को खाने लगेगी तो रखवाली कौन करेगा। समस्या के समाधान के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इस कानून को लाकर आप सोचते होंगे कि आप शांति करवा देंगे। आप अनुशासन क्रियेट करवा देंगे, वह निश्चित रूप से कभी नहीं होने वाला है। पढ़े-लिखे लोग आज पुलिस में आते हैं। रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। इसलिए जो आपने यह लिखा है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर, कोई गवार नहीं है। अपने सारे दुखों को समझते हैं। उनकी सर्विस कन्डीशन के अन्दर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। पूरा लाभ देना पड़ेगा। उनका मैस अलाउंस बढ़ाना पड़ेगा जो उनके रहने की व्यवस्था है उसकी हालत को सुधारना पड़ेगा। दूसरे देशों के अन्दर पुलिस की, लन्दन के अन्दर बाबी की जितनी कदर है यहां पुलिस की उतनी कदर नहीं करते। आफिसर्स लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए आर्डली का अलग प्रोवीजन्स कीजिये। इनको वह काम मत दीजिये। इज्जतदार व्यक्ति की तरह वह रह सकें तो लॉ एण्ड आर्डर की बात होगी।

रीजन्स में आपने कहा है कि कतिपय बाहर के व्यक्तियों ने आकर राजस्थान के अन्दर जब मैं होम मिनिस्टर था, आपके मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह जी ने श्री मानसिंह को तैयार किया यूनियन बनाने के लिए। आज पावर में आ गये, दूसरी भाषा से बोलना शुरू हो गये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा क्रियेट की गई यूनियन जिन लोगों को आपने नेता बनाया है, उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कोई कारगर उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इस कानून से आप उनका मुंह बन्द नहीं कर सकते।

तीसरा आपने कहा कुछ पथ भ्रष्ट सदस्यों। पथ भ्रष्ट किसने किया, किसने मिसगाइड किया, यह आप स्वयं जानते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सब नहीं करना चाहिये इससे आपकी कमजोरी मालूम पड़ती है। अब आप अनुशासन की बात करते हैं। आपके थाने के अन्दर थानेदार का हुक्म कांसटेबल नहीं मानता। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस ने कांसटेबल को हुक्म दिया उसकी पालना करने के लिए कांसटेबल ने रिफ्यूज किया है। यह हालत आ गई है। अगर यही हालत कुछ दिन और चली तो यह शासन अपने आप में खतम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समस्या को गम्भीरता से लिया जाये। इसलिए मैं संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो इस कानून को लाकर उनकी जो जायज मांगें हैं उनको डण्डे से दबा देंगे, वे हरगिज दबाव में नहीं आयेंगे। आप पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्य मन्त्री पुलिस में रहे हुए

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं, फिर यह आंदोलन हुआ कैसे या तो आप मिस गाइडेड थे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिसकी वजह से आंदोलन हुआ। मेहरबानी करके उनकी जो तीन मांगें हैं, मन्जूर कर लीजिये। जो मुकदमे बना रखे हैं, उनको खतम कीजिये। जब आपका सैटलमेंट हो गया, मुकदमे वापस ले लीजिये। 83 आदमियों को जो नौकरियों से निकाला है उनको वापिस ले लीजिये। पहले भी भैरोंसिंह जी ने कहा था तो मानसिंह जी को निकाला था वापस लिया था, उनको आप वापस ले लीजिये। जिन पदों पर थे उसी पद पर ले लीजिये। उनको शांति मिलेगी। हर एक आंदोलन में जिसमें समझौता हुआ नौकरी पर वापस लिया है उनके मुकदमे भी वापस लिए हैं। स्टूडेंट्स के अन्दर रोला हुआ था वह सारे मुकदमे वापस लिए हैं। आप इनके मुकदमे भी वापस ले लीजिये। जो 83 आदमियों को नौकरी से निकाला है, नौकरी पर वापस लीजिये। सर्विसेज में जो ब्रेक हुआ है उसको कन्डोन कीजिये। अगर वापस नहीं करेंगे तो इस कानून से कुछ नहीं होने वाला है। यह आंदोलन बुरी तरह भड़केगा, उसका मुकाबला यह सरकार हरगिज नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह कार्यवाही कीजिये। अन्त में यही कहना चाहता हूं कि इस कानून का कोई फायदा नहीं है वह विथड्रा कर लीजिये। 50 हजार की फौज है मित्रता के साथ उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खाना खाकर उनकी सारी प्राब्लम्स को सुनें। ऐसा करेंगे तो समस्या का हल निकलेगा, कानून से कोई समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। यह कानून बिल्कुल रद्दी है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस विषय पर विवाद कर रहे हैं वह बड़ा नाजुक विषय है और एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसका उत्तरदायित्व सुरक्षा रखने से है। माननीय सदस्यों ने काफी भावनायें व्यक्त की हैं। मैं भी कुछ हद तक सहमत हूं कि पुलिस को जिसको इस प्रकार कर्त्तव्य निभाना पड़ता है, राज्य सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, उनकी सुख-सुविधाओं का, तनख्वाह आदि का स्वयं विचार करे लेकिन इसके साथ इसकी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जनता गवर्नमेंट आने के बाद, मैं किसी की आलोचना के इरादे से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ यही कारण रहा हो इनकी मांगें नहीं मानी, इसलिए आंदोलन हो गया, दूसरे बहुत और कारण भी हैं। मेरे ख्याल से जो विरोध में बोलने वाले माननीय सदस्य हैं वे एक से अधिक बार सरकार में रह चुके हैं उन्होंने हालात को देखा है। पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग की अवहेलना की जाती रही है। अगर पहले से सोचा जाता और ख्याल किया जाता, उनकी तरक्की, उनकी बहुत सी समस्यायें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते तो यह समस्या नहीं आती।

(श्री सम्पतराम)

लेकिन मैंने फिर कहा कि ये पूरे कारण नहीं हैं; और भी कारण हैं कुछ कारणों को हमने महसूस किया है। माननीय केदार ने फर्माया कि उन्होंने पांच रुपये दिये थे, उसके बाद सरकार का बराबर यह प्रयत्न रहा है कि हम पुलिस वालों के लिए कुछ करें, क्योंकि कड़ी मेहनत करके सड़क पर खड़े रहते हैं, गरीब तबके से इसमें लोग आते हैं, कठिन ड्यूटी अंजाम देते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं और सभी माननीय सदस्य इसे स्वीकार करते होंगे। इस सारी पृष्ठ-भूमि में मेरा निवेदन यह है कि पहले सरकार ने कभी गौर नहीं किया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इनकी आवास की व्यवस्था को देखा। माननीय सदस्य खूब जानते हैं कि सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि उनको किसी प्रकार का योगदान दे। भारत सरकार ने समय समय पर इनके लिए सहायता की है लेकिन राज्य सरकार ने इनको एक कौड़ी भी नहीं दी जनता सरकार के आने से पहले....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मत कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : वित्तीय साधन तो उपलब्ध नहीं करें और गलत बात करें....

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : मेरी बात सुन लीजिये। 57-58 से लेकर सरकार आने तक, केन्द्र सरकार से सहायता अवश्य प्राप्त हुई लेकिन राज्य सरकार ने अपना कन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। यह फैक्ट है और इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कागज हैं मेरे पास....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह कहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिली, यह बताइये।

श्री सम्पत राम : यह भी बताऊंगा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की, केन्द्र सरकार अकेली देती रहती थी और उन्होंने यह भी कहा है कि मैचिंग ग्रान्ट नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। लेकिन जनता सरकार ने आने के बाद यह महसूस किया कि इनके आवास के लिए कुछ दें....

(व्यवधान)

सुन लें। 77-78 में 10 लाख रुपया दिया, 78-79 में 10 लाख रुपया दिया। फिर इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल के अन्दर इनको हम एक करोड़ रुपया देंगे, 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे। इसके अलावा हमारे फाइनेन्स कमीशन ने भी 92 लाख रुपये मन्जूर किये हैं, वह हम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके कह देना चाहता हूं सरकार की गलती के कारण आन्दोलन हुआ, यह गलत है। हमने प्रयत्न किया है आपके सुझाव ज्यादा होने चाहिए, यह ठीक है। लेकिन आप जानते हैं राज्य सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं।

(श्री सम्पत राम)

किन्तु हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि और बहबूदी के लिए कोशिश करेंगे। मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

पुलिस की बहबूदी के बारे में सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं पिछले 10 साल में सब कुछ हुआ लेकिन सिपाही के लिए क्या हुआ? कोई मैं आलोचना नहीं करूंगा....

(व्यवधान)

लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इस संगठन को नैगलैक्ट किया गया है जो नहीं होना चाहिए था। किन्तु इस सरकार के आने के बाद....

श्री ईश्वर चन्द्र : आप उद्दीपन किस तरह करेंगे, यह कहिये। आप तो यह कह रहे हैं, यह करेंगे, वह करेंगे....

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : जो सदन में आलोचना हुई है, उसको शायद आपने सुना नहीं है। आप बाहर होंगे शायद। मुझे सारी बात को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं यहीं मौजूद था, एक सैकिण्ड के लिए भी बाहर नहीं गया लेकिन आप तो मेन मुद्दे की बात बताइये।

श्री सम्पत राम : फिर यह कहिये कि कहा है या नहीं कहा।

श्री ईश्वर चन्द्र : कहा है, लेकिन आप तो जस्टिफाई करिये....

(व्यवधान)

आपने उनको जब दवा दिया तो फिर इस एक्ट को लाने की क्या जरूरत थी

श्री सम्पत राम : माननीय सदस्यों ने कहा है, इसलिए जवाब दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब दे नहीं रहे हैं, हमको प्रश्न पूछ रहे हैं। You are answarable to this House, not I as leader or my party. You are responsible to this august House and you have to answer to the House.

श्री सम्पत राम : I will answer each and every question that you have raised.

श्री परसराम मदेरणा : आप सत्ता में हैं, दीजिये जवाब।

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, हमने करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये पुलिस के वैलफेयर के लिए दिये हैं, इसके पहले 7-8 साल में कभी नहीं दिये गये...

(व्यवधान)

(श्री सम्पत राम)

माननीय परसरामजी ने अभी फर्माया राजनैतिक प्रभाव है इस आन्दोलन के पीछे मैं निवेदन करूंगा, इनकी जितनी डिमाण्ड आई, एक-एक डिमाण्ड को देखा । कर्मी भी राजपत्रित अधिकारी ने यह नहीं कहा। बिल्कुल राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा है। आप सोचते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। कहीं पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब जिसके बारे में माननीय भटनागर साहब ने कहा यह कानून हम नहीं लावें तो मेरा निवेदन है कि विरोध बढ़ गया इसलिए लाना पड़ा। नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में तत्कालीन सरकार एक कानून लाई थी। यहां पेश किया गया और दो-तीन बार आया लेकिन वह लेप्स हो गया और पास नहीं हो सका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस नहीं चाहता था।

श्री सम्पत राम : यह तथ्यों के विपरीत है। तथ्यों के विपरीत मत कहिए, हाउस भंग हो गया इसलिए चला गया। जब वह कानून लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पुलिस संगठन देश की आन्तरिक व्यवस्था के लिए एक संगठन है जो सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहता है। इनको कठिन काम करना पड़ता है। पिछले दिनों आपने फर्माया कौन से भारी तथ्य थे जिसके कारण यह किया। मेरा निवेदन है उन लोगों ने यह आर्गेनाइजेशन बनाया जिन लोगों का पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस के पर्सनल नहीं हैं बल्कि बाहर के लोगों ने आकर पुलिस का संगठन खड़ा कर दिया, वे 13-14 थे और····

श्री श्योपतसिंह मकासर : किस पार्टी के थे ?

श्री सम्पत राम : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री सम्पत राम : अब उपाध्यक्ष महोदय, संगठन में इस तरह का विद्रोह हुआ जो एक तरह की अभूतपूर्व घटना है। इनकी ड्यूटी कठिन हैं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है और भी राजनैतिक कारण हो सकते हैं····

श्री नूरा : उनकी जरूरत की पूर्ति नहीं की गई। उनको दबा कर रखा गया है और आप राजनैतिक कारण बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं।

श्री सम्पत राम : हमारी पुलिस ने थाने बन्द कर दिये और जो ड्यूटी पर जाते थे, उनको पकड़ लेते थे, अफसर भी गये तो उनको रोका। उन्होंने स्वयं ही विद्रोह नहीं किया लेकिन जो उत्तरदायित्व निभाना चाहते थे, उनको भी नहीं जाने दिया। थाने के थाने खाली पड़े रहे। राजस्थान में ही नहीं अपितु सारे हिन्दुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर अव्यवस्था हो गई। आर्मी का और पुलिस का मुकाबला हुआ। यह इस प्रकार का संगठन नहीं है जो बिजली के मजदूरों ने कर दिया, यह इस प्रकार का संगठन नहीं है जो इन्डस्ट्रीज वालों ने कर दिया। उनका एक उत्तरदायित्व होता है फिर भी हमने उनको सुना, उनके मूक भाव को देखा और मैं यह भी मानता हूं उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं इस संगठन में विद्रोह नहीं आवे। यदि

(श्री सम्पतराम)

इसमें विद्रोह पैदा हो गया तो समाज कहीं नहीं रहेगा। सारा उत्तरदायित्व इन पर है अमन चैन और शांति कायम रखने का, और इसके लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल होता है तो वह पुलिस के जरिये होता है। इनको लगाना पड़ता है। अगर इस प्रकार का अनुशासन इनमें नहीं रहा तो समाज नहीं रह सकेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस परिनियत सकल्प को नामंजूर किया जावे और मेरे बिल को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे प्रश्न पूछना है। जैसा आपने सुझाव दिया था कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर, विचारार्थ लेने के समय या थर्ड स्टेज पर आप कह दें, आप अभी आप बिराजें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अध्यादेश, 1979 को अस्वीकार करने के लिए जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय गृह मन्त्री महोदय।

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री सम्पत राम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : दुबारा खिंचाई करेंगे।

श्री सम्पत राम : दुबारा क्या तीन दफा कह दें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन इस बिल के मुख्य उद्देश्यों के बारे में ही आप चर्चा करेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने संशोधन दिये हैं उनका तो पहले नाम आना चाहिये। मेरा नाम पहले है, पहले मुझे बोलने का मौका दें, आप बाद में बोल सकेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : इनकी आज्ञा के बाद आप कौन होते हैं ···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पहले तो वे बोलेंगे जिन्होंने संशोधन दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन देने की बात कहते हैं तो आप पहले बोल सकते हैं। माननीय मदन सिंहजी, आप बाद में बोल लें····

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय दांता साहब, आप बोल लीजिए, लेकिन अगर माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन दिए हैं वे बोलना चाहते हैं पहले तो उनको बोल लेने दें, आप बाद में बोल लें।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है। मैं शायद पुलिस और आर्मी में जैसी सख्ती होती है, मैं भी आर्म्ड फोर्स में रहा हूं, अगर मेरे राज में इस तरह का पुलिस आन्दोलन होता तो शायद आधे से ज्यादा भून दिए जाते। परन्तु आज यहां बड़े-बड़े नेता जो आप हैं, जिन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ आन्दोलन किया, आपने, जनता पार्टी ने पुलिस को भड़काया है और ऐसी अराजकता पैदा कर दी। यही कारण है कि वह आपके टाइम पर इस तरह से उठ गए और अब आप ऐसा सख्त कानून बना रहे हैं। मेरी मांग है कि जो उनकी अराजकता से परिस्थितियां पैदा हुई, जिनको बन्द करने के लिए कानून बना रहे हैं, उसके पहले कोई आन्दोलन नहीं किया था, विदिन लिमिट थे, उनको माफ कर दीजिए।

(व्यवधान)

आपने यह कानून इसलिए बनाया कि आयन्दा पुलिस ऐसी हरकत नहीं करे : आप सुन लें, अभी से पहले जो हरकत की थी वह तो शायद ठीक थी। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं समझे हैं, न समझेंगे और जब आन्दोलन होगा तब रोयेंगे तब समझेंगे।

श्री बालकृष्ण थानवी : तब तो वैधानिक अधिकार था।

श्री मदनसिंह दांता : मैं फिर समझाता हूं। पहले दो साल में तो मालूम पड़ता था आपको कि यह आन्दोलन जायज था, यह मान रहे हैं तो फिर ऐसा सख्त कानून बना रहे हैं उसको सजा किस बात पर दे रहे हैं। पहले के लिए उनको माफ कर दीजिए।

दूसरा, आपने यह कहा कि दूसरे ऐसे तत्व थे। मैं आपको सही कहता हूं कि जिन्होंने आन्दोलन कराया है उनका नीट एण्ड क्लीन रिकार्ड रहा है सर्विस का। नीट और क्लीन आज तक है। मैं मिला हूं उनसे जिन्होंने आन्दोलन कराया था। इन्हीं के नेताओं ने कहा कि आप आन्दोलन करना लेकिन ऐसी गड़बड़ी नहीं हो कि यहां बन्दूकें चलें ; तुम जायजा रखना ताकि सैन्ट्रल को कह सकें। उनसे कह दिया कि आप आन्दोलन करो, अफसरों को कह दिया कि तुम मुंह फेर लो। सीकर एस० पी० को कह दिया कि चलने दो। आज अफसर तो बच जायं जिन्होंने उन लोगों को सिखाया लेकिन जिनका नीट एण्ड क्लीन रिकार्ड रहा है, थानेदार के रूप में नीट एण्ड क्लीन करेक्टर रहा है वे फंस जायं। इसलिए आपको यह मांग तो मन्जूर करनी चाहिए, आपने यह आन्दोलन किया होगा, किसी वजह से किया होगा और पहले आन्दोलन किया है इसलिए इस मांग को पूरा कर दीजिए। बाकी यह बहुत मोटा कानून बना है जिससे एजीटेशन बन्द हो सकते हैं तो फिर पूरे राज्य कर्मचारियों के लिए होना चाहिये। आप कह रहे थे कि बिजली वाले कुछ कर दें, उससे कुछ होता ही नहीं। बिजली वालों की हड़-

(श्री मदनसिंह दांता)

ताल होती है, बैंक की हड़ताल होती है, वहां इससे ज्यादा क्षति होती है तो फिर इन्होंने आन्दोलन किया तो क्या अन्याय किया, जिस पर बन्दूक नहीं चली।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक पाइन्ट है उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इतनी शान्ति रखने के लिए और फिर यह आरोप लगाए, ला एण्ड आर्डर पुलिस की वजह से है, What a shame Home Minister. इसलिए मेरी बहिन-बेटियों की इज्जत पुलिस वालों के पहरे में रहे, यह जितनी भी अराजकता ला एण्ड आर्डर में हुई वह आपकी पुलिस की वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों की वजह से हुई है। अगर इस आरोप के साथ कि यहां बहिन-बेटियों की इज्जत, यहां पर ला एण्ड आर्डर, यहां पर जितनी भी बदग्रमनी चली यह पुलिस वालों की वजह से है, इसलिए कानून लगाते हैं, यह शब्द हटा लें। इनकी वजह से ला एण्ड आर्डर टूटा है, मैं समझता हूं कि जब इन्होंने आंदोलन किया था, चोरी भी नहीं हुई शहर में, फिर ऐसा आरोप लगाना। इसलिए आज तक के तो उनके मुकदमे हटा लीजिए और इन पर आरोप नहीं लगाकर सीधी बात है, हम नहीं चाहते कि फौज और पुलिस में इस तरह से आन्दोलन हो। इसके बाद और सख्ती रख दें। आज पुलिस वालों को भी मैडल मिलते हैं आर्मी फोर्स की तरह से।

(समय-समाप्ति–सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब, अब चर्चा समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : फौज की तरह से इनको भी मैडल मिलते हैं। इसमें यह रख दें कि जो मैडल और ऊपर से जो कुछ मिलता है इनसे वंचित रखेंगे। जब आपने कह दिया कि यूनियन बना सकते हैं तो क्या जरूरत है सजा की। यह भी एक यूनियन की तरह से हल्ला करके अपनी मांगे पूरी करा लेंगे। इसलिए यूनियन बनाने के साथ-साथ अगर आप यह सख्ती रखते हैं तो सारी यूनियनों पर सख्ती होनी चाहिए अन्यथा यह आपकी सख्ती केवल सिपाहियों को दबाने के लिये नहीं चलेगी। आज का सिपाही पढ़ा लिखा है इस कानून से नहीं दबेगा, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री शंकरलाल : ये तो पहले बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब ये संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान् मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्रीमान्, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि सिर्फ आज 1952 का जो कानून है।

(श्री मूलचन्द डागा)

उसके अन्दर प्रोवीजन ग्राडिनेन्स लाकर रखा है। उसके पहले के सब रूल नहीं पढ़ना चाहता। मैंने पहले 5/6/48 से लेकर पढ़े हैं। उस रूल में एक ही मतलब था कि पुलिस वालों को कैसे दबाया जाय। ग्राज ग्रापने यह कहा कि हमने सिद्धान्ततः मान लिया है कि यूनियन बना सकते हैं ग्रौर मांगें रख सकते हैं। उसमें क्या है ? 1955 में पटना हाई कोर्ट की 376 ए० आई० आर० की रूलिंग है, उसके अन्दर यह बात ग्राई है। दो काँसटेबलों ने मिलकर, ग्रपनी रिसिट बुक लेकर चन्दा इकट्ठा किया ग्रौर चन्दा इकट्ठा करने के कारण सैक्शन 3 लागू करके उनको बन्द कर दिया गया। मैं ग्रापको कहना चाहता हूं कि ग्रापने 1952 के एक्ट को इस ग्रार्डीनेंस में रखा है। ग्रापने यह नहीं रखा तो यह बिल किसलिए रखा जा रहा है। उसका मतलब यही है कि पुलिस में इनसाइटमेंट, यह जो वर्ड काम में लिया है विद्रोह कराने के लिए वह केवल जायज मांगों को लेकर ग्रापके सामने ग्राता है ग्रौर बाद में यह एक्शन ग्राप लेते हैं। ग्रापने सुपरिण्टेंडेंट पुलिस को बता दिया कि यह इनसाइटमेंट है....

श्री अजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। यह तो जनमत जानने का प्रस्ताव है इसको ग्रापने पहले कैसे ले लिया ? मेरा नम्बर पहले ग्राना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सूची संख्या 1 में माननीय डागा जी का नाम है पहले। यह 24 सितम्बर को ही सर्कुलेट हो गई है।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्राप 1922 का एक्ट कोट कर रहे हैं। 1951 के बाद संविधान ग्रा गया ग्रौर संविधान के बाद राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है उस प्रशासन की बुद्धि का यह नजारा है कि 1922 के एक्ट की नकल कर रहे हैं। ग्रापने ग्रक्ल नहीं लगाई, 1922 के एक्ट को एज इट इज रख दिया। दूसरे स्टेट्स ने भी ग्रमेन्डमेंन्ट्स किये। मद्रास में जब पुलिस वालों ने कहा कि हमारी जो मांगें हैं वे नहीं मानी गई, तो उनको उठा कर सैक्शन 3 में ग्रन्दर रख दिया। यह मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। ग्रगर ग्राप सारे रूल्स देखते, 1922 को लागू करना चाहते हैं, भगवान ने अच्छा किया, रावण के दस मुंह इसलिये थे कि वह एक मुंह से कुछ कहता था दूसरे से कुछ कहता था लेकिन ग्रापने एक ही जबान से एक बात कही कि उनको वाजिब मांग के लिये यूनियन बनाने का ग्रधिकार दिया जायेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो द्रोह का एक्ट ला रहे हैं यह किसने आपको बतलाया है। ये शब्द कहां से पैदा हुए, यह उस समय के शब्दों को लेकर कह दिया कि पथ भ्रष्ट हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ईश्वरचन्द्र : मिस गाइडेड का हिन्दी ट्रांसलेशन है पथभ्रष्ट।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो ग्राप जानें। जब उनका राष्ट्रीय कमीशन बैठा था उसमें पुलिस ग्रायोग ने कहा है कि उनकी मांग वाजिब है, क्योंकि ग्राज पुलिस वह नहीं है जो ब्रिटेन ने रखी थी।

श्री उपाध्यक्ष : डागा साहब, आप बिल का जो प्रावधान है उसमें जनमत जानने के बारे में आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आप जो नेशनल कमीशन के बारे में बताना चाहते हैं उसके क्लाज (4) में उन्होंने एसोसियेशन के राइट को रिकोग्नाइज किया है।

श्री ईश्वर चन्द्र : राइट तो उनको दिया है जो सरकारी यूनियन है।

श्री मूलचन्द डागा : आप इसको छोड़ें, समय निकला जा रहा है। मैं तो मानूंगा, उन्होंने जो एक्ट को कोट किया है वह है:-
"Whoever intentionally causes or attempts to cause, or does any act which he knows is likely to cause, disaffection towards the Government ..."

यह डिसअफेक्शन है। गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। What is this disaffection to the Government which they show? डिसअफेक्शन टू दी गवर्नमेंट क्या है? ये तो अपनी वाजिब मांग लेकर आपके सामने आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह डिसअफेक्शन है। यह 1922 के एक्ट के वर्ड हैं। कोर्ट ने कोट किये हैं और उस समय जनता को दबाने के लिये पुलिस को काम में लिया था। लेकिन आज, आप कहते हैं, हमें पुलिस का काम अभिभावक के रूप में करना है, जनता का विश्वास अर्जित करना है। ये शब्द क्या हैं? आप कहते हैं कि जनता का विश्वास, तो ये जो शब्द काम में ले रहे हैं, डिस-अफेक्शन, जो आपने पढ़ लिया— Whoever intentionally causes or attempts to cause, or does any act which he knows is likely to cause disaffection towards the Government established by law in the State...." उन्होंने यह नहीं किया। It is not against the Government. They simply want to put forward their grievances. They don't wage any war against the Government.

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

मैं कहता हूं अन्याय सहना पाप है, अन्याय करना पाप ही नहीं है, सहना पाप है। यही गीता ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा और मैं भी कह रहा हूं और आप भी सुनो, पाप करोगे तो क्या होगा? तो श्रीमान् ये जो वर्ड हैं। मैं चार रूलिंग हैं इस पर कोट करना चाहता हूं। डिस-अफेक्शन का मतलब होगा आपकी सरकार के खिलाफ। उन्होंने तो 1922 के एक्ट में 1902 के एक्ट की नकल कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपने सेक्शन 3 पर अमेन्डमेंट दिया है उस पर चर्चा करें। आपका केवल यही तरीका होना चाहिये कि जनमत जानने के लिये क्यों भेजा जाय।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यही तो मैं कहना चाहता हूं, सारे राजस्थान की जनता जाने कि यह जनता पार्टी की सरकार आज किस प्रकार का कानून ला रही है। कल तो होम्योपैथी का लाये और आज एक नया कानून लाना चाहते हैं ताकि सारे वकील कानून जानने वाले और पुलिस के लोग देखें जो कि संविधान के क्लाज 19 (सी), ए. बी. सी. के खिलाफ है....

श्री मदनसिंह दांता : और 42 ?

श्री मूलचन्द डागा : वह तो आप बता दे। दूसरे 309 आर्टिकल के नीचे मैं चाहता हूं संविधान के खिलाफ पुलिस वालों से कहें कि पुलिस वाले जो राजस्थान की धरती पर रह रहे हैं वे देश द्रोही हैं, वे द्रोह पैदा करना चाहते हैं, यह आप मेहरबानी करके अभी 8 तारीख और है इसे वापस पढ़ लीजिये, ताकि जल्दी में न हो।

श्री मदनसिंह दांता : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। आर्टिकल 14 पढ़ लें और कांसटेबल के लिये या कोई भी सर्विस के लिये वही कानून बनेगा, चाहे एस. पी. हो चाहे मजदूर हो....

श्री परसराम मदेरणा : हां, इन्डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आर्टिकल 309 में इनको मालूम है। इसलिये यह जो अध्यादेश निकला है इसको जनमत जानने के लिए कम से कम एक दिन दे दीजिये, आधे दिन के लिये ही।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत (मुख्य सचेतक) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज की कार्यसूची में अंकित कार्य समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यसूची में अंकित कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्यसूची में अंकित कार्य समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

श्री मूलचन्द डागा : सचेतक पार्टी के नहीं हो सकते जब तक गवर्नमेंट घोषित नहीं करे। He is not the chief whip.

श्री रघनाथ विश्नोई : पालियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं, इनका क्या काम है ?

आप भी मुख्य मंत्रीजी को कह सकते हैं इनको अपाइन्टमेंट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुझाव दूंगा जब कि....

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : ये फिसल जायेंगे और मेम्बरों की तरह से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये 8 तारीख के बाद कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। ये फिर भगदड़ मचायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप 11 से लेकर 7-8 बजे तक ही क्यों नहीं कर देते।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया विराजें।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बड़े दुःखी मन से उपस्थित हुआ हूं और बड़ी देर से माननीय गृह मंत्री जी के चेहरे को आंकने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगातार हिटलर की झलक उनके चेहरे पर मिल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून लाया गया है इसके लिये ये कोई भी एश्योरेंस अभी दे सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन यह काला कानून न केवल पुलिस वालों के लिये बल्कि उन सब लोगों के लिये जो आजादी में विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करने वाला है। अहिंसक बलवा और बगावत करने का अधिकार हरेक नागरिक को है। बगावत कराने का अधिकार हरेक आदमी को देना होगा।

इससे जनता पार्टी के मूल्यों की क्षति हुई है। आपके चुनाव घोषणा पत्र में जिन आजादियों को अभिव्यक्त किया गया था। जिन आधारों पर चुनाव लड़कर गृह मन्त्री जी आप आये हैं, उसी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। जनता पार्टी ने जो नारा दिया है—

Defeat the defectors and dictators,

सबसे पहले हमारे अन्दर जो डिक्टेटर प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। तानाशाही प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। जो छोटे आदमियों को, गरीब आदमियों को कुचलने की कार्यवाही करते हैं, उसी का प्रतीक यह काला कानून है। इसकी खिलाफत करनी होगी।

श्री मूलचन्द डागा : Very fine.

श्री ईश्वरचन्द्र : चन्द्रशेखर ने कल ही घोषणा की है, जमाखोरों के खिलाफ जो कानून लाया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, विरोध करना चाहिए। ऐसा किसी भी प्रकार का प्रिवेण्टिव लॉ लाओ तो उसका विरोध करना चाहिए। हम पुलिस के लिए ला रहे हैं। इस प्रकार से चरणसिंह भी कहते हैं कि हम जमाखोरों के लिए ला रहे हैं। यह अगर इस प्रकार का दुहरा मापदण्ड लेकर चलेंगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री भवर्नसिंह दांता : आप बैठे रहें। जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : अभी कल ही डी.आई.जी. भिण्डर का मामला आया है। जो कान्सटेबल और सबइन्सपेक्टर हैं, उनको सजा सुनाई गई है। डी० आई० जी० भिण्डर को बरी कर दिया गया है। जज साहब ने जो लिखा है, वह आपने पढ़ा होगा।

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। Can we give commentary on the judgment given in a court of law ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : Yes, yes. The legislature is supreme.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किशन सिंह भाटी ने प्रश्न उठाया है कि किसी जज के जजमेंट को क्रिटीसाइज नहीं किया जाये।

मेरा भी यह कहना है कि किसी जज के जजमेंट को क्रिटीसाइज नहीं किया जाये जिससे कि वह जजमेंट प्रभावित हो।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह जज पर डायरेक्ट चार्ज लगा है। अगर कोई नौजवान होता तो माफ नहीं करते। बड़ा अफसर था, इसलिए माफ किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री ईश्वरचन्द्र : जज ने भी लिखा है कि इस प्रकार की सरकम्सटांसेज हैं कि डी.आई.जी. को भी दोषी माना जाना चाहिए। अनेक इस प्रकार के कानून जारी हैं। यह कहा जा सकता है कि यह गृह मन्त्री ने, डी.आई.जी. या आई.जी. ने नहीं किया। पुलिस कान्स्टेबल या सब इन्सपेक्टर ने किया है। उसी का दमन होगा। यह राइट आफ एसोसिएशन धारा 19 में दिया है। अगर ऐसा है तो वह स्वतन्त्र नहीं है। यह आप उसका किस प्रकार का चरित्र पेश कर रहे हैं। ऐसा आप करते हैं तो उससे यह पुलिस का विद्रोह दबने वाला नहीं है। यह काम होने वाला नहीं है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब तक आई० जी० और कान्सटेबिल के वेतनमान में इतना अन्तर है, तब तक बगावत या बलवे को रोक नहीं सकेंगे। गृह मन्त्री जी बता रहे हैं। कहीं उन्होंने नयी पुलिस लाइन खोली है। कहीं कोई चौकी बनवाई है। मेरा निवेदन है कि काम के बदले अनाज योजना में पुलिस लाइन खोलें या बनवा दें। लेकिन इस प्रकार के जोर या दवाब से तो यह सरकार टिकने वाली नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप तो इधर आ जाओ।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह वह कानून है। इसमें लिखा हुआ है—

Section 124-A of Indian Penal Code :—

"Whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation, or otherwise, brings, or attempts to bring, into hatred or contempt, or incites or attempts to incite disaffection towards the Government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine."

इसमें यह जस्टिफिकेशन है। सारे सेक्शन इसमें आ जाते हैं। यह पुलिस वालों पर लागू हो जाता है। गृह मन्त्री जी बतायें, क्या यह पुलिस वालों पर लागू नहीं है? अगर नहीं है, तो अलग बात है। वही सैक्शन दिए हुए हैं। उसकी वरबेटिम कापी है। यह ले आये हैं। इसमें पुलिस बल को डिफाइन किया है। यह कानून बना रहे हैं। Disa-

(श्री ईश्वरचन्द्र)

ffection की परिभाषा नहीं करते तब तक केवल डी०एम० या पुलिस अधिकारी जिसको चाहेंगे, बन्द करेंगे। हम जैसे कार्यकर्त्ता जो अन्याय के खिलाफ बोल रहे होंगे, उनको कहा जाएगा कि ये भड़का रहे थे। उनको जेल में डाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो कानून बनाया गया है, उसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना जरूरी है। रिक्शावाला, तांगावाला, पुलिस वाला, इसके अन्दर भावनात्मक तालमेल है। उसको ये समझें। ताकि वह अपने विवेक से इसको समझें। जिससे कि यह सरकार इस प्रकार के काले कानून को वापस ले।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए ...

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह कौन सी सूची ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : शंकरलाल जी, ऐसा नहीं है कि मैं नाम पुकारूं। कोई भाग लेना चाहते हैं तो वह बोलें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने संशोधन रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो खड़े होकर प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम पढ़ देता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री प्रो० केदार

श्री रामेश्वर यादव

श्री नवरंगसिंह

श्री हरीश शर्मा

श्री रामनारायण चौधरी

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम पुकारा गया था।

श्री मूलचन्द डागा : आपका बड़ा क्रान्तिकारी भविष्य होगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव इसलिए किया है मान्यवर, कि जिस समय पुलिस आन्दोलन चल रहा था

(श्री रामनारायण चौधरी)

ग्रौर पुलिस के सिपाहियों की उदयपुर, चित्तौड़, कोटा ग्रौर जोधपुर में भारी गिरफ्तारियां हो रही थीं, तब मैं ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र में था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मेरे से पूछा यह कैसा राज है, पुलिस वाले लोगों को पकड़ा करते हैं और सजा दिया करते हैं ग्रौर ग्राज पुलिस वालों को ही पकड़ा जा रहा है। उनको सजा दी जा रही है। यह किस प्रकार का राज है। ऐसा राज हमने पहले कभी नहीं देखा, न ग्रंग्रेजों के राज में, न नवाबों के राज में ग्रौर न कांग्रेस के तीस साल के राज में ऐसा कभी हुग्रा। यह कैसा राज है जो पुलिस वाले लोगों को पकड़ा करते हैं, ग्राज उन्हीं को सजा दी जा रही है, यह क्या हुग्रा। मैंने उन लोगों को बताया, यह सरकार इस प्रकार का कानून बना रही है कि पुलिस वालों को खास तौर से पकड़ा जा सके ग्रौर उनको सजा ग्रौर जुर्माना भी हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा कानून है। लोगों ने इसको रेडियो पर सुना और ग्रखबारों में पढ़ा। मान्यवर, लोगों को मालूम हुग्रा तो उनको इससे बहुत बड़ी नाराजगी पैदा हुई ग्रौर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पुलिस वालों को पकड़ा जाय ग्रौर उनको सजा दी जाय या उनको बर्खास्त किया जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने सरकार की इस कार्यवाही के एक शब्द का भी समर्थन किया हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस वालों के प्रति सहानुभूति है ग्रौर यह कानून जो राजस्थान सरकार ने प्रसारित किया उसके खिलाफ चर्चा थी। इसलिए मान्यवर, मैंने यह उचित समझा कि इस कानून को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की यह भावना है, मुझे पूर्ण विश्वास है मान्यवर, कि 199 निर्वाचन क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति होगी ग्रौर करोड़ों की तादाद में राजस्थान की सरकार के पास रिप्रेजेण्टेशन्स ग्राएंगे। तो मान्यवर, जनता के द्वारा निर्वाचित कोई भी सरकार, माननीय गृह मन्त्री जी, जिनकी बुनियाद कांग्रेस की रही है, महात्मा गांधी ग्रौर जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा ग्रौर दीक्षा में पला वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस बात से प्रभावित होगा कि इस प्रकार के कानून को राजस्थान की विधान सभा में पास नहीं करायेंगे ग्रौर उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ग्रौर इससे प्रभावित होकर मैंने यह प्रस्ताव किया है। मुझसे लोगों ने पूछा कि यह क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। मैंने उनको बताया,

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उनकी मांगें हैं। लोगों ने पूछा कि उनकी क्या मांगें हैं, मैंने कहा उनकी एसोसिएशन बनाने की बात है, वेतन की मांग है ग्रौर नाना प्रकार की ज्यादतियां हो रही हैं। उनकी ग्रिवान्सेज को वेण्टीलेट करने के लिए वे संघ बनना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। पुलिस का सिपाही ग्रौर चपरासी का वेतन बराबर रहे, मेरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हुग्रा। एक सिपाही को 24 घण्टे ड्यूटी देनी पड़ती है, डाकुग्रों

(श्री रामनारायण चौधरी)

का मुकाबला करना पड़ता है, चोरियों का पता लगाना पड़ता है और भी कई खतरनाक काम करने पड़ते हैं। तो मान्यवर, मैंने उनको एक सिद्धान्त की बात कही कि अगर ऐसे व्यक्ति को बोलने के लिए एसोसिएशन की इजाजत नहीं देंगे तो आपको'

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनकी ग्रिवान्सेज को किस प्रकार से दूर किया सकता है। मान्यवर, जिस समय पुलिस आन्दोलन चल रहा था उस समय सैण्टर की इण्टेलिजेन्स और केन्द्र के लोगों ने यह आभास कर लिया था कि राजस्थान की पुलिस में ही नहीं, देश की पुलिस में और देश की फौजों में भी असन्तोष बढ़ रहा था। रातों रात सेना में पदों का सृजन किया गया था। मान्यवर, पुलिस में असंतोष, फौज में असंतोष, हर स्तर पर असंतोष। कोई भी सरकार इस प्रकार से कानून बना कर इस असंतोष को दबा नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, यह तर्क आप पहले भी दे चुके हैं, और दूसरे व्यक्ति भी कह चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, अगर आप मेरे साथ इन्साफ करेंगे तो यह बातें किसी ने नहीं कही है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5–4 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कह दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो गृह मन्त्री जी ने पेश किया है बिल, मान्यवर, मैंने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव इसलिए किया है इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि उनकी भावनाएं मैं सदन तक पहुंचाऊं और मैं आपके द्वारा सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। तो राजस्थान के गृह मन्त्री श्री सम्पतरामजी, उस जनमत के सामने आप टिक नहीं सकेंगे और आप इस बिल को यहां पायलट नहीं कर सकेंगे, आपको इसको विथड्रा करना पड़ेगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि लोगों की राय इस बारे में मालूम की जाय और पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको सर्क्यूलेट किया जावे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शंकर लाल।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है, चारों ओर उत्तेजना है। माननीय मनोहरसिंहजी साफा पहनकर आए हैं, उनके मन में डर है....

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे मन में नहीं है लेकिन इनके मन में जरूर है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें दूसरे किसी भी विभाग से सबसे ज्यादा कर्मचारी जिनका जनता से निकट का सम्बन्ध है, कार्यरत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के व्यक्ति चाहे किसी भी व्यवसाय के हों, कहीं भी रहते हों, कुछ भी करते हों लेकिन पुलिस से उनका सम्बन्ध अवश्य है। इसलिए जनता का अगर किसी विभाग से ज्यादा सम्बन्ध है तो पुलिस विभाग से है और पुलिस विभाग में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जो कि उन पुलिस कर्मचारियों को जनमत जानने के लिए, उसके लिए जनता की राय जानी जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है जनता कभी इसको पसन्द नहीं करेगी। मुझे बड़ा अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण बताते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि 1922 के पहले से ही यह लागू था और उसी के आधार पर यह कानून बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले के उन काले कानूनों का अनुसरण किया जा रहा है और आज 1979 है। 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद में संविधान बना और संविधान बनने के बाद लोगों को अधिकार मिला उसका आपको हवाला देना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपके सामने वह बात नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेजों के सामने हो सकती थी। उस समय 1857 का गदर हुआ जब फौज के लिए विदेशी सरकार थी, इसके लिए उनको डर हो सकता था कि पुलिस राजद्रोह कर सकती है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, जनतन्त्र की सरकार है, पुलिस में आपके ही भाई, और आदमी हैं। आपके ही निकट के लोग हो सकते हैं। विदेशी न तो आप हैं और न वो हैं। इसलिये इस प्रकार का कानून लाना आपके लिये कलंक की बात है।

संविधान में आर्टिकल 19 के अन्दर एसोसिएशन बनाने का अधिकार है और आर्टिकल 14 के अन्दर यह बताया गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। तो दूसरे सरकारी कर्मचारी जो दूसरे विभागों में काम करते हैं, उन्हें इस कानून के अन्तर्गत न लेकर, केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये यह कानून बनाना संविधान के खिलाफ है। अगर आपने इसको बहुमत से कानून बना भी दिया तो कोई भी पुलिस कर्मचारी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगा क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी बिफोर ला है। पुलिस कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों से अलग लेकर उनके लिये कानून बनाया जा रहा है। संविधान में बताया गया है कि सब के लिये एक ही कानून हो, तो पुलिस कर्मचारियों के लिये यह कानून बनाने का कोई नैतिक आधार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो मौजूदा कानून है,

(श्री शंकरलाल)

आई. पी. सी., जिसका हवाला माननीय भटनागर साहब ने भी दिया, उसके तहत अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी राज के खिलाफ द्रोह करता है तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। वह कानून पुलिस अधिकारी के लिये भी लागू है। तो फिर यह कानून किस लिये बना रहे हैं, जब आपके पास आई पी. सी. मौजूद है? इसका स्पेसिफिक जवाब माननीय मंत्री महोदय को देना चाहिये। लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पायेंगे। प्रश्न केवल कानून के अनुसार पुलिस कर्मचारियों से डील करने का नहीं है, लेकिन पुलिस कर्मचारियों को गुलाम बनाये रखने का है। आज पुलिस कर्मचारी महसूस करते हैं कि दूसरे कर्मचारियों को तो अधिकार मिल गये लेकिन हमको तो केवल गुलामी करनी है अफसरों की। नहीं तो हमारे अफसर जिस वक्त चाहेंगे हमें जेल में बन्द कर देंगे इस कानून के अन्तर्गत और आफेन्स भी नान-बेलबल आफेन्स होगा। आप क्या डेमोक्रेसी की बात करते हैं? अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, तो इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने की बात आपको स्वीकार करनी चाहिये। जिस जनता ने आपको भेजा है, उसी जनता में यह बिल प्रसारित हो जाये जनमत जानने के लिये, तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि आपके इस कानून की क्या स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्रोह और देश-द्रोह दूसरी बातें हैं। अगर पुलिस कर्मचारी कोई निवेदन करना चाहता हैं तो उसको आप विद्रोह नहीं कह सकते, देश-द्रोह नहीं कह सकते। जिस प्रकार दूसरे कर्मचारी, दूसरी यूनियन्स अपनी मांगों के लिए कहते हैं, आन्दोलन करते हैं, तो पुलिस कर्मचारियों को यह अधिकार क्यों नहीं? आप स्वयं मानते हैं कि बहुत अर्से तक पुलिस फोर्स नेग्लेक्टेड रहा है। इनको कम तनख्वाहें मिलती हैं। इनको सुविधाएं नहीं है, यह आप खुद मानते हैं। छोटे और बड़े अधिकारी के बीच कितनी खाई है, यह आप खुद दूर करना चाहते हैं, लेकिन इससे तो वह खाई और चौड़ी कर रहे हैं। कोई भी पुलिस कर्मचारी आपके अधिकारी को जवाब देगा, आपका अधिकारी उठाकर उसको छः माह की सजा दिला देगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था, उन आन्दोलनकारियों को तुरन्त आप छोड़ दें। उनकी मांगों को मानें, और संविधान के अन्दर जो एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया हुआ है वह उन्हें दें। आप एसोसियशन बनाने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन वह एसोसिएशन सरकार से अप्रूव करवानी होगी। फिर वह एसोसिएशन ही क्या हुई? इसका मतलब तो यह हुआ कि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी वह ही होंगे जो एस० पी० या डी० आई० जी० चाहेंगे। वर्ना वह अप्रूवल नहीं देंगे। तो फिर यह एसोसिएशन क्या हुई? इसलिये आपने जो इस बिल में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान रखा है वह दिखावा मात्र है। आप केवल गुलामों की एसोसिएशन बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काले कानून को सरकार न लाये जो कि सरकार के लिये कलंक है। हमारे पुलिस कर्मचारी भी हमारे ही भाई-बन्धु है। उन पर अगर आप ऐसा कानून लगाना चाहते हैं, तो पहले जनता की राय जानने के लिये इसे प्रसारित करें और बाद में यह कानून लावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाये, इसके पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब अपने क्षेत्र में गया तो वहां एक अजीब हवा बह रही थी कि जो लोग अपने भूखे पेट के लिए आन्दोलन करते हैं, यह कहते हैं कि हमारा पेट भूखा है, हमारी यह मांग पूरी की जाय, उनको दबाया जाता है। सभी की महंगाई वगैरह बढ़ाई है लेकिन उन गरीब पुलिस मैन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बाहर से उन से दोस्ताने की बात की जाती है। उनको कहते हैं यह अपने है। चारों ओर इस प्रकार की चर्चा थी जो एक शेर में कह रहा हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में शेर-शायरी ज्यादा होती है, वहां शेर की आम चर्चा थी :

खुदा महफूज रखे,
बड़ा जालिम जमाना है।
दिलों में बुग्ज रखते है,
बजाहिर दोस्ताना है।।

हम पुलिस वालों से दोस्ताने की बात कहते हैं, हमदर्दी की बात करते हैं और करने के नाम कुछ नहीं। यह एक साइड है और दूसरी साइड यह है कि हम उन्हें बन्दी बनाना चाहते हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। यह जनता सरकार, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात को लेकर जनता के सामने आई थी, वही जनता सरकार आज इस प्रकार का कानून लाकर इस प्रकार का अध्यादेश लाकर इमर्जेन्सी के दिनों को वापस दोहराना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं जो इस शेर में किसी शायर ने कहा है कि :—

तारीख के अहदों ने
यह जब्र भी देखा है,
लम्होंने खता की
सदियों ने सजा पाई।

आप समझ लीजिए कि यह थोड़ी सी खता हो गई। लेकिन शेर के अनुसार सदियों को इसका खामयाजा उठाना पड़ेगा। आप जनमत जानने के लिए इस बिल को प्रसारित करें वर्ना यह वह तूफान है इसे जितना दबाओगे उतना उभरेगा। वह तूफान जो उठेगा वह दबाने वाला नहीं होगा। माननीय गृह मन्त्री जी, आपने बिल में प्रावधान रखा है कि जो यूनियन होगी वह आपकी मान्यता प्राप्त होगी। यूनियन तो कोई भी हो सकती है। अगर उनकी मांग वाजिब है तो उनको सुनना चाहिये। आप

(श्री गुलमोहम्मद)

बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें तो बढ़ाते हैं, लेकिन इन सिपाहियों के लिए आप क्या कितना बढ़ाते हैं, पांच रुपये । आखिर उनके भी पेट है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके यहां भी शादी ब्याह होता है । 24 घंटे की आपकी ड्यूटी देते हैं । जिस प्रकार के कानून आपात काल में इन्दिरा गांधी ने लगाये थे, उस समय आपने उनकी खिलाफत की थी । तो वैसा कानून आप तो मत लाइये । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज गृह मन्त्री जी ने राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को सदन में पारित कराने के लिये पेश किया है । उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मेरा इसमें यह विश्वास है कि पुलिस वालों को भी अपना संगठन बनाने का अधिकार है और इनके इस अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए । उनके अधिकारों का हनन करना मैं कदापि उचित नहीं समझती हूं । क्योंकि आप किसी संगठन का जितना ज्यादा दमन करेंगे उतना ही उस संगठन के लोगों में विद्रोह की भावना भड़केगी । मैं समझती हूं कि राज्य सरकार इस प्रकार का बिल लाकर जो दबाने कार्यवाही कर रही है राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति को मैं हिंसा के रूप में ही समझती हूं । अगर दूसरी पार्टियों की तरह जनता पार्टी भी दूसरों का दमन करने में विश्वास रखती हैं तो उचित नहीं है । यह बिल लाकर जनता पार्टी इन लोगों का का दमन कर रही है । जब यह बिल पेश किया गया तो मुझे बहुत ठेस लगी । इसलिये मैं गृह मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि चाहे जिन लोगों को निकाला गया, चाहे जिन लोगों को ससपेन्ड किया गया, चाहे अपने लोगों पर जो पुलिस आन्दोलन में थे । उन पर मुकदमे चलाये हैं उन्हें वापस लेना चाहिये । क्योंकि उनका आन्दोलन समाप्त हो गया था । मैं तो यहां तक भी कहूंगी कि जिनको आप नौकरियों में निकालने वाले हों । उन सभी के प्रति आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें । इसके लिये मैं यहां पर सदन में एक संस्कृत का श्लोक कहने वाली हूं इसमें साधु-असाधु की परिभाषा है ।

विद्या विवादाय, धनम् मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़ेनाय ।

इसका मतलब यह है कि अगर किसी असाधु के पास शक्ति आ जाती है तो वह लोगों को परेशान करता है लेकिन साधु जो होता है वह ज्ञानाय, दानाय, च रक्षाय, वह रक्षा करता है । अगर आपको शक्ति दी है तो आप रक्षा करें लोगों की, आप लोगों का दमन नहीं करें ।

श्री मदनसिंह दांता : भारत वर्ष में स्त्री जाति के लिये संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

102

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पुलिस कर्मचारियों को उनका एसोसिएशन बनाने देगी तो मैं समझती हूं कि वह लोग अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह से निभा सकेंगे, अपना दायित्व सही ढंग से निभा सकेंगे। वह सोच सकेंगे कि उनको क्या करना है और क्या करना चाहिए। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि वह इसके ऊपर विचार करे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके लिये मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचलित किया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो हमारे इधर आ जाओ, भगवान के साथ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम भी इधर आ जावो। मैं तो जहां हूं वहीं रहूंगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह तो हमारे दल में आयेगी।

(व्यवधान)

उजला जी तो समाजवादी दल से गयी हैं, हमारे दल से गयी हैं। हमारे दल में आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

श्री लालचन्द डूंडी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बाकी रह गया। मैं इनके पहले हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम सूची नंबर एक में है।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरा नाम नहीं पुकारा।

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम पुकारा था उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : आप बैठे थे पर आप बोले नहीं।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष मनोदय, मुझे तो सभी दबाते हैं। आप तो मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 चल रहा है। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिये सदस्यों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पुलिस कर्मचारियों को भी ट्रेड यूनियन्स की तरह

(श्री अजीतसिंह)

स्ट्राइक करने का अधिकार दिया जाय। पुलिस कर्मचारी चाहे तो अपने आई० जी० पी० या पुलिस एस० पी० से मिल कर अपनी एसोसिएशन बना सके। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन बनाना कहां तक उचित है? अगर मान लें कहीं पर कोई झगड़ा हो जाये या कोई आन्दोलन हो जाय और उस वक्त पुलिस कर्मचारी यह कह दे कि हम तो हड़ताल पर हैं तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था हमारे पास होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जनता की सुरक्षा के लिये यह कदापि उचित नहीं होगा कि पुलिस कर्मचारियों को अपना संगठन बनाने की इजाजत दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता ही होगा कि पिछले सत्र में पर्चे फेंके गये और फेंकने वाले लोग चुपचाप पर्चे फेंक कर बाहर निकल गये। अगर यह स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि देश में शान्ति की व्यवस्था कैसे हो सकेगी? हम विधायकों की क्या स्थिति होगी?

एक माननीय सदस्य : बड़ी दुर्दशा होगी।

श्री अजीत सिंह : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि जो स्वतन्त्रता इस बिल के माध्यम से पुलिस कर्मचारियों को अपनी एसोसियशन बनाने को दी जा रही है वह नही दी जानी चाहिये। इसके अलावा भी इस बिल में कई लेकूनाज है। इसलिये इसमें जो कमियां है उनको दूर करने के लिये जनता की राय लेना जरूरी है। इसमें हमें पता लगेगा कि किस प्रकार का संगठन होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए। क्या पुलिस वालों की दिक्कते हैं वह भी पता लग जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस बिल को जनमत जानने हेतु जो मैंने प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। आज पुलिस में जो असन्तोष है, उसके तीन कारण हैं। पहला तो यह है कि पुलिस कर्मचारी को ज्यादा काम करना पड़ता है, दूसरा यह है कि आज पुलिस में आपने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की भर्ती सिपाहियों में कर दी है, तीसरा पुलिस कर्मचारियों का कम वेतन। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही यहां पर जब सदन में डिबेट चल रही थी तब गृह मन्त्रीजी ने कहा कि हमने सिपाही की भर्ती के लिये क्वालिफिकेशन बढ़ा दी। वे आठवीं पास पहले कान्सटेबल लेते थे अब यहां पर हमने मैट्रिकूलेट लेने की व्यवस्था की है। इसमें मैं समझता हू कि जो कम पढ़े लिखे लोगों को सिपाही की नौकरी मिल जाती थी, उसमें रूकावट पैदा की है। अब ज्यादा पढ़ा लिखा आपके विभाग में कर्मचारी आयेगा और जब पता उसको लगेगा कि उसका थानेदार उससे कम पढ़ा लिखा है, वह बी० ए० या एम० ए० है। उसको अपने थानेदार से कम तनख्वाह मिलती है तो उसके मन में अपने आप ही असन्तोष होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि पुलिस फोर्स में आप इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जो पहले

(श्री अजीतसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, एक आठवीं पास को जो रोटी रोजी मिलने की सम्भावना पुलिस विभाग में थी वह बन्द होगी। आज वैसे भी लोगो को नौकरी नहीं मिलती है। लोगो को बहुत परेशानी हो जायेगी।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस का सिपाही है वह 24 घण्टे ड्यूटी पर रहता है। इससे भी उनके मन में असन्तोष बढ़ता है। एक पुलिस का कर्मचारी है उसके पास वर्क लोड, दूसरी सर्विस के लोगों के कम्पेरिजन में बहुत अधिक है। गांवों में लोगों की कमी होने के कारण वैसे उन्हें कई काम करने पड़ते हैं। दूर-दूर गांवों में जाकर तामिलें करानी पड़ती हैं और दूसरे काम भी होते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हमारे यहां पर गांवों में ग्रुप चौकीदार जैसे पहले चौकीदार होते थे वैसे ग्रुप चौकीदार रखे जांय ताकि वह दूसरे जो भी पुलिस से संबंधित कोई सूचना लेनी देनी हो, कोई तामिलें वगैरह करानी हों तो वह कर सके। इसके लिये आप चाहें तो होम गार्ड के लोगों को ग्रुप चौकीदार रख सकते हैं जिससे कि पुलिस कर्मचारियों के वर्कलीड में कमी आयेगी। इस काम से जो कमी आयेगी उससे दूसरे काम वह लोग कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपने विषय से विषयान्तर हो रहे हैं। आपने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तो दिया नहीं था।

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूं। आज पुलिस वालों में जो असन्तोष हैं और वह अपनी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाय। उनको किस प्रकार से रेगूलेट किया जाय। ताकि उनकी दिक्कतें मिटे। इसलिये में तो सुझाव दे रहा हूं। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए जब आप उनकी एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं तो मेरा इसके लिए यह भी सुझाव है कि वैलफेअर आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता करे। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक सेल इसके लिए क्रियेट की जाय जो उस वैलफेयर आफिसर के नीचे काम करे और उनकी दिक्कते मिटाने के लिए सहायक हो सके। इसलिए मेरा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : जब आप का नाम पुकारा गया था तब आप अनुपस्थित थे। जब उपस्थित रहने वाले माननीय सदस्य बोल चुकेंगे, आपको समय मिलेगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री हीरा लाल आर्य।

श्री लालचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो प्रस्ताव है वह सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के बारे में है जो बाद में आयेगा।

श्री लालचन्द : सूची नम्बर एक में है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद वाली सूची में है। मैं, पहले जनमत जानने हेतु परिचालित करने के बारे में जो प्रस्ताव है, उनके नाम पुकारूंगा।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीरल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अपने प्रांत में पुलिस का आंदोलन हुआ और यह अपने प्रांत में ही नहीं बल्कि समूचे देश के अन्दर हुआ। यह एक अनहोनी घटना थी कि पुलिस वाले जिनकी अनिवार्य सेवायें हैं, वह भी आंदोलन करें। इस पुलिस आंदोलन पर देश को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह आंदोलन होने के पीछे कुछ कारण थे।

सबसे पहला कारण तो यह है कि हम देखते हैं कि पुलिस के सिपाहियों का वेतन बहुत कम है और वेतन कम मिलने की वजह से उनका परिवार बहुत दुःखी रहता है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। यदि आप पुलिस के सिपाहियों के स्वास्थ्य का सर्वे करें तो इनमें से बहुत से सिपाही टी. बी. के मरीज हैं। इसलिए इन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए और सुख-सुविधायें बढ़ाने के लिए आंदोलन किया।

दूसरे, काम के घण्टों के बारे में मुझे यह कहना है कि वह चौबीसों घंटे काम करते हैं कि चलो फलां जगह घटना पर पहुंचो। काम के अधिक होने के बाद भी उनको कोई सुख सुविधायें नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने मांग रखी कि दूसरी सर्विसेज़ की तरह हमें भी सुख-सुविधायें मिलें।

इसके अलावा इनकी मांग थी कि अर्दली की जो प्रथा है वह समाप्त होनी चाहिये। हम देखते हैं कि पुलिस के आफिसर्स के यहां पुलिस के सिपाही दास की तरह काम करते रहते हैं। पहले पुलिस वाले पढ़े लिखे नहीं थे और अब पढ़े-लिखे लोग दास की तरह काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ तो पुलिस वालों ने मांग रखी कि आज थाने और चौकियां बेची जाती हैं और हम उनको पैसा लाकर दें। मुझे अफसोस है कि इन्होंने पहले आपसे शांतिपूर्वक बात की और जब इनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने आंदोलन किया। मैं चाहूंगा कि पुलिस वाले अनुशासन में जरूर रहें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी जुबान को ही बन्द कर दिया जाये। इसके लिये मैं चाहूंगा कि यह विधेयक पारित हो इसके पहले इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये ताकि इनकी जो उचित मांगें हैं, वह मानी जायें।

(श्री हीरालाल आर्य)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस कर्मचारी सेवा से बाहर निकाले गये हैं वह बहुत दुःखी हैं और उनके परिवार के लोग परेशान हैं इसलिए इनको वापस सेवा में लिया जाये ताकि इनका जीवन आराम से व्यतीत हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जायज मांगों के लिए आंदोलन हो सकते हैं। इस विधेयक के कारणों में आपने लिखा है कि बाहर के लोगों ने आंदोलन को भड़काया और दूसरे लिखा है कि पथ भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन्होंने भी आंदोलन को भड़काया। तो क्या पथभ्रष्ट का संचालन करने वाले सतभ्रष्ठ हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इधर आकर बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा।

श्री हरीश शर्मा : आप शान्त रहें। आपको तो इसका समर्थन करना चाहिये था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह तो आपको चापलूसी लगेगी।

श्री हरीश शर्मा : ··· जिसका भूखा पेट है, जिनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, उनको कहा जाता है कि चुप रहो। किसी भी संस्था में तीन बातें मुख्य होती हैं। विकसित मस्तिष्क, मुक्त वाणी और मुक्त आचरण। लेकिन इस तरह का विधेयक लाकर ऐसा कर दिया गया है कि पुलिस फोर्स को बांध कर रख दो ताकि यह निरंकुशता से शासन करते रहें। यह धीरे-धीरे उस प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं जैसी की रशिया में चली, चीन में चली और पाकिस्तान में चली। नाम देते हैं लोकतन्त्र का लेकिन तानाशाही के शिकंजे के द्वारा कसकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और उसी के लिये यह किया गया है।

इसमें लिखा है कि "जो कोई राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस दल के सदस्यों में साशय द्रोह फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वह जानता है कि द्रोह फैलाना है अथवा पुलिस दल के किसी भी सदस्य को अपनी सेवायें रोक रखने या अनुशासन भंग करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वह जानता है कि पुलिस दल के किसी सदस्य को उत्प्रेरण होना संभाव्य है, तो वह ऐसे कारावास

(श्री हरीश शर्मा)

से, जो 6 माह तक का हो सकेगा अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट जाहिर है कि यह सरकार अगर चाहेगी तो हमें गिरफ्तार कर लेगी, इस बात को लेकर कि तुमने विद्रोह फैलाने की कोशिश की। सरकार यदि कोई बदला लेना चाहेगी तो यह बदला लेने के लिए स्पष्ट कानून है। स्पष्ट है, इसमें ज्यादा विधायकों को एक ही बदबू आती है कि सरकार को जिससे बदला लेना होगा तो पुलिस विद्रोह के नाम से उसको बन्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने बिना शर्त के अपना आंदोलन वापस ले लिया उनको भी गिरफ्तार किया गया। जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को मकान नहीं है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, कम्बल नहीं है, उनको दबाते हुये आपको शर्म नहीं आती। उनको हर कोई दबा लेता है। हमारी जनता पार्टी जब आई''''

(व्यवधान)

हिन्दुस्तान में आचार संहिता खतम हो गई और आज राजनीति को दुकान बना कर चलने वाले इन्होंने पथभ्रष्ट किया है''''"

श्री लालचन्द : वोट तो इसी बिल के के समर्थन में देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसा ही होता है बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आपने उनको भड़काया इसीलिए यह हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पुलिस वाले आपका ख्याल रखेंगे। क्यों ईमान बेचते हो ?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : ईमान तो आप बेच रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने आपको भी भड़काया मगर कोई असर नहीं हुआ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों के बारे में कहूंगा कि यह बड़ी गलत बात है''''

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। भाषण समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : यह पुलिस कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है और भारतीय संविधान के अनुसार जो इनको अधिकार है वह मिलने चाहिएं। इनका आर्गेनाइजेशन करने का अधिकार छीना गया है जो बिल्कुल गलत है। मैं इन बातों को रखते हुए इसको जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव है, उसे प्रस्तुत करता हूं।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

श्री रामकृष्ण दास।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम।

(अनुपस्थित)

श्री मन्जूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने नाजुक मसले के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बिल को क्यों लाया गया? माननीय सदस्य ने जो बात कही, ठीक वही बात गृह मन्त्री जी ने कही कि पुलिस के सिपाहियों की हालत बहुत खराब है, पुलिस के सिपाहियों के वैलफेयर का ध्यान नहीं रखा गया। पुलिस के सिपाहियों की हालत खराब है इस वास्ते उन लोगों ने आंदोलन किया और जब उन्होंने आंदोलन किया तो उस आन्दोलन को दबाने के लिए हम यह बिल लाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिल तो ले आये लेकिन एक बात हमें विचार करनी पड़ेगी शायद हमने विचार नहीं किया, इस कानून को इम्पलीमेंट कौन करेगा। जिनके खिलाफ यह बिल लाया जा रहा है वे ही इस कानून को इम्लीमेंट करेंगे? जो कानून इम्पलीमेंट नहीं होगा उस कानून को क्यों बनाते हो? उपाध्यक्ष महोदय, इस वास्ते कोई बड़ी-बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ बात है कि अगर उन पुलिस कर्मचारियों की हालत को नहीं सुधारा गया, आप भी नहीं सुधारेंगे तो वे आन्दोलन की राह पर आयेंगे। उन सिपाहियों ने जब देखा कि दूसरे आदमी जब छोटी-छोटी बात को लेकर संगठित हो रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं और उनकी नाजायज मांगें भी कन्सीडर की जा रही हैं तो हम क्यों नहीं इस काम को करें। दूसरी यूनियन की मांगों को पूरा कर रहे थे उस वक्त हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिये थी कि जिनके हालात पर हम यह इम्पलीमेंट करवाना चाहते हैं, आज भी इस कानून को लाने से पहले मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, उन समस्याओं, उन तकलीफों को जो पुलिस का सिपाही भुगत रहा है उनको दूर कर दीजिये, उनको अगर

(श्री लालचन्द)

आप दूर कर देते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं तो पुलिस का सिपाही, आन्दोलन नहीं करेगा और उस आन्दोलन को कुचलने के लिए ऐसे कानून को लाने की जरूरत नहीं होगी । आज से पहले की स्थिति यह है कि जो लोग जेलों में गये हैं जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, यह माननीय गृह मन्त्री के शब्दों में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन लोगों को हमारी सरकार की गलती की वजह से तंग किया गया और उनको मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा । पुलिस की जो मांगें हैं, जो जायज मांगें हैं, उसका जायज तरीके से ध्यान करना चाहिये और यह मामला डिस्कस नहीं करके प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रासिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, भाषा झगड़ा तो भाषा के कारण से है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के अधिकारीगण अंग्रेजी भाषा से सोचना बन्द कर दें और अंग्रेजी में करते हैं तो उसका हिन्दी अनुवाद शुद्ध कर दें । डिसअफेक्शन का अनुवाद द्रोह किया है वह हिन्दी के साथ अन्याय है, विद्वता के साथ अन्याय है और ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत है । डिसअफेक्शन का अनुवाद द्रोह नहीं होता । मिसगाइडेड का पथभ्रष्ट किया है । एसोसियेशन का अर्थ संगम किया है । जरा इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये । हमने राईट आफ एसोसियेशन माना है । हमने यह भी माना है कि एसोसियेशन के द्वारा उनकी वाजिब मांगों को लिया जायेगा, उसको डिस्कस किया जायेगा, उसको मान्यता दी जाएगी । आई. पी. एस. का अपना एसोसियेशन है, वह अपनी मांग रखते हैं । उनको दुनियां भर का वेतन मिलता है, सिर्फ कांसटेबल के प्रति आज तक तक काई व्यवस्था नहीं की गई । राजस्थान सरकार ने कुछ दिया है लेकिन चाहिये एक किलो और आप दे रहे हैं 10 ग्राम, कैसे काम चलेगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी के आने के बाद····

(व्यवधान)

मजदूरों को 15 रुपये मजदूरी चाहिये····

श्री रघुनन्दन व्यास : मजदूरों की बात करने का हक नहीं रखते ···

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने तो बिल्कुल हराम की खाई है····

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पण्डागिरी करके खाते रहे हो ।

श्री रघुनन्दन व्यास : इनको बात करने का अधिकार है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी तरह हराम की नहीं खाते हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह तो बन्धक मजदूरों····

(व्यवधान)

कोई हक नहीं है आपको बात करने का····

(व्यवधान)

मेरा धन्धा है····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : रोज इन्त-जार करते हो, किसका मरे, हम खायें····

श्री नूरा : शादी ब्याह में भी खाते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ···

श्री सुरेश कुमार : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । आपकी बात पर व्यवस्था चाहता हूं । सदन के माननीय सदस्य श्री श्योपत सिंह ने माननीय श्री व्यास के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हराम की खाना

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : This is a fact. पण्डा हराम की खाता है ···

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : टैक्स चोर, बन्धक मजदूर रखने वाला····हम तो पूरी मजदूरी करते हैं ···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी चर्चा जारी रखें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पण्डा और मजदूरी दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं ? मरने का इन्तजार करते हैं····

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी को मापतियों का

(श्री रतनलाल वर्मा)

दादा बना दिया जाय ताकि इनकी भाषा सही हो जाय।

श्री मदनसिंह दांता : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ आर्डर।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि एक सदस्य न तो यहां पण्डा है न ग्रौर कुछ है। पण्डा कहते-कहते ग्रागे जाकर गालियां और निकलेंगी। इसलिए न तो यहां कोई पण्डा होकर ग्राया है ग्रौर न कोई मंगता होकर ग्राया है। यहां तो सदस्य के रूप में ग्राये हैं। इसलिए इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन्होंने बोला है पहले।

श्री मदनसिंह दांता : हां, वह भी निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय श्योपतसिंह जी जब ग्राप बोले तो हम सब खामोशी से सुन रहे थे, तो जब ये बोल रहे हैं तो ग्राप भी खामोशी से सुने····

(व्यवधान)

आपने सारे सदन का ठेका नहीं ले रखा है, समय खराब करने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनन्दन जी, ग्राप ग्रपनी चर्चा जारी रखें।

माननीय श्योपतसिंह जी ग्राप इन्ट्रप्ट नहीं करें। इन्ट्रप्शन की भी एक सीमा होती है। ग्राप इस तरह कब तक करते रहेंगे····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे सदन में इस तरह सम्बोधित करेंगे तो मैं भी कहूंगा। यह ग्रासन का काम है कि उनको रोके।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार सत्य बड़ा कड़वा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रनावश्यक चर्चा को छोड़ें. ग्राक्षेपों को भी छोड़ें ग्रौर मेन चर्चा पर ग्रा जायें।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा यह निवेदन है पुलिस के लिये उनको समान वेतन, समान सुविधायें, समान व्यवहार मिले ग्रौर उनकी स्थिति को सुधारें। लेकिन साथ ही उनमें डिसिप्लिन ग्राये। वे देश की सेवा करें। उस एसोसियेशन के माध्यम से ···

(व्यवधान)

उनको पूरी रोजी मिले, पूरी रोटी मिले ग्रौर उन सबका प्रयत्न करना राज्य सरकार का काम है। मैं गृह मन्त्री जी से

(श्री रघुनन्दन व्यास)

निवेदन करूंगा इन दो शब्दों का अनुवाद ठीक करने की कोशिश करें। यह आपका अनुवाद गलत है। असन्तोष क्यों होता है, उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत में एक कहावत है, "बुभुक्षितं किम् न करोति पापम्" अर्थात् भूखा कौन सा पाप नहीं करता। हम चाहते हैं कि पुलिस को इतनी तनख्वाह मिले, इतनी रोजी-रोटी मिले कि उनके मन में कभी भी असन्तोष प्रकट न हो और उनको अपना कर्त्तव्य पूरा करने में कभी बाधा न आये। लेकिन जो द्रोह और उद्दीपन शब्द है, ये सर्वथा गलत है। मैं चाहता हूं, इन शब्दों के सुधार के लिये जो व्याकरण की गलती रह गई है उसको अवश्य सुधार लें। मेरा निवेदन है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।

श्री मथुरा दास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के दो-तीन सदस्य नहीं बोले हैं, इसलिये मुझे थोड़ा सा समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा जब थर्ड स्टेज आये तो कोई भी सदस्य उस वक्त बोल सकता है।

श्री सम्पत राम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय जितने भी माननीय सदस्यों ने सदन में विचार-विमर्श प्रस्तुत किये, हमारे सिपाही की बहबूदी के लिये, कि उनको अच्छा वेतन मिले, अच्छी सुविधा मिले, उनकी भलाई हो, तरक्की हो। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे सीमित साधनों होते हुए भी हमने इस थोड़े से समय में क्या किया है पुलिस लाइन मेस भत्ते में जनता सरकार के आने से पहले 17) रु. मिला करते थे हमने 17 से बढ़ाकर 42) रु. कर दिये....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : महंगाई कितनी बढ़ गई।

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जहां उनको पहले 10) रु. मिला करते थे, अब उसको 35) रु. मिलते हैं। 25) रु. मैस अलाउन्स मिला करता था, आज हमने 50) रु. कर दिया।

श्री मथुरा दास माथुर : फिर भी असन्तोष है।

श्री सम्पत राम : उसके दूसरे कारण हैं। आप जानते हैं। पुलिस अधिकारी को ड्रेस फी मिलती थी लेकिन उसके रख-रखाव का कोई प्रबन्ध नहीं था। सबसे पहले हमने उनको 10) रु. माहवार की सहायता दी है कि अपनी वर्दी का रख-रखाव ठीक तरह से रखें। स्थायी यात्रा भत्ता कान्सटेबल को 15) रु. मिला करता था आज हमने उसको बढ़ाकर 20) रु. कर दिया है, हैड कान्सटेबल को यह अलाउन्स 20) रु. मिलता था उसको बढ़ाकर 25) रु. कर दिया है।

(श्री सम्पतराम)

ऊंट का भत्ता 40) रु. मिला करता था, उसको बढ़ाकर हमने 80) रु. किया है। सिपाही जो ड्राइवरी का काम करते थे और उनकी बराबर यह शिकायत रहती थी कि ड्राइवर का काम करते हैं लेकिन वेतन ड्राइवर के समकक्ष नहीं मिलता है, इसपर भी सरकार ने गंभीरता से विचार किया और उसमें 30) रु. की वृद्धि की। अब उनको इस काम के लिये 70) रु. देते हैं, पहले 40) रु. मिलते थे।

श्री मदन सिंह दांता : इनके मां-बाप कितना-कितना टैक्स देते हैं, इस पर भी कभी विचार किया है। कोई दे दिया तो अहसान किया है क्या? उल्टी बेइज्जती की है....

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : इसमें बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं होता है....

श्री मदन सिंह दांता : आप मेरी बेइज्जती करके पुलिस वालों की इज्जत कर दो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सम्मत राम : अगर मेरे शुभ और इज्जत के शब्दों से भी आपकी बेइज्जती होती है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हम इतना सुनते हैं, थोड़ा सा तो आप भी सुनिये। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, थाने के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी 75) रु. देने का तय किया है। बराबर इस बात की चर्चा की गई कि इनकी सख्त ड्यूटी रहती है। राज्य सरकार ने भी विचार किया है कि दिन भर खड़े-खड़े ड्यूटी देते रहते हैं, वास्तव में परिश्रम का काम है तो अराजपत्रित जितने भी कर्मचारी हैं, हमने उनको एक महीने की तनख्वाह भत्ते के रूप में और दी है। इसके साथ-साथ उनको कुछ छुट्टियों में भी सहूलियतें दी हैं। पहले उनको आकस्मिक छुट्टी सिर्फ 15 दिन की मिलती थी जो इस समय अन्य कर्मचारियों को भी मिल रही है लेकिन हमने उनको विशेष रूप से 25 दिन की आकस्मिक छुट्टियां दी हैं।

इसी तरह टी. बी. हमारे सिपाहियों को हो जाय तो उनकी खुराक आदि का पहले कोई प्रबन्ध नहीं था। अब हमने जो टी. बी. का मरीज हो, उसको अस्पताल की सुविधाओं के साथ वेतन सहित छुट्टी दें, इस पर विचार किया है और इस लाइन पर सोच रहे हैं कि जो टी. बी. का मरीज है उसको मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाय तो टी. बी. के दिनों में भी उसको कुछ वेतन सहित छुट्टी देना चाहेंगे।

अब प्रस्ताव आया है कि जनमत जानने के लिये इस बिल को पेश किया जाय। मैं समझता हूं इसका कोई औचित्य नहीं है। आज जनमत के लिये सबसे ज्यादा उकसाया है। आज के दिन पुलिस का विद्रोह खड़ा हो रहा है और एक कोने से दूसरे कोने तक फैल रहा

114

(श्री सम्पतराम)

है। मेरा निवेदन है कि 100 साल के बुड्ढ़े ने भी यह नहीं देखा होगा कि हमारा सिपाही इस तरह भाग जायगा, और अफसर कोई जायेगा तो उसको भी रोक लेगा। यही सब कुछ करने लग जायेंगे तो चोरियां होंगी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व जिस संगठन का है वही इस प्रकार चला जायगा तो क्या होगा? इसलिये समाज के दिलों में बहुत बड़ी बौखलाहट उन्होंने पैदा कर दी है। हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन क्या है, वह हम सब जानते हैं।

अब एक सवाल रह जाता है बाहर के आदमी का। इसके लिए हमने लिख दिया है बाहर का आदमी अगर उकसायेगा, विद्रोह पैदा करने को। वह अपने कर्त्तव्य पर जा रहा है और उसको रोकेगा तो वह इस कानून के दायरे मे आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी को पकड़ लेंगे। जिस प्रकार से हमारे फौजदारी कानून में व्यवस्था है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको दण्ड मिलेगा, इसके मायने यह नहीं है कि हर आदमी को चोरी में पकड़ लिया जाएगा और सजा दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है। फिर भी इसकी पावर्स हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है जो जिले का सबसे बड़ा अफसर है, वह अपना दिमाग अप्लाई करेगा, जजमेंट लेगा, उसके बाद अगर इस प्रकार का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रस्ताव अनावश्यक है, इसको वापस लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय गृह मन्त्रीजी विचारार्थ लेने के बारे में प्रस्ताव करें।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सम्पत राम (गृह मन्त्री): विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव तो मैं कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जावे?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया गया।

अब खंडशः विचार होगा।

खण्ड (2) में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 पर संशोधन है। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस खण्ड के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नांकित परन्तुक निर्दिष्ट किया जावे :

"किन्तु शर्त यह है कि पुलिस बल का कोई सदस्य अथवा सदस्यों का सामूहिक रूप में किया गया कोई भी सामूहिक हित का कार्य अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने अधिकारियों को प्राप्त करने हेतु सुविधाओं, वेतन तथा भत्तों आदि के लिए की गई कोई भी कार्यवाही या उठाया गया कोई कदम या इन प्रयोजनों हेतु उत्प्रेरता करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा।"

मैंने यह इसके अन्दर खण्ड 2 के आगे परन्तुक जोड़ने के लिए इंसर्ट करने के लिए कहा है। अगर आपका मन, आपका इरादा साफ है, क्योंकि आपने पहले जो घोषणायें कीं, आपने जो बातें की हैं, आपको सन् 78 में पुलिस कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र दिया था लेकिन जब वे सड़क पर आ गए, आन्दोलन करने लगे तब आपने मेहरबानी करके घोषणा की....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों बीच में बोल रहे हैं, यह लॉ मिनिस्टर का काम है क्या ? ये घोषणा जब आन्दोलन शुरू किया तब आपने घोषणायें कीं। तो यह....

श्री सम्पतराम : यह तो आन्दोलन करने से पहले बहुत बड़ी सुविधायें दे दी थीं।

श्री मूलचन्द डागा : आन्दोलन होने के बाद क्या सुविधायें दीं यह तो आपने अपने बयान में कहा है कि आन्दोलन होने बाद साढ़े तीन करोड़ रुपयों की और सुविधायें दीं।

श्री सम्पतराम : मेरे बयान में यह भी था कि डेढ़ करोड़ रुपये पहले ही दे दिए थे।

श्री मूलचन्द डागा : आपने साढ़े तीन करोड़ का कहा है।

श्री सम्पतराम : कुल मिला कर साढ़े तीन करोड़ कहा है। आप तो इतने बुद्धि-जीवी आदमी हैं, लरनेड आदमी हैं इतनी बात नहीं समझ सके। हम तो समझते हैं कि सदन के समय का उपयोग होगा, आपके ज्ञान से लाभ मिलेगा और आप अपनी अक्ल और ज्ञान को कहां रख देते हैं। सुनते ही नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने आन्दोलन करने के बाद दिए हैं। कह दीजिए कि दो करोड़ रुपये बाद में नहीं दिए। यह बात तो कहिए। आपका स्टेटमेंट है ओन रिकार्ड। जब उन्होंने आन्दोलन शुरू किया तो आप लोगों ने मांगें मंजूर की और उनको स्वीकार किया। फिर बात को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : हमने आन्दोलन करने से पहले भी बहुत सी सुविधायें दी हैं। सरकार के सामने वे अपनी मजबूरी रखेंगे और हमारे साधन परमिट करेंगे तो और भी भलाई के काम करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आन्दोलन करने के बाद दो करोड़ रुपये दिए वही बात कह रहे हैं और यही बात मैं कह रहा हूं। मेरा यह कहना है, आप कोई भी भाषा, जब तक आन्दोलन पर उतर नहीं आते तब तक नहीं सुनते। आन्दोलन हुआ तब उनकी मांगों को स्वीकार किया। अब मेरा यह कहना है कि चाहे दूसरे राज्यों में हो, तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय आयोग····

श्री सम्पतराम : इन्सान उसी के सामने झुकता है जिससे कुछ उम्मीद होती है। इस सरकार के सामने भी इसीलिए किया गया क्योंकि उनको उम्मीद थी।

श्री मूलचन्द डागा : अब आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि वह आपके सामने आशा करते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि यह जो बिल इंट्रोड्यूज कर रहे हैं तो उसमें मेहरबानी करके तीन बातें और कह दीजिए। वह मैं यह चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने सर्विस से निकाल दिया है उनको वापस ले लें।

श्री सम्पतराम : आप तो अमेंडमेंट पर बोलिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उसी पर आ रहा हूं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इस क्लाज के सम्बन्ध में ही सीमित रहें और जो सुझाव देना चाहते हैं वही वे दें। कृपया इस संशोधन पर बोलिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक बात कही आपसे। सवाल सिर्फ यह था, मैंने यह रखा था कि कोई भी यूनियन बने, अगर अधिकारों और कर्त्तव्यों के लिए गठित हो, आर्टिकल 19 के अन्तर्गत वे अपनी बात को रखें तो आप उनको इस तरह की सम्भावनाओं में नहीं लें। इसमें स्पष्ट है :

"कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सुविधाओं,

(श्री मूलचन्द डागा)

वेतन तथा भत्तों आदि के लिए की गई कोई भी कार्यवाही या उठाया गया कोई कदम या इन प्रयोजनों हेतु उत्प्रेरता करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा।"

अगर आपका मन इस बात के लिए गवाही देता है कि पुलिस के कर्मचारी जो हमारे हैं, जिनको अगर आप पुलिस यूनियन को रिकोग्नीशन देते हैं उस यूनियन को अधिकार होगा कि वह अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों की रक्षा करने के और कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए अगरकोई कदम उठावे तो उस कदम को आप कानूनी मानेंगे, अगर रिकोग्नीशन नहीं है तो उस कदम को कानूनी नहीं मान कर आप डिसअफेक्शन में ले लेंगे।

आपको एक बात कहता हूं कि कोई मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद अपनी मौलिक मांगें रखीं, उस समय उस यूनियन से क्या चाहते हैं, जिसको हम रिकोग्नीशन देंगे। मेरा कहना है कि अगर कोई ला फुल तरीके से लोग अपनी बात को रखें तो उसको भी आप मानें, यह मैं आपसे चाहता था और यही मेरा अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास जी, आपका भी संशोधन है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इस बिल के खण्ड 3 में यह संशोधन दिया है कि :

"इस खण्ड में से शब्द राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस बल के सदस्यों में साशय द्राह फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वह जानता है कि द्रोह फैलाना संभाव्य है अथवा "को विलोपित किया जावे।"

माननीय उपाध्यक्षजी, इस अमेंडमेंट के पीछे मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा श्री भटनागर साहब ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत जो आफेंस है और उस धारा की जो भाषा है वह इतनी अस्पष्ट, एक्जास्टिव और विस्तृत है कि उसको देखते हुए यह जो वर्ड रखा है 'डिसअफेक्शन', पुलिस के बल में डिसअफेक्शन लाना किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार के प्रति' उसको अगर आफेंस माना जाएगा तो निश्चित तौर से चुनाव के समय में कोई भी राजनैतिक पार्टी का व्यक्ति कोई भी, उम्मीदवार अगर पुलिस कर्मचारियों के मतों की प्राप्ति के लिए अगर पुलिस कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी कठिनाइयों के प्रति उनके जो भाव हैं, उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में, उनके लिए जो कठिनाइयां हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, उनका प्रचार-प्रसार करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे तो इस धारा 3 के अन्तर्गत उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। जब कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 पहले से ही है कि सरकार के प्रति डिसलोयेल्टी का प्रचार प्रसार करेगा तो उस पर कार्यवाही की जाय, वह आफेंस है। फिर धारा 3 में इसको जोड़ने का तात्पर्य? मैं यह नहीं कहूंगा कि जनता सरकार ऐसा नहीं कर सकती। आपातकाल के समय भारतीय संविधान में धारायें एड करने के सम्बन्ध में आपातकालीन असेंबली में एक महत्वपूर्ण

(118)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

एतराज उठाया गया था कि अगर कोई सरकार ऐसी आ गई जो सत्ता छोड़ना नहीं चाहे या वह अधिकारों का दुरुपयोग करे, आपातकाल के अधिकारों का दुरुपयोग कर सत्ता को बनाये रखने का प्रयास कर सकती है....

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने के लिए यह बोलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन के बारे में कह सकेंगे जब कि कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट के बारे में चर्चा नहीं उठा सकेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जैसा कि गृह मन्त्री जी ने कहा, यह कैसे मान लिया जाय कि यह सरकार नहीं करेगी अधिकारों का दुरुपयोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बिल की धारा 3 में मैंने जो मांग की है, इन शब्दों को विलोपित किया जाय। यह मेरा अमेण्डमेंट है, इसके प्रति मेरी आशंकायें हैं, इसलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि पिछले समय में भी जो आशंकायें प्रकट की गई थीं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि कोई भी सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगी। लेकिन फिर भी सत्ता का दुरुपयोग किया गया और आपातकाल में अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए मन्त्रिमण्डल ने लिखित में मन्जूरी दी। तो कोई भी सरकार को अगर इस प्रकार अनलिमिटेड पावर्स दिये गये। तो इन मामलों में माननीय गृह मन्त्री जी आज पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष फैला हुआ है, उनमें आप डिस-अफेक्शन पैदा कर रहे हैं। उनकी मांगों के प्रति उनकी कन्डीशन्स के प्रति, उनकी अवस्थाओं के प्रति, उनके अधिकारों को दबाने के लिए कोई राजनैतिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गलत होगा। मैं समझता हूं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 में इस प्रकार की कार्यवाही को एस्सर्ट करने के लिए स्पष्ट एक्जास्टिव प्रोविजन दिया है तो ये नये रूल्स लागू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, इनको हटाया जाय। जो दूसरा अमेंडमेंट मेरा है....

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 3 पर।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जी हां, इसका दूसरा पार्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो दूसरा संशोधन है, वह इस प्रकार है :

"इस खण्ड में अभिव्यक्ति पुलिस दल के किसी सदस्य को अपनी" के बाद अभिव्यक्ति सेवायें रोक रखने के पहले शब्द "विधि सम्मत जोड़े जावें।"

तो श्रीमान मैंने मांग की है कि विधि सम्मत शब्द सेवायें रोक रखने के पहले किया जाय अथवा पुलिस बल के किसी सदस्य को अपनी विधि सम्मत सेवायें रोक रखने या अनुशासन भंग करने के लिए प्रेरित करता है, सेवायें क्या? अगर आज कोई उच्चाधिकारी या राज्य सरकार किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को कोई काम करने के लिए कहें "He is bound in law." तो सेवायें कैसी होनी चाहिए इसका आप क्या एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मैं चाहूंगा सेवाओं के पहले विधि सम्मत करके इसको अधिक क्लियर किया जाय

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

जिससे कि किसी भी पुलिस कर्मचारी को अगर हम यह कहें तो कानून के अन्तर्गत जो रहें, कायदे का उल्लंघन न करे। आई. पी. सी., सी. आर. पी. सी. या पुलिस एक्ट में प्रावधान है कि पुलिस अपनी खुद की सेफ्टी के लिए फायरिंग कर सकती है, बिना आर्डर के, परन्तु अगर मजिस्ट्रेट का आर्डर भी उसके पास राईटिंग में नहीं है या मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं है दूसरा अधिकारी आदेश दे रहा है कि You open the firing तो क्या इस आदेश को इन्कार करने का राइट पुलिस कर्मचारी को दें तो क्या आफेंस होगा ? जब जयप्रकाश नारायण ने कहा देश के दूसरे नेताओं ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को गलत आदेश मानने से इन्कार कर देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र स्तर के नेताओं ने कहा है और मुख्य मन्त्री जी ने भी जब वो विरोध में बैठते थे, कहा होगा कि पुलिस कर्मचारी को ऐसे आदेश नहीं मानने चाहिये —

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको भी इससे एतराज नहीं होगा। आज कहीं फायरिंग होती है लाठीचार्ज होता है फिर पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों पर ब्लेम लगाया जाता है कि उन्होंने फायरिंग कर दी। किसी भी मजिस्ट्रेट पर चार्ज नहीं लगाया जाता। अभी बारां में फायरिंग हुई उसमें मजिस्ट्रेट इन्कार कर रहा है कि मैंने फायरिंग के आर्डर नहीं दिये, जिसकी जस्टिस सिन्धु जांच कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बारां में मजिस्ट्रेट ने खुद ने कहा कि फायरिंग कर दो। क्या पुलिस के कर्मचारी थानेदार या कांसटेबल बिना आदेश के फायरिंग कर सकते हैं ? तो इसमें यह होना चाहिए कि पुलिस कर्मचारी विधि सम्मत सेवायें करने के लिए ही बाध्य हों और अगर विधि सम्मत सेवा नहीं हो तो पुलिस कर्मचारी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह सेवा नहीं करे।

इसलिए गृह मन्त्री जी, आप इसको मान लीजिये, विधि सम्मत सेवायें अपने बिल में जोड़िये जिससे पुलिस कर्मचारियों में हौंसला रहेगा। आज सारी पुलिस फोर्स राजस्थान में क्या पूरे कण्ट्री में डिमोरेलाइज हो रही है।

आज कोई भी राजनैतिक नेता जो सक्षम है........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बैठता हूं।

आज कोई भी राजनैतिक नेता पुलिस की की गई कार्यवाही से बच नहीं पाता है। पुलिस कर्मचारियों का सामना करना पड़ता है। मेरा अमेण्डमेण्ट मान लेना चाहिए। राज्य सरकार अगर नहीं माने तो मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह अपनी अन्तरात्मा को टटोलें और इसको अस्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृहमन्त्री जी।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि अमेण्डमेण्ट ठीक नहीं है। यह पहला ही दृष्टिकोण नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, जिनको राज्य की सारी व्यवस्था का काम करना चाहिए। तो क्या हम उनको यूनियन बनाकर स्ट्राइक करने के अधिकार भी देते हैं। आखिर उनका दायरा क्या होना चाहिए। उनके अन्दर उनका आर्गेनाइजेशन भी है। उनके नुमाइन्दे भी हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का रूल यह नहीं है। मैं यह मानता हूं कि यह अच्छी बात हुई है। थोड़ा हौंसला आना चाहिए कि किस प्रकार से संगठन को रखना चाहते हैं। हमारा खुद का यह उत्तरदायित्व है तब भी लोगों ने महसूस किया था और महसूस करना चाहिए। राज्य सरकार ने भी महसूस किया। अभी माननीय सदस्य ने विधि सम्मत काम की बात कही है। गुप्ता जी, ऐसे भी काम होते हैं जो विधि सम्मत न होकर भी आवश्यक होते हैं। जैसे बाढ़ आ गई। तो वहां भी पुलिस को भेजना पड़ता है। वह विधि सम्मत तो नहीं है। लेकिन उसको भी करना होता है। जैसे आमेर का बन्धा टूट गया था। अगर हम पुलिस द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं कर सके होते तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका दुरुपयोग होगा। यह काम बड़ी जिम्मेदारी का, समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम करने का है। सामाजिक जीवन का नेतृत्व करने का है। मैं समझता हूं कि माननीय गुप्ताजी इससे सहमत होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट के बारे में....

श्री सम्पतराम : यह तो जानने नहीं देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा । मैंने यह कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

(व्यवधान)

अब रिप्लाई हो गया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I don't want to argue just for the sake of arguing मैं माननीय गृह मन्त्री जी को अपनी बात दो लाइनों में समझाना चाहूंगा। विधि सम्मत कार्य के लिए मेरा कहना यह है कि जो आपका कोडीफाई वर्क है। जैसे बाढ़ में या आग लग जाने में जाना पड़ेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

तो इसमें आपत्ति क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य रामकृष्णदास गुप्ता ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 पर संशोधन प्रस्ताव।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा दुःख है। जैसा कि आपने आर्टिकल 19 की बाबत कुछ कहा है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी को वह पढ़ कर सुनाऊंगा—

'Nothing shall be deemed to be an offence under this Act which is done in good faith, by or on behalf of any association formed of serving members drawn from the police force only for the purpose of furthering the interests of members of a police force....."

मैं तो उसको डिलीट कराना चाहता हूं।

"...... as such, where the association has been authorised or recognised by the Government and the act done is done under any rules or articles of the association which have been approved by the Government."

प्रोविजन नहीं होता। आप यह भी कहते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि हाईकोर्ट में भी यह बिल टिकने वाला नहीं है क्योंकि यह—

"....where the association has been authorised or recognised by the Government and the act done is done under any rules or articles of the association which have been approved by the Government."

दो चीजें गवर्नमेन्ट की होनी चाहिए। उनकी एसोसियेशन का आथोराइज करके रिकोग्नाइज करें। "Where the association has been authorised or recognised by the Government and the act done is done under any rules or articles of the association which have been approved by the Government."

अगर कोई पुलिस वाला एसोसियेशन बनाता है तो उसके बायलॉज को स्वीकृति भी नहीं दो। अगर वह कोई नारे लगाता है, आई० जी० मुर्दाबाद, डी० आई० जी० मुर्दाबाद तो इनके लिए भी इनको मन्जूरी लेनी पड़ेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो सैद्धान्तिक आदमी बनते हैं। आप

(श्री ईश्वरचन्द्र)

यह क्या कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि यह बुनियादी सवाल है। वह जो सब रूल्स और रेगुलेशन बनायें, उसको भी रिकोग्नाइज कराने के लिए गवर्नमेंट के पास जायेंगे। फिर आप एतराज करेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये। उसके बिना आर्टिकल का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री जी।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कमीशन ने इस पर विचार किया था। अगर वह नारे लगाते हैं, आई० जी० मुर्दाबाद, डी० आई० जी० मुर्दाबाद तो इसका कोई सवाल नहीं उठता है।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये। इसमें यही है कि वह स्ट्राइक नहीं करें। इस तरह के कोई काम नहीं करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्र ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 में संशोधन है। माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले खण्ड 4 में मैंने संशोधन दिया था वह यह है—"खण्ड 5 में शब्द किसी भी अपराध पर' के पश्चात तथा शब्द की पूर्व मन्जूरी के पूर्व प्रयुक्त शब्द 'जिला मजिस्ट्रेट' के स्थान पर शब्द 'जिला पुलिस अधीक्षक' प्रतिस्थापित किये जायं।

आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और यह मालूम होता है कि यह ऐसा एक्ट है जिसमें पुलिस के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। खण्ड 5 में भी मैंने यही दिया है कि एक आई० पी० एस० अधिकारी है और एक कलेक्टर है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बड़ा और एस० पी० को उससे कम माना जाता है। यह गलत है। बड़े-बड़े लोगों ने इसको मान लिया है कि लॉ-एण्ड-आर्डर का काम करने वाला पुलिस आफिसर एस० पी० होता है, वह एक आई० ए० एस० है नीचे नहीं होना चाहिये। यह जो आपकी भावना है, यह एक गलत भावना है कि एस० पी० आई० ए० एस० अधिकारी के नीचे होना चाहिए। ये दोनों एक ही जगह ट्रेनिंग लेते हैं मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, और आई० ए० एस० कहे, मैं ज्यादा जानता हूं लॉ एण्ड आर्डर के बारे में, यह

(श्री मूलचंद डागा)

सही नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि जो बिल आप ला रहे हैं उसमें आप उनको भी पावर दीजिये। अगर आप चाहते कि उनको ही पावर दें—he will give the permission, not the District Magistrate.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री महोदय।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब देने का सवाल ही नहीं उठता। इसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैंक्शन होनी चाहिये ताकि वह ठीक प्रकार से जजमेंट ले सके।

श्री मूलचन्द डागा : S. P. cannot take a decision.

श्री सम्पतराम : पता नहीं, कौन से आई० पी० एस० अधिकारी को खुश करने के लिये कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : If he can give permission, then he may also....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 में संशोधन है। माननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले क्लाज में जूडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी है, लेकिन इसके साथ ही मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उपखण्ड 2 को विलोपित किया जाय। इसे स्वीकार कर लें तो ठीक रहेगा क्योंकि समरी ट्रायल दुखदायी है और इसी से नागरवाला साहब जेल गए और मर गए। आज अगर ट्रायल लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टेलीफोन जाता है तो उसको देखते हुए मैं यह चाहूंगा कि आप समरी ट्रायल क्यों करते हो? इस शॉर्टकट से बचना चाहिए और प्रिन्सिपल्स आफ नेचरल जस्टिस को देखते हुए आप 6 महीने के लिए भेज रहे हैं, वे अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे। क्रिमिनल जूरिस्प्रडन्स को देखते हुए और नेचरल जस्टिस के सिद्धान्तों को देखते हुए आपको यह नहीं कहना चाहिए और जिन लोगों के लिए आप लागू करेंगे उन लोगों के संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि उनको रेगूलर ट्रायल दें।

श्री सम्पतराम : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं– "shall be tried" and "may be tried".

ट्रायल होती है तो मेण्डेटरी होती है। यह मेण्डेटरी तो है ही नहीं, वैसे भी ट्रायल कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात

(124)

(श्री सम्पतराम)

से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब पुलिस फोर्स में विद्रोह आयेगा तो हम चाहेंगे कि समरी ट्रायल हो, और एक साल तक मुकदमा नहीं चले। इसलिए इसको हम छिपाना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्र ने खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 में संशोधन प्रस्ताव है, माननीय श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 7 में संशोधन प्रस्ताव रखा है कि खण्ड 7 में शब्द 'अजमानतीय' के स्थान पर शब्द 'जमानतीय' प्रतिस्थापित किया जाय। चूंकि इसके अन्दर ट्रायल को लागू किया है और ऐसे मामलों को कागनिजेबल और नान-बेलेबल रखा है। इसका मतलब यह है कि जमानत नहीं होगी। मैंने 'अजमानतीय' शब्द की जगह जमानतीय शब्द रखने का प्रस्ताव रखा है। एक तरफ तो आपको जमानत का अधिकार नहीं देते, उनको स्ट्राइक का आप राइट नहीं देते। आर्टिकल 19 के अलावा 14 के अन्तर्गत हर कर्मचारी को आप बराबर ट्रीट नहीं करते। ऐसा कौन सा भयंकर आफेन्स है चोरी का या डकैती का या हत्या का अपराध है ? यूनियन बनाकर आवाज उठाते हैं, उन पर आप सारी बन्दिश करते हैं, एसोसिएशन भी आपकी अप्रूवल से बनायेंगे। एक तरफ आप उनसे अनुशासन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप नान-बेलेबल करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। हर कर्मचारी, मान लीजिये एक्विट भी हो गया तो एक तरफ तो जेल में डालेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी जनता में, जो दूसरों को पकड़ते हैं ? अगर छूट भी गए तो भी लोग कहेंगे कि तुम तो जेल में गए हुए हो। इसलिए उसको काबिल जमानत रखें, कुछ नहीं मानते हैं तो कम से कम यह तो रखिये। बिल्कुल ही नान-बेलेबल बना रखा है ? इतने क्रूर आप क्यों हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं। एक आदमी, एक आर्डिनरी आदमी खुद की जमानत लेकर छूट सकता है तो उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 7 के अन्त में "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।" के बाद में "परन्तु न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के प्रावधानों के

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए कागजात या ली गई शहादत को दृष्टि में रखकर उचित होने पर जमानत ले सकता है।" अभिव्यक्ति जोड़ने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट लॉ आफ दी लैण्ड जो हाइएस्ट जूडिशियल बाडी है और सबसे अधिक जूरिस्प्रिडेन्स है, यह स्पष्ट मान लिया गया है "where there is a rule, there have to be exceptions also."

दूसरी ओर ऐसा कानून बना है जिसमें ऑफेन्स नॉन-बेलेबल रखा गया है। वह दण्ड प्रक्रिया संहिता जो कि ला है, उसके परव्यू से बाहर रखा गया है। मैं समझता हूं कि अब तक के जो ज्यूडिशियल जजमेंट हैं उनके अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट किसी हालत में उनकी जमानत नहीं दे सकता। डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स में भी उस ऑफेन्स को नॉन-बेलेबल किया हुआ है और दण्ड प्रक्रिया संहिता से बाहर रखा गया है। इसलिए देश के हाई कोर्टस के डिफरेन्ट व्यूज हैं। एक व्यू यह है, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नान-बेलेबल आफेन्स होता है, और नॉन-बेलेबल आफेन्स होते हुए भी जमानत ली जा सकती है। दूसरा व्यू यह है कि डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स में आफेंस को नान-बेलेबल करके सी० आर० पी० सी० की परव्यू के बाहर····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जो इन्टरप्रेटेशन कर रहे हैं शायद वह इन्टरप्रेटेशन उसी तरह से नहीं है। नान-बेलेबल आफेंसिज में भी मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह नहीं है श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट की मर्जी है····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा सौभाग्य रहा है 12 वर्ष तक बैंच में रहने का....

श्री श्योपतसिंह मकासर : बीकानेर के लीडिंग लायर्स में से हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: "Not withstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under this Act shall be cognizable and non-bailable."

(व्यवधान)

आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस हार गई उस तरह आप भी हार जायेंगे। यह आपके हित में है। आप लोगों की भी जमानत नहीं होगी, फिर रोओगे। इस बिल के जरिए पुलिस कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति जो पुलिस कर्मचारियों को इनसाइट करेगा वह भी दोषी होगा।

श्री हरीश शर्मा : गृह मन्त्री कांग्रेस में चले जायेंगे तो वहां भी गृह मन्त्री बन जायेंगे उनके लिए क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री शंकरलाल : गृह मन्त्री को दूसरे शब्दों में दल बदलू कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे अफसोस है कि आज सिवा जनता पार्टी के और किसी पार्टी का पता ही नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक्सपर्ट ग्राधिनियन से लिखा होता तो दूसरी बात थी। यह लिखा है कि "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under this Act shall be cognizable and non-bailable."

तो श्रीमान् जमानत देने के अधिकार सी. आर. पी. सी. के ग्रन्तर्गत हैं ग्रौर दण्ड प्रक्रिया संहिता को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है—

"Not with standing anything contained in the Code of Criminal Procedure' ····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सी. ग्रार.पी.सी. के बाद में एक शिड्यूल है, उसमें ग्राफेंसिज दिए हुए हैं कि किस सेंटेन्स से पनिशेबल हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I agree, Sir.

श्री शंकरलाल : इन्टरप्रेटेशन कोर्ट में होता रहे। हमारा संशोधन है कि नान-बेलेबल की जगह बेलेबल हो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री जी ग्रापकी बात को मानने वाले नहीं हैं, मेरी मान सकते हैं। ग्रगर लिख दें कि दंड प्रक्रिया संहिता शिड्यूल को एक्सक्लूड करते हुए यह ग्राफेंस नान-बेलेबल होगा तो यह नहीं लिखा है। इसमें लिखा है :

"Not with standing anything containad in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under this Act shall be cognizable and non-bailable."

उसके बाद में जमानत लेने का प्रावधान भी शामिल है। कोर्ट्स में यह सवाल उठेगा। डिफेंस ग्राफ इंडिया रूल्स में यह सवाल उठा था। राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रलावा दूसरे हाई कोर्ट्स ने दूसरे ढंग का इन्टरप्रेटेशन लिया ग्रौर कहा कि सी. ग्रार. पी. सी. शिड्यूल एक्सक्लूड हुग्रा है इसलिए जमानत नहीं ले सकते या तो यह कर दें :

"Not with standing anything contained in the schedule of the Code of Criminal Procedure, 1973........"

तो एतराज नहीं है। गृह मंत्री जी यह कानूनी मसला है। ग्रापके दोनों तरफ वकील बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, वैसे तो ग्रापने स्वयं ने ही गुप्ता जी के पाइन्ट का स्पष्टीकरण कर दिया लेकिन जमानत जल्दी हो जाय यह शायद गुप्ता जी की मन्शा है। उन्होंने शहादत के लिए कहा। यदि शहादत के चक्कर में पड़ेंगे तो जमानत कैसे जल्दी होगी ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 173 सी. ग्रार. पी. सी. में है।

श्री सम्पतराम : मजिस्ट्रेट वैसे भी जमानत दे सकता है, दिक्कत क्या है ? कागनीजेबल और नान-बेलेबल, हमने समझ कर किया है ताकि इफेक्टिव रहे ।

श्री मदनसिंह दांता : Are you sure कि इफेक्टिव होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शंकरलाल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 7 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 7 स्वीकार किया गया ।

खंड 8 व 9 में संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड 8 व 9 स्वीकार किए जायं ।

(स्वीकृत)

खंड 8 व 9 स्वीकार किये गये ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए जायं ।

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए गए ।

प्रभारी मंत्री महोदय ।

विधेयक का पारण

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर ; उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी हम लोग किसी मर्ज का इलाज करते हैं तो इलाज ही मर्ज बन जाता है, यह देखा गया है । राज्य सरकार की इस भावना से कि पुलिस फोर्स में अनुशासन रहे, वे हड़ताल पर न जायं पब्लिक डिमांस्ट्रेशन न हो और पुलिस पैरा-मिलिट्री फोर्स है, उनकी असेंशियल सर्विस होने के कारण पब्लिक में ला एण्ड आर्डर कायम कर सके, हमारा कोई मतभेद नहीं । मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि पुलिस फोर्स में अनुशासन रहना चाहिए, वे आंदोलन न करें । मगर पुलिस का कोई भी सिपाही, चाहे सब-इन्सपेक्टर हो, चाहे इन्सपेक्टर, चाहे कान्सटेबल हो, चाहे हैड

(श्री मथुरादास माथुर)

कान्सटेबल, कभी भी सड़क पर नहीं आना चाहता, आंदोलन नहीं करना चाहता है। आज 30 वर्ष की आजादी के बाद ऐसे थोड़े मौके मिल सके कि पूरे भारत में पुलिस वालों ने ऐसा काम किया हो। राजाओं के जमाने में भी पुलिस की हड़ताल नहीं सुनी, अब क्यों हुई ? मैं जनता पार्टी को बुरा नहीं कहता, उसको बुरा कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। न तो सलेक्ट कमेटी की बात कही न कोई और बात कही। लास्ट स्टेज पर कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल अपने आप में इलाज नहीं। जो बिल आपने बनाया है इलाज की जगह पुलिस को और प्रोवोक करेगा। क्या इस बिल के बाद में पुलिस की हड़तालें नहीं होंगी ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ज्यादा होंगी।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या आप कह सकते हैं कि बिल से अनुशासन आ जाएगा ? आपकी भावना के साथ में हम भी अपनी भावना जोड़ना चाहते हैं। मगर इस बिल में जो बिल की रूपरेखा बनी है, यह बदले की भावना से बना है। पुलिस फोर्स का दमन करके अनुशासन करवाना, इतिहास में नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में आपने 6 महीने की जेल और 200 रुपये के जुर्माना का प्रोविजन रख दिया, अगर किसी पुलिस कर्मचारी ने हड़ताल की तो। आपने जो यह व्यवस्था की है इससे आप उनका भला नहीं कर रहे हो। इससे आंदोलन और अधिक भड़कने की सम्भावना बढ़ती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मन्त्री जी से बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, आप पुलिस वालों में इस बिल को लाकर और ज्यादा उन लोगों में डिससैटिस्फैक्शन मत बढ़ाओ। पुलिस में हमको डिसिप्लिन की जरूरत रहती है। पुलिस हमारी बैक-बौन है उसको आप प्रोवोक मत कीजिये। मैं तो यह कहता हूं कि this Bill itself is an incitement for disaffection.

यह आपने जो किया या करने जा रहे हैं यह बिल अपने आप में एक कलंक सिद्ध होगा। आपके इस बिल के क्लाज थ्री को पढ़िये, इसमें लिखा है :

"Whoever intentionally causes or attempts to cause, or does any act, which he knows is likely to cause, disaffection towards the Government established by law ..."

आप आज जिस तरह से इस बिल को ला रहे हो इससे तो आप एक्ट बनाकर आपके जो अलग वर्ग हैं, सी० आई० डी० है, इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट है और दूसरे पुलिस वाले लोगों में परेशानी क्रियेट हो जायेगी। लोगों में डिससैटिसफैक्शन फैलेगा। Your Act itself is point No. one for creating disaffection.

आज आपके इस काम से हमें दर्द होता है। वैसे तो होम मिनिस्टर साहब बहुत बड़े काबिल हैं। लेकिन मैं उनको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं समझता

(श्री मथुरादास माथुर)

हूं आपका यह बिल अपने आप में it is an incitement for disaffection.

इसका रिजल्ट हड़ताल होगी तो आप कहेंगे कि आपने आफेन्स किया। Who has advised you to make such law ?

लेकिन काज आफ डिससैटिसफैक्शन तो आपने इनको दिया है। आज आपने अपने यहाँ पर ऐसे अधिकारी रख छोड़े हैं जो कहते हैं, कान्सटेबल्स से कि हमारे पैर दबाओ, हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, हमारे जूतों को उतारो। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे यहाँ कुछ महकमों में विशेष रूप से देखने को मिलेगी। इसमें चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट लो, चाहे अपना पी० डब्ल्यू० डी० हो। इन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे यह काम करवाते हैं। आखिर क्या आपका पुलिस आफिसर अपने जूते भी नहीं उतार सकता, अपनी बनियान गन्दी नहीं धो सकता। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अधिकारी कर रहे हैं तो कम से कम हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है। इससे अब यूनियन बन जाने से उनमें डिससैटिसफैक्शन बढ़ेगा। आप चाहे डिसिप्लिन रखो। यह अच्छी बात है और मैं भी डिसिप्लिन के पक्ष में हूं। लेकिन जब आप उनको ज्यादा परेशान करेंगे तो अपने आप ही वह मजबूर होकर हड़ताल पर जायेंगे फिर आप उनको बुलाओगे, बातचीत करोगे। पहले भी कुछ बातें आपने उनकी वाजिब मानी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपने एक कमीशन नेशनल लेवल पर पुलिस वालों के लिये बैठा रखा है दूसरी तरफ आपने यहां पर अपने राज्य में एक कमेटी बना दी है। अब जब नेशनल लेवल पर कमीशन बना है और वह अपनी रिपोर्ट देगा तो आपको उस कमीशन की रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। चाहे आपकी सरकार के पास पैसा है या नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने कमीशन बैठाया क्यों? जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपने पहले लोगों को जमीनें का न्यौता क्यों दिया? पहले तो आप लोगों को जीमने का न्यौता देते हो और उसके बाद में जब लोग जीमने आते हैं तो आप कह दो कि हमारे पास तो जीमाने का सामान नहीं है। तो यह बात कैसे चलेगी। आप खुद ही काज आफ डिससैटिस्फैक्शन पैदा कर रहे हो।

(6.52 सायं)

(श्रीमती सुमित्रासिंह, सभापति, पदासीन)

अब नेशनल कमीशन जो आपने बनाया है, वह कुछ तो मांगें इनकी मानेगा। इधर आपने आर०डी० माथुर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी स्टेट लेवल पर बैठा दी। मैं भी विटनैस के लिये गया, आठ घण्टे तक रहे। अब वह अगर कुछ रिपोर्ट देती है तो आपको माननी पड़ेगी। कारण यह है कि आज आपका जो पुलिस का स्ट्रक्चर है वह ऐसा है कि उसमें सुधार की जरूरत है। वह सुधार नहीं होने के कारण काज आफ डिससैटिसफैक्शन फैल रहा है। अब आप देखिये आज यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, रोजाना स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इनमें सुधार करने की जरूरत है। आज आपने पुलिस में क्या किया। ट्रैफिक पुलिस अलग, उनको दूसरे पुलिस

(श्री मथुरादास माथुर)

वालों से क्या काम। आपको इनको कोआर्डीनेट करना पड़ेगा। पहले तो कोई भी पुलिस वाला रास्ते में ट्रक को हाथ दिया और बैठ कर चला गया लेकिन आज आपने ट्रैफिक की पुलिस ही अलग कर दी है। तो गृहमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज हर वर्ग में डिग्निटी है तो आपका पुलिस वाला क्यों नहीं डिग्निटी चाहेगा। आज वह राजा महाराजाओं वाला जमाना नहीं है कि उस समय लोग खम्मा धणी, अन्नदाता, महाराज कहते थे, वह कहें। आज हर आदमी में अपनी खुद्दारी होती है वह महसूस करता है कि उसकी भी कोई इज्जत है। आज वह पहले वाली बात नहीं कि एस० पी० साहब या थानेदार या सर्कल इन्सपेक्टर या कान्सटेबल को चाहे ड्यूटी पर हो चाहे ड्यूटी पर नहीं हो, अगर कोई बेइज्जती करता है तो आखिर एक कान्सटेबल की भी खुद्दारी होती है। सभापति महोदया, हमारे भारतीय सभ्यता की यह मौलिकता रही है कि हमारे हर भारतीय के मन में खुद्दारी होती है और आखिर आप उसकी कितने दिन तक मिन्जी मार कर डिसिप्लिन करवा सकेंगे। सभापति महोदया, मैं यहां पर एक गवर्नमेंट की क्रिटिक की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप पुलिस को डिग्निटी दीजिये। आप अगर उसको डिग्निटी नहीं देंगे और वह पुलिस का कान्सटेबल अगर हड़ताल करता है तो उसको उठाकर फटाक से जेल में रख देंगे। आपने ऐसा प्रोविजन कर दिया है कि वह अपनी जमानत भी नहीं करा सकता। दूसरी तरफ जो लोग ब्लैक मार्केटियर्स हैं जो लोग जनता का खून चूसते हैं उनको आपने जमानत पर छूटने की इजाजत दे रखी है। इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का आफिसर उसके खिलाफ है तो वह उससे नाराज होकर उसका झूठा चालान भी कर देगा, चाहे वह स्ट्राईक कोई इन्डिविजुअल करे, चाहे ज्यादा लोग मिलकर करें और इसकी जिम्मेदारी आप पर आयेगी क्योंकि कानून तो आपके वक्त में पास हो रहा है। यह कानून आपका किया हुआ है और you are yourself inciting the police personnel.

इससे डिस्सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पुलिस का महकमा डील किया है और एक भारतीय नागरिक हू। इसलिए एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप जो यह एसोसिएशन बनाने की बात इसमें डाल रहे हो इससे ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हो कि वह डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा और उसके ही रूल होंगे। यह आप उनका ही बाय प्रोडक्ट बना रहे हो। इसमें आप चाहोगे उमी को प्रेसीडेंट बना दोगे और वह वही काम करेगा जो आप कहोगे। इससे बाद में डिससैटिसफैक्शन बढ़ेगा तब दूसरी यूनियन इसमें बनकर नयी एसोशियेशन बनेगी। वह आप रिकोग्नाईज नहीं करोगे और फिर झगड़े होंगे। जिस तरह लेबर यूनियन में झगड़े होते हैं वह झगड़े आपके इसमें होंगे। इसके अलावा हम यह भी चाहेंगे कि आप अपना मॉडल तो दीजिये। क्या आप उनको right of public demonstration देते हैं? आपने इसमें जो व्यवस्था की है, you have yourself incited the police.

आपका मकसद क्या है? आप तो दर्द का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि दर्द को

(श्री मथुरादास माथुर)

और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप गृहमन्त्री जी, अपनी पुलिस में ऐसा मैकेनिज्म बनायें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर इनके लिए व्यवस्था करावें। क्योंकि वैसे भी बहुत सी दिक्कतें हैं। आप एक इण्डिविजुअल को जो कि जैसलमेर का है, उस कान्सटेबल को धौलपुर लगा देते हो तो वह क्या करेगा? अपने लिए कुछ आवाज तो उठायेगा। इसी तरह किसी की मां बीमार है, वह छुट्टी चाहता है और आप नहीं दो। अगर कोई सिपाही अपने डिस्ट्रिक्ट के पास में ट्रान्सफर कराना चाहे तो आप वह तो नहीं करोगे लेकिन उसके पास के डिस्ट्रिक्ट की तो मांग कर सकता है। यह छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक छोटा दर्द बाद में बड़ा दर्द बन जाता है, फिर एक से बढ़कर सौ हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि उनकी कठिनाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी व्यवस्था करें कि उनका एक जगह नहीं तो दूसरी जगह और दूसरी नहीं तो तीसरे स्टेज पर कहीं तो सुनवाई हो जाय अन्यथा यह बिल आपको ही तकलीफ देगा। यह वह बीमारी होगी जो बड़ा रूप ले लेगी। आखिर आप सभी लोग इसको देख लें। गृह मन्त्री जी काफी होशियार हैं और दूसरे आपके माननीय सदस्य भी होशियार हैं। इसलिये आप इसे कानून बनावें तो ध्यान से बनावें। This Act itself is a provocation for disaffection in the police force. Therefore it should be rejected.

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदया, शायद कुछ समझ में आ जाये इस ख्याल से बोल रहा हूं। सिपाहियों के हाथ में बन्दूक है, डंडा है उनको इस कागज से डिसिप्लिन सिखाओगे तो कभी नहीं सीखा पाओगे। यह कहा गया है कि उसको जकड़ कर रखा जायेगा। सभापति महोदया, अंग्रेजी शासन में भी हमारे देश में फौज में बगावत हुई थी जिस बगावत का नतीजा मौत होता था, जहां लोगों को शूट किया जाता था फिर भी बगावत हुई। सिर्फ नेवी में ही नहीं, चन्द्रसिंह गढ़वाली जो बहुत ही बड़े मिलिट्री के अधिकारी थे उन्होंने गोली चलाने से इन्कार कर दिया, अंग्रेजों का हुक्म मानने से कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। आप कानून से जकड़ कर, किसी के हाथ पांव बांध कर अनुशासन लागू करना चाहते हैं। यह वही पुरानी अंग्रेजशाही का तरीका है। आप उस तरीके से अलग नहीं हो रहे हैं जो कि अच्छा रास्ता नहीं है। 1922 के कानून को आज 1979 के अन्दर तरमीम करके ला रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सके।

माननीय सभापति महोदया, सिपाही, हवलदारों में डिससैटिसफैक्शन होता है, अगर आप उनकी ग्रिवान्सेज को मीट-आउट नहीं करते हैं। आपके सिपाही का हौंसला नहीं होता आई. जी. के आफिस में जाने का। आपके यहां कायदे हैं कि वह नहीं जा सकता। मन्त्री के पास सिपाही नहीं जा सकता तो फिर उसकी कौन सुनेगा? तो जब इस तरह के कानून आप बनाते हैं और अभी आपने क्या कर रखा है कि कोई एस. एच. ओ. जिले का जिले में नहीं रहेगा। डी. एस. पी. रह सकता है, कलेक्टर रह

(श्री श्योपतसिह मकासर)

सकता है, मेरे यहां गंगानगर जिले में डी. आई. जी. रहा, कलेक्टर वहीं का था, जगमालसिह डी. एस. पी. वहीं का था। यह लोग रह सकते हैं लेकिन थानेदार नहीं रहेगा। कितना असन्तोष होता है। अगर चिमनसिह डी. एस. पी. रह सकता है, भागीरथसिह डी. आई. जी. रह सकता है, कलेक्टर उसी इलाके में रह सकता है। वह लोग रह सकते हैं जिन्होंने औरतों के नाम से मकान खरीद रखे हैं, जिन्होंने फर्जी नाम लेकर जायदादें बना ली, वह हैं लेकिन एस. एच. ओ या हवलदार नहीं रह सकता। छोटा कर्मचारी जब इस तरह की हरकतें देखता है तो उनमें असन्तोष पैदा होता है। ऐसे भेदभाव पूर्ण व्यवहार ने पुलिस में असन्तोष पैदा किया है। सभापति महोदया, हमारे यहां बंगाल के मन्त्री आये गंगानगर में अभी एक महीने पहले श्री कांति विश्वास। मैंने उनका भी व्यवहार देखा। उनके साथ एक बाडीगार्ड था और गंगानगर जिला पूल की गाड़ी का एक ड्राइवर था। शाम को हम जिस समय खाने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि बाडीगार्ड कहां है। उन्होंने ड्राइवर तथा अपने बाडीगार्ड को एक टेबल पर साथ बैठाकर एक साथ खाना खाया। कितना असर पड़ा। यह भाईचारा है और उसका यही नतीजा है कि वहां पर हड़ताल नहीं हुई····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय श्योपतसिह जी, हमारे भूतपूर्व मन्त्री भी ऐसा किया करते थे और उनको गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी।

श्री श्योपतसिह मकासर : माननीय मन्त्री महोदय ने पूछा था कि उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी फैसेलिटीज दी गयी। इसको छोड़िये, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन इसको देखें कि वहां का व्यवहार कैसा है। भाईचारे का व्यवहार है। जैसा व्यवहार करोगे वही डिसिप्लिन पैदा करेगा। आपके क्रूर हाथ डिसिप्लिन पैदा नहीं कर सकते। सारा संसार सोता रहे और आपका सिपाही सर्दी की रात में आपका पहरा दे और आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करें। इन कागजों के टुकड़ों से उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो? उसके साथ व्यवहार आपको बदलना पड़ेगा।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ में, हो सकता है आप बहुमत के आधार पर, हो सकता है जिद् के आधार पर, यह हमारी जिद् नहीं है बल्कि आपके लोगों की भी मन्शा है कि इसको पास मत कीजिए। आखिर आपमें थोड़ी ईमानदारी है तो उनका ख्याल रखो। आपके पक्ष का कोई भी सदस्य आज इसके पक्ष में नहीं बोला इसलिए मैं आखिर में यही अपील करते हुए कि अब तो मुख्य मन्त्री जी भी आ गये हैं, बैठकर विचार कर लिया जाये। अभी भी वक्त है वर्ना यह तो आपके मुंह पर धब्बा रहेगा। यह इतिहास के अन्दर आप इस कानून को छोड़ जायेंगे, आपकी खूबियां लोग याद करेंगे या नहीं लेकिन लोग काले कानून के नाम से इसको याद करेंगे।

श्री सभापती : श्री परसराम जी मदेरणा।

133

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदया, आज जो बिल तीसरी स्टेज पर पारित होने जा रहा है, इस बिल के सम्बन्ध में और इसके प्रोविजन्स और प्रिन्सिपल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। दुखी मन से पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस मन्त्री जी को हिटलर इन मिनियचर की संज्ञा दी। लेकिन आज पुलिस मिनिस्टर की जितनी अभिव्यक्ति मृदु थी, मीठी थी और जितनी सहृयता से बोल रहे थे और संबोधित कर रहे थे, हालांकि पाली से आने वाले माननीय सदस्य उनके ज्ञान का वर्द्धन नहीं कर सके, यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन क्लाज 3 को जब पढ़ा, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य सदन में चर्चा कर रहे थे तो मैंने उसको इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा था। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं और सचेत भी करना चाहता हूं कि जो आपने वकालात की है, क्लाज 3 को डिलीट करने के लिए, यह क्लाज 3 तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो आप जैसे व्यक्ति हैं और जिस पुलिस एसोसिएशन की एडवोकेसी कर रहे हैं यह आपके लिए होने वाला है।

सभापति महोदया, 28 तारीख को आपने समर्थन दिया अविश्वास प्रस्ताव में लेकिन सबसे पहले इम्प्रिजनमेन्ट होने वाला है तो वह कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का होने वाला है। माननीय गृह मन्त्री जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यह आपकी मर्जी की बात है। लेकिन एक माननीय सदस्य ने ही नहीं, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस में डिससैटिसफैक्शन फैला है पूरे देश में और उसी सन्दर्भ में राजस्थान में उसकी पृष्ठभूमि की सारी बातें यहां कही गयी हैं लम्बी चौड़ी और मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी तीन मांगें मुख्य थीं, माननीय सदस्यों की, जिसकी वजह से यह एजीटेशन ज्यादा बढ़ रहा है और उसी के कारण अधिक विस्फोटक बना। इसलिए जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है उस सम्बन्ध में आप क्लीन स्लेट से जाइये कि हम बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन अब कानून बनाया है उसके अन्दर कोई फंस जायेगा। एसोसिएशन की वकालत करने वालों का तो वही हश्र होगा जो कि रामानन्द तिवाड़ी, बिहार वालों का हुआ और मुझे दुःख है कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को होम मिनिस्टर रामानन्द तिवाड़ी बनायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि डैड मामला मान कर पहले वालों को बरी कर दिया जाये। जिनको डिसमिस किया है उनको री-इन्सटेट करने की मांग थी, विथड्राल आफ केसेज की दूसरी मांग थी और उनकी सर्विस में जो ब्रेक किया है उसको कन्डोन करने की तीसरी मांग थी। यह मुद्दे हैं। अब तक प्रभारी मंत्री जी इन तीन मांगों को नहीं मान रहे हैं और हमेशा आप तो कहते थे कि हम इनकी मांगों को स्वीकार करेंगे, कोई रोये तो सही।

श्री सम्पतराम : मैंने यह कहा था कि मांगो उससे जो देने वाला हो। शूम क्या देगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह निश्चित रूप से कहा कि रोईये, पैर पकड़िये,

(श्री परसराम मदेरणा)

घुटने टेकिये उसके बाद मांगें मंजूर करेंगे। यह मुझे भी दिखता है। यह जो विधेयक हमारे सामने है, यह पूरे षड़यन्त्र की कड़ी है। सत्ता केन्द्रीयकृत की जा रही है यह सभी समेट कर होम मिनिस्टर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सरकार सभी जनतांत्रिक मूल्यों की यहां पर होली जला रही है इस सदन में। उन्होंने दुखी दिल से कहा, दो घंटे से दुखी हूं, कुछ कहना चाहता हूं। जो मांगें उन्होंने रखी हैं, बदले की भावना से तंग कर रहे हैं पहले उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करिये, यही निवेदन करता हूं।

श्री नूरा : सभापति महोदया,

श्री सभापति : आप अपनी बात संक्षेप में कहें, दो बिल और बाकी हैं।

श्री नूरा : मेरे को ही उलाहना न दें।

श्री सभापति : मैंने सभी से कहा है।

श्री नूरा (मसूदा) : जिस हालत में इस बिल का जिक्र किया है उसमें एक एक करके नहीं जाऊंगा बल्कि उन बातों की ओर जाऊंगा, उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण दिया है उसमें यह बताया गया है कि कुछ पथभ्रष्ट सदस्यों ने आंदोलन तथा अन्य अनुशासनहीन कार्यकलाप करने आरम्भ कर दिये। ऐसे लोगों का उल्लेख किया है। उन पर जुर्माना करने की बात कही है।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जो कालाबाजरी करते हैं, जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, जो आदमी को जिन्दा रखने के लिये दवाइयां तैयार करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं उतना उन लोगों के लिये जिक्र नहीं किया गया होगा जितना इन रोटी-रोजी के लिये सरकार से मांग करने वालों के लिये पथभ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान में जनता पार्टी का यह पहला काम है। केन्द्र सरकार ने मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाई थी और हिन्दुस्तान के सारे मजदूरों ने पालियामेंट के सामने जाकर उस बिल के लिये चैलेन्ज के साथ कहा, सरकार इस बिल को वापस ले वर्ना आन्दोलन करना पड़ेगा। सरकार किसी को कुछ दे नहीं सकती तो कम से कम ले तो नहीं। सजा देने का काम आसान है। इसको पहले वाले वक्ताओं ने काफी दोहराया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया, इस बिल की आड़ में छोटे कर्मचारी जो गरीब घराने से आते हैं, वे अधिकारियों के डर के मारे गुलाम की दृष्टि से रहेंगे, वे डरेंगे कि कहीं इस कानून का शिकार न हो जायें। यह जनता पार्टी का सबसे बड़ा तोहफा राजस्थान सरकार दे रही है। इसको गलत, काला बल्कि हिटलरशाही बिल कहना चाहिये और फिर मेरे जैसे एक साथी ने टुनक में कहा था कि गृह मन्त्री जी चाहे कांग्रेस की सरकार आयेगी, यह गृह मंत्री बन जायेंगे। यह कोई ठेका नहीं है, कांग्रेस की सरकार आयेगी। जब कम्युनिस्ट सरकार आयेगी तभी उनको अधिकार मिलेंगे। तब कोई अफसरशाही नहीं रहेगी। उनको सारी सुविधायें मिलेंगी। दुनियां में उदाहरण हैं। वहां दमन की बात नहीं की जाती, प्लानिंग की बात सोची जाती है। कांग्रेस सरकार में

(श्री नूरा)

मिनिस्टर रहे हैं, उन देशों में जाकर आये हैं, वह क्या देखते हैं। कांग्रेस की सरकार आयेगी या नहीं आयेगी, 30 साल में कांग्रेस ने क्या किया वह ईनाम लेकर इधर बैठी है। इन्दिरा गांधी मन-मन के आंसू बहा रही हैं कि अब मैं इमर्जेन्सी नहीं लगाऊंगी, और अब जनता पार्टी 2।।, 2।। मन के आंसू बहायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज विधान सभा में जो चर्चा चल रही है सभी मिनिस्टर साथी, समाजवादी घटक, जनसंघ के साथ तो खुद आर. एस. की पुलिस तैयार है, इस बिल को पारित करने से रोकिये नहीं तो आपकी लाठी आपके ही काम आयेगी। जैसा माननीय डागा जी ने कहा रामायण में लिखा है "अन्याय करने से अन्याय सहना बुरी बात है।" यह राजनैतिक तरीके से आप अपनी गलती को दबाने के लिए कर रहे हैं। वह अपने अधिकारों के लिये लड़ेंगे। उनके लिये आप ऐसा कानून लाकर नहीं रोक सकते और इसमें राजनीति की बात कहकर अपनी कमजोरी की बात कहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस बिल को पारित न किया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह दांता : मध्यावधि चुनावों में सिपाही क्या करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया....

श्री सभापति : जो माननीय खण्डशः विचार पर बोले हैं, अपने विचार प्रकट कर चुके हैं वे नई बात क्या कहेंगे ?

श्री हरचन्द सिंह : हमको मौका नहीं मिला।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सहयोग दें, सब माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो सम्भव नहीं होगा।

मैं समय की पाबन्दी कर देती हूं। चार मिनट से ज्यादा किसी को नहीं बोलने दूंगी और किसी को नाराजगी प्रकट करने का अधिकार भी नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : जो चालू बिल है वह ढ़ाई बजे से चला है। तीन-तीन बार चर्चा होनी है और तीन बिल पेश होने हैं। समय बढ़ा दिया है आपने आगे तक...

(व्यवधान)

श्री सभापति : महत्वपूर्ण बिल है....

(व्यवधान)

इसलिये आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : आप बोल चुके हैं दो मिनट में बात कह दीजिये।

एक माननीय सदस्य : श्री भी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया, सवाल यह है कि कान्स्टीट्यूशन का जो प्रिएम्बिल है वह क्या कहता है। वह यह कहता है.... "FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation." सारे

(श्री मूलचन्द डागा)

संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना में जो लिखा है, उसके खिलाफ आज इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है कि एक व्यक्ति आर्टिकल 319 के अन्दर अपना संगठन बनाकर बात नहीं रख सकेगा। इस प्रकार का कानून 1922 का जो एक्ट बना हुआ है उसकी नकल करके ला रहे हैं। इस कानून से आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कुछ महीनों के बाद फिर बड़ा आन्दोलन होगा और यह जनता पार्टी की सरकार उसके लिये जिम्मेदार होगी कि आप किस प्रकार दमन करना चाहते हैं और दमन के आधार पर विद्रोह होगा। वे अपनी सही बात कहना चाहते हैं, जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं संविधान के नीचे, उन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को रखने के लिए आन्दोलन करता है। उस आन्दोलन को सरकार कुचलती है तो वह लोक तन्त्र के मूल्यों को घटाती हैं। मैं फिर कहता हूं आप एक दिन के लिए और विचार कर लें। इस प्रकार का कानून ला रहे हैं कि जिसके अन्तर्गत डिफेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो अमेन्डमेंट दिया कि सामूहिक रूप से संगठित होकर कोई बात कहें लेकिन आपने उस बात को नहीं माना। मैं कहता हूं यह संविधान है जिसकी दुहाई देते हैं जिसने समग्र क्रान्ति का नारा दिया था आज वे ही उन मूल्यों को घटाकर मनुष्य की गरिमा को खतम कर रहे हैं। यह जो आपका बिल है, सारे पुलिस अधिकारियों में आन्दोलन पैदा करेगा ...

(सभा-उपसिति-पूर्वक घण्टी)

मैं कहता हूं जिनके चालान किये हैं उनको वापस लें। जिनके मुकदमे बन चुके हैं उनको भी वापस लें। जिन्हें नौकरियों से पृथक किया है, उनको नौकरी में वापस लें और इस संगठन को मान्यता दें। मैं समझता हूं यदि इस बिल को वापस नहीं लेती है सरकार तो बस जनता पार्टी के अपने घोषणा-पत्र के विरुद्ध काम कर रही है।

श्री सभापति : श्री आलम अली।

केवल दो मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) : बात मुद्दे की ही करूंगा सभापति जी, हर व्यक्ति सुरक्षा चाहते है। देश और घर की सुरक्षा पुलिस के हाथ में है और उसी पुलिस को आन्दोलन की छूट दे दी तो व्यवस्था किस से करवायेंगे। सभापति महोदय, कानून तो इस्यान छः राम-राम जपना और पराया माल अपना। मैंने देखा है....

(व्यवधान)

यह मखौल नहीं है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी....

श्री हरचन्द सिंह : क्या कह रहे हैं समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है।

श्री आलम अली खां : मैं एक बात कहनी चाहूं हूं। 12 सिपाही, 5 छुट्टी पर चला गया, एक दो अठो-उठी चला गया तो मैं सिफारिश करूंगा ऊंह छोटूसिंह थानेदार के तो तनख्वाह में फर्क पड्यों नहीं क्योंक

(श्री आलम अली)

सब इन्सपेक्टर की तनख्वाह और सिपाही की तनख्वाह बराबर है....

(व्यवधान)

और अनुशासन-हीनता अबार ही खतम हो जाएगी। समापति महोदया, विद्रोह हमेशा कोई भी पार्टी देश में अन्दरूनी कराने चाहवे तो

(व्यवधान,)

लोगा ने भड़कासी। माथुर साहब थे भूल गया काई जथा थे छा....

श्री हरचन्द सिंह : ये प्रवचन बोल रहे हैं या क्या ?

श्री आलम अली खां : थे प्रवचन ने काई जानो, ये मने सगला जाने हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने इस अध्यादेश की काफी पैरवी कर ली है, अब कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

श्री आलम अली खां : सभापति महोदया, मैं एक ही बात कहनो चावूं। थे पढ़या लिख्या आदमी छो : 12 आदमी में सूं पांच चल्या गिया तो कोई फर्क न पड़े।

(व्यवधान)

मैं मन्त्री जी ने निवेदन करूंगा कि वाकई मुद्दा की याही बात है।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभा-महोदया, कोई भी अव्यवस्था और बद-इन्तजामी होगी तो यकीनन कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। कोई भी सरकार ठीक ढंग से चलानी होगी तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है, कोई न कोई कानून बनाना होगा। लेकिन चेयरमैन मोहतरमा, मैं सदन को इस बावे के लिए भी आगाह करता हूं कि जब ताजिराते हिन्द में यह साफ लिखा हुआ है कि हर सरकारी कर्मचारी कानून के तहत अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए पाबन्द है। फिर यह सब्टीट्यूट कानून क्यों लाया जा रहा है कि एक पुलिस के सिपाही को पाबन्द कर दिया जाय। इस बिल नं० 40 के तहत वह क्या करेगा जब ताजिराते हिन्द में साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अन्जाम देने में किसी प्रकार लापरवाही करेगा या जान-बूझकर अवहेलना करेगा तो सजायाफ्ता होगा। जब आलरेडी आपके पास कानून है और था तो इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए इस तर्क के साथ, चेयरमैन मोहतरमा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कानून उनके लिए, उन पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं है, इसके पीछे एक गहरी जहन है और वह यह कि सामाजिक कार्यकर्त्ता जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, उन लोगों का दमन करने के लिए यह कानून काम में लिया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कानून को पास होने में कोई भी अक्लमंद माननीय सदस्य मदद नहीं कर सकता और इसको फिर से अवाम की समिति को, अवाम के पास में फिर राय जानने के लिए या दुबारा गौर करने के लिए

(श्री अब्दुल अजीज)

भेजा जावे ताकि इस पर फिर से गौर करें।

श्री मोहनलाल : भगवान ने ऐसी ही बुद्धि दे दी है कि ये तो करेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जो बिल पेश है, इस बिल की थर्ड रीडिंग की स्टेज पर बोलने का वैसे ही सीमित अधिकार है, समिति स्कोप है। मैं केवल आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा माननीय गृह मन्त्री को कि जो नेशनल पुलिस कमीशन ने 6 जून को ईंटरिम रिकमण्डेशन की है क्या यह बिल नेशनल पुलिस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट और उसकी रिकमण्डेशन के बराबर है? मेरा ख्याल है नहीं है। आप इंटरिम रिपोर्ट को पढ़ लें, मेरा ख्याल है कि यह पुलिस कमीशन की रिकमण्डेशन के बिल्कुल विपरीत है। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदया, मैंने जैसा पहले भी अर्ज किया था देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद में अगर बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी प्रिकाशन के, बिना किसी तैयारी के अगर कोई आन्दोलन हुआ है तो वह पुलिस फोर्स का आन्दोलन हुआ है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे बैक ग्राउण्ड है। आप जो यह बिल लाए हैं वह बगैर किसी डिटेल्ड डिस्कशन के लाये हैं। जो बिल लाये हैं वह 1922 का बिल है उसको ले आए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जो इस बिल में सेक्शन्स हैं, उन सेक्शन्स को पास करने के बाद जिस किस्म के, हार्श किस्म के प्रोवीजन इसमें होने के बाद पुलिस यूनियन कभी भी कोई इफैक्टिव काम नहीं कर पाएगी। न उनकी जेन्यूअन डिमाण्ड पूरी होगी, न लेजिटिमेट ग्रिवेंसेज पूरे होंगे। यह डैड-इफैक्ट का काम करेगा। न इसका कोई फोर्स होगा मैं निवेदन करूंगा कि इस एजीटेशन के दोरान जब पुलिस फोर्स ने पुलिस के अधिकारियों ने उस संगठन के लोगों ने, अधिकारियों ने बिना शर्त आन्दोलन वापस ले लिया, मुख्य मन्त्री जी, आपने और माननीय गृहमन्त्री जी, आपने उनको आश्वासन दिया था कि हमने जो कदम उठाए हैं हड़ताल को दबाने के लिए वह सारे वापस ले लेंगे, स्टेटस-को मेंटेन करेंगे। जितने लोगों को टर्मिनेट किया है उनको वापस ले लेंगे। किसी भी आन्दोलन का यह कोड आफ कंडक्ट होता है कि आन्दोलन समाप्त होने का ऐसा आधार बनाया जाता है। फिर यह तो बिना शर्त वापस लिया गया तो फिर स्टेटस को मेंटेन होता है। जिन लोगों को टर्मिनेट किया है उनको री-इंस्टेट करना चाहिए। जिनकी सर्विस को ब्रेक किया है उसको कण्डोन कीजिए और जितने केसेज चल रहे हैं उनको विथड्रा करें। यह आम तौर पर हर आन्दोलन के बाद होता है। जो पत्र मुख्य मंत्री जी ने चौधरी नरेन्द्रपाल सिंह जी एम. एल. ए., जो मावली से आते हैं, को लिखा था उसमें यह कहा था कि बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने एग्रीमेंट के बाहर काम किया है, उन पर मुकदमे चलाए हैं। जब उन्होंने बिना शर्त एजीटेशन वापस ले लिया और आपको विश्वास है कि डिसिप्लिन कायम हो तो फिर से स्टेटस को कायम करें और जो मुकदमे चलाए हैं उनको वापस लेने की घोषणा करें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

139

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया मैं राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 का विरोध करता हूं। वह इस आधार पर कर रहा हूं मान्यवर, कि यह ऐसा कानून बनाते जा रहे हैं कि राजस्थान के किसी भी नागरिक किसी पुलिस कर्मचारी और किसी भी व्यक्ति को, भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री मुर्दाबाद, आई. जी. पी. मुर्दाबाद, एस. पी. मुर्दाबाद, इस प्रकार का नारा लगाने के आधार पर, अपने दिल की अभिव्यक्ति इस सम्बन्ध में जाहिर करने पर छः महीने की सजा मुर्दाबाद के नाम पर हो जाएगी। यह ऐसा कानून इस राजस्थान के इतिहास में मेरे ख्याल से पहले नहीं बना होगा मुर्दाबाद के नाम पर। मान्यवर, आप कल्पना कीजिएगा कि जहां इतनी बड़ी पाबन्दी और बंदिश राजस्थान के किसी नागरिक पर लगायी जावे तो न केवल स्वतन्त्रता का हनन है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का घोर अपमान है। यह इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है मान्यवर, कि जो तमाम स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के मौलिक अधिकार कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया ने किसी भी नागरिक को दिये हैं वे इस कानून के द्वारा, जो कि आज माननीय गृह मन्त्री जी बिल पास करने जा रहे हैं, छीने जा सकते हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आर्मी के अन्दर ऐसा रूल है कि हर सन्डे को आर्मी के जो कर्नल हैं, हैड होते हैं, वे अपने सारे अफसरों के साथ बैठकर उनकी शिकायतें सुनते हैं। हर एक सिपाही जो आर्मी में होता है उसको पूरा अधिकार है कि दिल खोल करके अपनी बात को सारी फोर्स के सामने रखे। आपकी फोर्स के अन्दर ऐसा कोई तरीका नहीं है और चूंकि आपके एस. पी. सिविल व्यक्तियों से मिलते हैं और जिस पार्टी के कन्ट्रोल में है उनको सिर झुका झुकाकर सलाम करते हैं। उनकी जगह-जगह पर सलाम करने की आदत है। इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि हर कांसटेबल इसी तरह का बर्ताव उसके साथ करे, इसी तरह से बिहेव करे। इसलिए जब शिकायत नहीं सुनी जाती है, जब शिकायतें दूर नहीं होती है तभी जाकर विद्रोह की भावना पैदा होती है। मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह कानून लाकर आप हर कांसटेबल को मजबूर कर रहे हैं कि वह अपनी बात को, सही बात को न कह सके और अपने अफसरों के सामने कभी बोल नहीं सके। इसका नतीजा यह होगा, निश्चित मान लीजिये कि जब आप शासन में आये तब आपने कहा था कि हर एक को पूरी आजादी देना चाहते हैं। आपने यह भी कहा था कि सही रूप में जनतन्त्र कायम कर रहे हैं। आपने यह भी कहा था कि हर एक व्यक्ति को निडर होना चाहिये। इसको वास्तव में खतम करने जा रहे हैं। उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते। इस प्रकार का कानून लाकर उसको बाध्य कर रहे हैं कि वह एजीटेशन करे और मजबूर होकर आपका मुकाबला करे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कानून को विथड्रा कर लीजिये। मुझे मालूम है कि यह कानून इसलिये लाये हैं कि आप खुद तो

(140)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कुछ महीनों के मेहमान हैं, जब दूसरी सरकार आये तो उसके सामने आफत खड़ी हो जाय। मुझे याद है कि भैरोंसिंह जी ने एक दफा कहा था कि आप इतना खर्चा कर रहे हो ताकि आने वाली सरकार भुगतेगी। हम भी कहना चाहते हैं कि ऐसा काला कानून बनाने जा रहे हो जो कि आने वाली सरकार को आफत में डालने वाला है इसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है कि पचास हजार कांसटेबल्स को नाराज करें इसका खामियाजा आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री हरचन्दसिंह।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : सभापति महोदया, यह जो आज कानून पास होने जा रहा है और उसमें सारे विरोधी पक्ष ने एक स्वर से यह कहा है कि ....

श्री शंकरलाल : सत्ता पक्ष के लोगों ने भी।

श्री हरचन्द सिंह : सत्ता पक्ष वाले तो फर्जी बातें कहते हैं। अगर कहते तो वोट खिलाफ देते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ईमानदारी से तो सच ही कहते हैं लेकिन ह्विप का डण्डा गलत बुलाता है।

श्री हरचंदसिंह : सभापति महोदया, यह बिल पुलिस आन्दोलन को रोकने का नहीं है बल्कि यह कुछ सत्ता में बैठे हुये राजनैतिक नेताओं और पुलिस के उच्च अधिकारियों का षड़यन्त्र है। उनका एक पक्षपात है जिस पर इस सदन की मोहर लगाने जा रहे हैं। चूंकि सारी की सारी पुलिस फोर्स, जो नॉन-गजेटेड पुलिस के कर्मचारी हैं उनको आई. पी. एस. अफसरों का बन्धुआ मजदूर बनाया जा रहा है इस बिल में। वह सिपाही जो स्वाभिमानी है वह एक आई. पी. एस. अफसर के घर के बर्तन धोये, उसकी बीबी के पेटीकोट को धोये। अगर वह यह नहीं करेगा तो यह बिल है। यह उसको भय की जंजीरें दिखाकर मजबूर किया जा रहा है उस कांस्टेबल को, उसके सिर पर तलवार लटकाई जा रही है। अगर रामकृष्ण दास जी जैसा कोई आदमी इसका विरोध करेगा तो उसका भी इन्तजाम कर दिया गया है। यह इस तरीके से इस सदन की मोहर लगाई जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि आई. पी. एस. आफिसर्स के कार्यों से आप अपने आपको मुक्त कर लें और उन सारे नान गजेटेड सिपाहियों को बन्धुआ मजदूर न बनावें और इस बिल को विथड्रा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : खण्डशः विचार समाप्त हुआ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : दो मिनट सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, कृपया एक बात का ध्यान रहे कि--

(एक माननीय सदस्य)

'भरत कहे सुन भावी प्रबल
हानि लाभ जीवन मरण
सब जैसे ईश्वर माय ।।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदया, पुलिस और मिलट्री, इन दोनों में अगर अनुशासन न हो तो न तो कानून व्यवस्था हो सकती है और न देश की सुरक्षा ही हो सकती है। तो यह तो निश्चित है कि अनुशासन पुलिस में रहना ही चाहिये। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। परन्तु यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, क्या इससे अनुशासन कायम रह सकेगा ? कहीं ऐसा न हो कि अनुशासन आप रखना चाहें और इस कानून से दबाने की कोशिश करें। सन् 1922 में अंग्रेजों के राज्य में जो कानून बना उसमें तो पुलिस को दबाकर ही रखा जाता था और पुलिस को दबाकर ही अनुशासन कायम किया जाता था। सिपाहियों को अनुशासन में दबाकर रखा जाता था। परन्तु आज प्रजातन्त्र के युग में किसी प्रकार का दमन करे, तो दबाकर किसी प्रकार से अनुशासन कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जो कानून बनाया गया है यह पुलिस के दमन के लिये है पुलिस की जायज मांगों का समर्थन करने के लिये जो समर्थन करेगा, यह उसके भी दमन के लिये है। इसलिये इस कानून से कभी भी अनुशासन पुलिस में कायम नहीं कर सकेंगे। और निश्चित रूप से असन्तोष बढ़ाकर कानून में अव्यवस्था पैदा करेंगे। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी से, कि आप इस कानून को विथड्रा करें।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदया, मैं इस काले कानून के लिये मुख्य मन्त्री जी से खास तौर से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी तो 19 महीने जेल में नहीं रहे किन्तु इन्होंने जेल में रह कर कानून को भुगता है। सिपाहियों के प्रति जिनकी हमेशा से हमदर्दी थी, आप यह याद रखें, यह आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव है, पुलिस यूनियन बनाने का उनको भी हक है। उनके लिये कड़ा कानून बना दें इस तरह का सदा के लिये प्रावधान कर दें, यह जनतन्त्र के लिये बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। मुख्य मंत्री जी, आने वाले राजस्थान के सिपाही आपको हमेशा के लिये याद रखेंगे मुख्य मन्त्री के रूप में नहीं, काले कानून बनाने वाले के रूप में, इसलिये इससे बचा जाय।

श्री मदनसिंह दांता : I request you. one sccond, please !

सभापति महोदया, माथुर साहब के भाषण के बाद मैं समझता हूं हम कन्विन्स हो गये हैं कि यह प्रोटेकेशन हमारे लिये ही नहीं। यह सिपाही किसका पहरा देते हैं, कहां रहते हैं, किस-किस जगह उठते बैठते हैं अगर इस कानून की हद में बन्द हो जाय तो बड़ी खुशी की बात है। अगर बन्द न हो तो माननीय मंत्री साहब, रात को रहोगे या नहीं ? जब पुलिस समझेगी, कल से क्या करने जा रहे हो तो वहां एस० पी० और आई० जी० पी० के पहरे लगाना और सबसे बड़ा तो डिफेक्ट है पुलिस का नाम क्यों नहीं। यह सिपाही के लिये बिल बना

(श्री मदनसिंह दांता)

है । यह आई० जी०, डी० आई० जी० के लिये नहीं है, सिपाही बदमाश है, सिपाही खराब है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके लिये भी है ।

श्री मदन सिंह दांता : मेरे लिये तो आज ही हो जाय इस बिल में । बाद में मैं सिपाहियों को जगाऊंगा । उनको हम जगायेंगे कि अधिकार क्या हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्यों ने पुलिस के सिपाहियों के प्रति जो हमदर्दी बताई है उसके लिये तो मैं उन सब का बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगा । पुलिस के सिपाही देश के हित में देश की शांति और व्यवस्था के भागीदार हैं। उस सिपाही की, मेरा ऐसा विश्वास है कि पहली बार इस विधान सभा में प्रशंसा हुई । इस विधान सभा में जब कहीं भी शांति और व्यवस्था का प्रश्न आकर खड़ा होता है तो सभी माननीय सदस्य गृह मन्त्री पर वार नहीं करते । पुलिस के सिपाही और अधिकारी पर सबसे पहले वार करते हैं । इस बात की भी चेष्टा करते हैं कि किसी मसले की जांच न की जाय बल्कि सिपाही और अधिकारी को तुरन्त सस्पेण्ड किया जाय । मुझे इस बात की खुशी है कि आज थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ । और उस हृदय परिवर्तन के कारण....

(व्यवधान)

मैंने आपके हृदय परिवर्तन के लिये कहा है । आज आप सब पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं । मैं तो समझता हूं पुलिस के लिये ऐसा सौभाग्यशाली दिन नहीं होगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके लिये भी हो सकता है । क्योंकि आप भी तो पुलिस में रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये ताकि आपको तसल्ली हो जाय । यह कानून सबसे पहले 1922 में, जिस कानून को काला कानून कहा जा रहा है, इसका आरिजिन 1922 है । 1922 के बाद 25-1-23 को आसाम में इसे लागू किया, 13-3-30 को पंजाब में, 15-5-30 को बिहार और उड़ीसा में, 5-3-33 को बम्बई प्रेसीडेंसी में और 1-9-30 को नार्थ वेस्टर्न फ्रन्टियर प्रोविन्स में लागू हुआ । इस कानून के लागू होने के बाद देश में आजादी आई, संविधान लागू हुआ और उसके बाद इस कानून को (ए) श्रेणी की स्टेट में लागू कर दिया गया । (बी) श्रेणी की स्टेट में लागू नहीं किया गया । 1956 में स्टेट्स री-आर्गेनाइज्ड हुई और री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना । उस समय कई स्टेट्स में इस कानून को फिर लागू कर दिया गया और मैं कह सकता हूं कि आजादी के पहले भी यह कानून लागू था और बाद में भी लागू था । राजस्थान में यह कानून लागू नहीं है । अब आ गया यह प्रश्न कि राजस्थान में यह काला कानून किस की पैदाइश है ।

यह राजस्थान में काला कानून सबसे पहले

(7.50 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

29-8-63 को इस विधान सभा में प्रस्तुत किया गया । 29-8-63 को यह बिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सलेक्ट कमेटी में गया था। फिर विधान सभा में प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत होने के बाद पास नहीं हो सका।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दलों ने पास नहीं होने दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विरोध करने वालों में एक मैं था और दूसरे प्रो. केदार थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वही अब आप पास कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बंगाल में क्या स्थिति हुई हैं। आप तो उस वक्त बहुत जोर-शोर से बोल रहे थे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह भाषण ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मेरा नोट आफ डिसेण्ट था और दूसरा नोट आफ डिसेण्ट प्रो. केदार का था।

मैं वह पढ़ कर सुना देता हूं अन्यथा ईमानदारी नहीं होगी।

असहमति टिप्पणी

राजस्थान पुलिस (अनिष्ठ हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, 1963 के सम्बन्ध में नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन के सबंध में हमारी निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत है :—

यह विधेयक जहां सिद्धान्त रूप में अनुचित् है वहां इस अनौचित्य को और भी सख्त बनाये जाने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में जहां मामूली रूप में पुलिस फोर्स के व्यक्तियों को तथा अन्य व्यक्तियों की शिकायतों को दूर कराने के प्रयास करने पर कुछ संरक्षण दिया गया था, वह भी समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुसार जहां पुलिस अधिकारियों को अपनी एसोसिएशन बनाकर अपनी शिकायतें दूर कराने के प्रयास करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस विधेयक के द्वारा इस अधिकार के प्रयोग को निरर्थक करने की चेष्टा की गई है। इस विधेयक की धाराओं को इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए था जहां पुलिस के कर्मचारी अपनी मांगों को रख उन पर विभाग अधिकारियों तथा उनके न सुनने पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे परन्तु इन धाराओं की मौजूदा स्थिति पर वह कुछ भी नहीं कर सकेंगे अतः यह टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है।

यह कानून है जो 1963 में कांग्रेस सरकार ने पेश किया प्रो. केदार का नोट आफ डिसेण्ट यह है—

"The very word 'disaffection' is objectionable. Explanation given in clause 3 is far from being satisfactory. Not only vague, but it can be easy to be misconstrued and misinterpreted. Thus empowering the State Government to deprive the police employees of their

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

democratic rights and human values."

ये दो डिसेण्टिंग नोट्स थे। जो सलेक्ट कमेटी में मैंने और प्रो. केदार ने दिये थे। इसका मतलब यह था कि उनको अपनी ग्रिवेंसेज सुनाने का कोई अवसर प्रोवाइड नहीं करते हैं और ऊपर से आप कानून बनाते हैं जो विधेयक हमने प्रस्तुत किया है, उसमें उनकी एसोसिएशन बनाने की व्यवस्था की है। उनकी ग्रिवेंसेज किस प्रकार से आ सकती हैं, इस के लिए एक कानून लागू किया है। यह 1963 के बिल में नहीं था। अब मथुरा दास जी माथुर बड़े जोर-शोर से कहते हैं। लेकिन गृह मन्त्री की हैसियत से इन्होंने इस बिल को 1963 में पेश किया है। मैं वह पढ़कर सुनाता हूं :—

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (इन्साइटमेण्ट टू डिसअफेक्शन) बिल, 1963 विचारार्थ लिया जाये।"

श्री मथुरादास माथुर : वह बिल वापस भी ले लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं भी विथड्रा नहीं किया है। यह कानून पास नहीं हुआ है। मथुरादास जी माथुर ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, इसको पास करवाने में।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो के बदले ही विथड्रा किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1973 में जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 1973 में श्री परसराम मदेरणा की सरकार थी। मूलचन्द डागा की सरकार थी। रामनारायण चौधरी की सरकार थी। उस सरकार ने केबिनेट में अप्रूव करके 1973 में इसको इण्ट्रोड्यूस किया है। राजस्थान राजपत्र 1973 में यह प्रकाशित हुआ है।

(व्यवधान)

आप अनुमान लगायें, माननीय मथुरादास माथुर, मूलचन्द डागा, परसराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी इसको काला कानून बता रहे थे। इस काले कानून को जन्म देने वाली तो कांग्रेस पार्टी है।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो कहते हैं, अगर आपमें हिम्मत है तो इस बिल को विथड्रा कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पार्टी ने किसी सिपाही को नहीं दबोचा। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस सिपाही से हमदर्दी बरती जा रही है। 10 वर्ष तक आप गृह मन्त्री रहे। एक पैसा भी किसी का बढ़ाया हो तो बताइये। आबू से आपके नेता सुखाड़िया साहब ने····

(व्यवधान)

आपने कभी नहीं किया। मैंने मांग की थी।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल झूठ। कभी मांग नहीं की थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माथुर साहब के सारे कारनामे खोलने की जरूरत नहीं है। मैं वह तस्वीर बताना चाहता हूं। यह पुलिस की हमदर्दी में मन से नहीं बोल रहे हैं। पुलिस की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं। यह चाहते हैं कि पुलिस के सिपाही सरकार से संघर्ष लें। लोकतन्त्री व्यवस्था से संघर्ष लें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप विथड्रा के समर्थन में बोल रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पुलिस कमीशन की बात कर रहे थे। मथुरादास जी माथुर ने पुलिस कमीशन नियुक्त किया था। तब असेम्बली में मैंने आवाज उठाई थी। यू० पी० के एक भू० पू० गृह मन्त्री, शायद उनका नाम गोविन्द नारायण....

एक माननीय सदस्य : परिपूर्णानन्द....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह नहीं थे। शायद गोविन्द सहाय था। पुलिस कमीशन नियुक्त किया था। वह पुलिस कमीशन भी गये। गोविन्द सहाय को भी खा गये। पुलिस के सिपाहियों की ग्रिवेंसेज मालूम हैं। चुनाव के पहले ही मालूम थी। इसलिए भारत सरकार ने पुलिस कमीशन नियुक्त किया है। आपकी सरकार ने एक बार भी, 30 वर्षों में एक बार भी पुलिस कमीशन नियुक्त किया हो तो बता दें। भारत सरकार ने पुलिस कमीशन की रिकमेण्डेशन लेकर पुलिस की वर्दी, भत्ता और तनखाह में सुधार किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मिलट्री से मरवाये कितने हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कांग्रेस के जो आपके पास बैठे हैं, उनसे पूछिये। यू० पी० में पुलिस आन्दोलन हुआ, 100 पुलिस कर्मचारियों को गोलियों से भूनवाया है। आपके चीफ मिनिस्टर बंगाल में बैठे हैं। उन्होंने कमीशन से साफ कहा है कि हम कोई सुविधा नहीं दे सकते हैं, हमारे यहां की व्यवस्था ऐसी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वहां क्या आन्दोलन नहीं हुआ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि और जगह तो बाहर से पुलिस लाये होंगे लेकिन आपके बंगाल में तो पुलिस से पुलिस को लड़ाकर आन्दोलन समाप्त कराने की कोशिश की गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों हो रहे हैं। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो हमदर्दी बताई जा रही है उस हमदर्दी के लिए तो धन्यवाद। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को हमदर्दी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप बनावें और आप आन्दोलन की बात करते हैं, बाहर के आन्दोलन करना चाहें या अन्दर के आन्दोलन करना चाहें, आप सुधार की बात तो नहीं करना चाहते। आप यह कहते हैं कि लोकतन्त्र पर कुठाराघात हो रहा है और नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य काला कानून कहते हैं। काला कानून तो परसों बना है, जिसको आपने बनाया है

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप मुख्य मन्त्री हैं?

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : आप लोकतन्त्र के हत्यारे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि विरोधी दल के चीफ व्हिप इस प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं, यह तो सदन के लिए सौभाग्य की बात है

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : आप मुख्य मन्त्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप चीफ व्हिप हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इसको काला कानून कहें या नहीं कहें, लेकिन आप असलियत पर तो आते, इसमें उनके वेतन बढ़ाने की बात है, वर्दी की बात है, उनके बच्चों की शिक्षा की बात है, और दूसरी सुविधाओं की बात है, इसके बारे किसी ने कुछ नहीं कहा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने कहा बहुत····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 3 में यही बात है, सुविधायें, भत्ते, यही तो लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन वह जुबान पर नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि पुलिस फोर्स में असुविधायें हैं, उनको जितना रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए उतना हम नहीं दे पाए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े तीन करोड़ की सुविधायें हमने एक ही वर्ष में दी है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस के सिपाही आम तौर से सन्तुष्ट हैं। आप लोग कितने ही नारे लगाओ, पुलिस का सिपाही आन्दोलन नहीं करेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर यह कानून क्यों ला रहे हो?

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : फिर इसकी क्या जरूरत है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, मेरे बोलने से पुलिस के सिपाहियों में बेचैनी नहीं है, लेकिन विरोधी पक्ष में बेचैनी है

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई बेचैनी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेचैनी नहीं है तो शान्ति का प्रदर्शन करो। मैं इसलिए यह निवेदन कर रहा था कि आज पुलिस के सिपाही का वेतन····

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये 'बोलना रस्ते और चलना कुरस्ते' मत जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात बता दूं, बोलने में गड़बड़ होती तो मैं कहता कि वेतन बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ाया, ज्योतिर्वसु ने कहा था लेकिन नहीं बढ़ाया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इसको चैलेंज करता हूं, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चैलेंज करो, पुलिस का सिपाही नहीं मानेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : त्रिपुरा में दिया है, 70 रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बंगाल में नहीं दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल में दिया है 75 रुपया मैसअलाउन्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। श्योपत सिंहजी को पूरी जानकारी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे पूरी जानकारी है, मैं अभी दिखा दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है। ये असेम्बली के रूल हैं जो आपने दिखा दिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये असेम्बली के रूल्स नहीं हैं, इसमें लिखा हुआ है 75 रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़िये।

(व्यवधान)

अब मैं समझता हूं····

(व्यवधान)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस फोर्स ने जहां सारे देश में आन्दोलन छिड़ रहा था वहां पर शान्ति और अनुशासन से काम लिया और जिन लोगों ने अनुशासन हीनता दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने कानून और शान्ति से काम करने वाले लोगों के काम में बाधा डालने की कोशिश की, पुलिस को बहकाने का जिन्होंने प्रयत्न किया, जिन्होंने बलवा कराने की चेष्टा की, हमने उन लोगों का विरोध किया और मैं समझता हूं इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात को ताईद किए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिना नहीं रहेगा कि आन्दोलन चल रहा है। कहीं मर्डर हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं चोर घुस जाए और पुलिस वाले कहें कि स्ट्राइक पर हैं। इस चीज को न इधर बैठने वाले चाहेंगे और न उधर बैठने वाले माननीय सदस्य चाहेंगे। इसको कोई भी सहन नहीं करेगा और न कोई चाहेगा।

(व्यवधान)

मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इस सारे मसले को राजनीतिक आधार पर मत देखिये। अब वह जमाना गया। 30 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा और आज यह व्यवस्था है कि एक पार्टी का शासन आता है और दूसरी पार्टी का शासन जा रहा है, इसलिए उनका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा।

(व्यवधान)

मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं; इस सारी स्थिति में आप लोग पुलिस के लिए सुझाव देते। उनकी रिक्वायरमेण्ट्स पूरी करने के लिए सुझाव देते। बजट में किस प्रकार से प्रावधान किया जाय, उनके बच्चों की किस प्रकार से शिक्षा हो, उनके दूसरे साधन किस प्रकार बढ़ाए जायें, अगर माननीय सदस्य ये सुझाव देंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। काला कानून का जन्मदाता मैं नहीं हूं, काले कानून के जन्म दाता कांग्रेस के लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जीभ चिपक गई भटनागर साहब।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उनकी सर्विसेज का क्या होगा, हम वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पूरे विरोधी पक्ष ने तीन डिमांड्स के सम्बन्ध में पुरजोर शब्दों में निवेदन किया था गृह मन्त्री से। यह सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। अपने विचारों के अन्दर कोई तब्दीली नहीं ला सकती। इसलिए हम सरकार के इस रवैये के विरुद्ध सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री नवरंग सिंह : हमारी जो मांगें थीं

(श्री नवरंग सिंह)

सरकार ने उनको नहीं माना इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री ने यह बात कही कि इस काले कानून के जन्म दाता हम हैं। 1963 में कांग्रेस सरकार थी। इस कानून के सलेक्ट कमेटी में आने के बाद सदन की मन्शा को देखकर इस कानून को वापस ले लिया गया और कानून का जन्म नहीं हुआ। मुख्य मन्त्री ने सदन की भावना को देख कर विथड्रा किया है। केदारनाथ जी ने कहा था कि इसको वापस ले लिया जाए। पूरा पढ़ा नहीं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, कहीं भी कांग्रेस मन्त्री ने कहा हो कि हम इस कानून को वापस लेते हैं तो मैं तैयार हूं। जबर्दस्ती हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन में पास नहीं हुआ है, विधेयक के रूप में आया नहीं, कानून बना नहीं ···

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : ये झूंठ बोलते हैं, विरोधी पक्ष की बात नहीं मानते हैं इस लिए हम बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मदन सिंह दांता : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मुख्य मन्त्री सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही देखें, इसमें 10 दिन लगेंगे इसलिए यह बिल 10 दिन रोक लें।

कई माननीय सदस्य : पास हो गया।

श्री नूरा : मैं इस काले कानून को पास हुआ नहीं देखना चाहता हूं इसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री गुल मोहम्मद : जब भी सदन के नेता महोदय बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं बोल लूं उसके बाद आप प्रश्न पूछें मैं जवाब दूंगा और हम बीच बीच में प्रश्न नहीं करते। लेकिन प्रभारी मन्त्री हों या सदन के नेता महोदय हों, जब वे बोल चुकते हैं तो जब यहां से प्रश्न किये जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता और बिल पास करने का इशारा देते हैं और व्यवधान में, हठधर्मी से बिल पास कराते हैं। अभी इस समय देखा गया जैसे ही मुख्य मन्त्री ने बोलना बन्द किया, वह सदन से वाक आउट करके चले गये। सरकार के इस रवैये के विरोध स्वरूप में अपने ग्रुप के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस गुनाह को कांग्रेस ने नहीं किया उसको भैरोंसिहजी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मदनसिंह दांता : मैं सदन से वाक आउट तो नहीं करूंगा क्योंकि जितनी इस बिल की बुराइयां हैं उससे ज्यादा अच्छाइयां बताई हैं। लेकिन जहां तक सिपाहियों को छोड़ने का प्रश्न है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : उनके लिए न करें जिनका लिस्ट में नाम है, लेकिन जिनके लिए मालूम है कि ये उनके साथ नहीं थे····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज कहा है, इतनी जल्दी विचार कैसे हो जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष । शायद आवाज में नहीं सुना गया हो। मैं पुनः घोषित करता हूं कि राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक 1979 पारित किया गया।

श्री ईश्वरचन्द्र : कितनी ही बढ़िया स्पीच दें, यह काला कानून है।,

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979 परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979। श्री मूलचन्द डागा संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 जून, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1979) को अस्वीकार करता है।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार के लिये समय निर्धारण

श्री सूर्य नारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित करने के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : I am in possession of the floor of the House

श्री उपाध्यक्ष : सदन किसी भी विधेयक को पारित करने के स्टेज पर समय निश्चित कर सकता है। मैं सदन की सहमति प्राप्त करना चाहता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि इस बिल को पारित करने के लिए एक घण्टे का समय मुकर्रर किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पारित करने के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया जाएगा।

माननीय डागाजी दो मिनट से अधिक नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा संकल्प है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन ने निश्चय कर दिया है कि एक घण्टे में यह विधेयक पारित किया जाएगा।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : एक घण्टे में नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार बजे सुबह तक होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन का निर्णय है कि एक घण्टे में विधेयक पास होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों गला घोटते हो ? खड़े होकर एक घण्टा मुकर्रर कर दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मार्शल को बुला कर एक-एक को बाहर निकाल दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो मैं ही ले जाऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कान्ट्रोवर्शल बिल है, बहुत महत्वपूर्ण और सारे राजस्थान की लोकतान्त्रिक शक्तियों को झकझोरने वाला है। एक घण्टा तो डागा साहब ही बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कल लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही होगा।

श्री परसराम मदेरणा : कोई समय निश्चित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सदन की सहमति ली है एक घण्टे के लिए।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष जी, जब सदन में विरोधी दल नहीं था तो आपने सहमति ले ली।

श्री परसराम मदेरणा : हम लोग नहीं थे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो परम्पराओं के पोषक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डागा साहब, दो मिनट में चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार के बिल के बारे में हम सही भूमिका निभा नहीं पाते और आप इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं, यदि हम अनुपालना नहीं करते हैं तो हम धर्म संकट में पड़ते हैं। आप मुझे दो मिनट के लिए

(152)

(श्री मूलचन्द डागा)

कह रहे हैं। सवाल यह था कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव हुए तो हमारी सारी पंचायत, वार्ड पंचायत को अधिकार था, उस पर यहां चर्चा हुई। सदन में चर्चा होने के बाद अशोक मेहता रिपोर्ट पर चर्चा हुई।

अशोक मेहता रिपोर्ट पर चर्चा होने के समय आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात सुनने के बाद मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया कि अगर इस पर कोई माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट लाना चाहे तो फिर ला सकते हैं। हम इस बिल को सदन में लायेंगे उस वक्त माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के बाद ही इस पर कार्यवाही होगी। अशोक मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें कुछ परिवर्तन इस बिल में संशोधन करके करना है। लेकिन पिछले सत्र को आपने 9-4-79 को समाप्त कर दिया अचानक ही। फिर आपने बाद में ओर्डिनेंस जारी कर दिया। क्या कारण था आपको आर्डिनेन्स लाने का जब कि सदन का सत्र होने वाला था? ज्यादा समय भी नहीं। अब आपने इस बिल के लिए एक सीलिंग एक घन्टे में पास करने के लिए लगा दी। अब जब कि मध्यावधि चुनाव नजदीक ही होने वाले हैं, सभी को जाना है और आप हरिडली इस बिल को पास कराने में लगे हुए हैं। ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी आपको?

उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी के पहले हफ्ते में हो चुनाव होंगे और मैं समझता हूं कि आप इस बिल पर सदन के माननीय सदस्यों की रबड़ की मोहर एक घन्टे में ही लगवा देना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि माथुर साहब ने इसके लिये समर्थन किया। आप यह भी कहेंगे कि यह काला कानून नहीं है। तो क्या आपने इसको चौपड़ में जिस तरह से भाषण दे कर लोगों से हां या ना कहलवा देते है। उसी तरह कहलाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बाहर चले गये थे।

श्री मूलचन्द डागा : आप कैसे बोल रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को राज्य सरकार इसलिए पास करना चाहती है कि इस प्रकार के संशोधन करने से राज्य कोष पर खर्चा कम होगा। यह रीजन दिया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं तो होने दो। यों आप फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? आप तो इतना बड़ा खर्चा करा कर एम० एल० एज० से ही वोट डलवा कर चुनाव करा लो फिर जनता का वोट क्यों लेते हो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर तो उसमें पंचायत मन्त्री जी के पांच वोट होंगे, ऐसा कर दो।

श्री मूलचन्द डागा : हां ठीक है। पंचायत मन्त्री के पांच या छः वोट कर दो और फिर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जहां पर पहले 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था उसमें आपने अपने लोग लाने के लिए 18 साल

(श्री मूलचन्द डागा)

की व्यवस्था, नगरपालिकाओं के चुनावों में वोट देने का अधिकार देकर आपने प्रावधान कर दिया। अब आपने इतना करने के बाद भी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये।

यहां पर सदन में राज्पाल महोदय ने पांच बार आश्वासन दिया। आज करा रहे रहे हैं। लेकिन अब आप अपने गलत-गलत हथकन्डों से चुनाव करा कर मेजोरिटी लाना चाहते हैं। यह आपने एक नया तरीका निकाल लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने सरपंचों और पंचों का चुनाव इस लिए नहीं लड़ा कि हम तो डाइरेक्ट प्रधानों का चुनाव ही लड़ेंगे। हो सकता है कि सरपंच और पंच बनना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते होंगे। वह अपने आपको प्रधान के ही काबिल समझते हों।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप चर्चा समाप्त करें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के लिये सदन ने समय निर्धारित कर दिया है इसलिए जब तक सदन की सहमति न हो तब तक के लिए इस बिल को एक ही घण्टे में समाप्त करना हैं। यह प्रक्रिया ही रहेगी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय; सदन के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण बिल चल रहा है और इस बिल को जल्दी में राज्य सरकार पास कराना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही आर्डिनेन्स ले आयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलायजेशन इन्स्टीट्यूशन के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसलिए इस बिल पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने हमारी अदम मौजूदगी में ही एक घन्टे का समय इस बिल के लिए निर्धारित कर दिया जो मैं समझता हूं कि सही नहीं किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का मतलब होता है आप, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य। जब सभी मिल कर किसी बात को तय करते हैं तब सदन की सहमति कही जाती है। लेकिन आपने इस बिल के लिए मनमाने ढंग से विरोधी पक्ष की गैर मौजूदगी में ही एक घन्टे का समय तय कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय यह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप इस पर व्यवस्था दें। इस प्रकार ताबड़ तोड़ में राज्य सरकार इस बिल को पास करना चाहती है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, हमें वाक आउट करने का अधिकार है। हम किसी बिल पर वाक आउट कर सकते हैं और सदन की कार्यवाही में आकर बैठ सकते हैं। हमने जब वाक आउट किया उसके बाद में आपको इस बिल के लिये जो समय निर्धारित करना था। उसके लिए हमारा इन्तजार करना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष को कांफिडेन्स में लेना चाहिए। लेकिन बिना विरोधी पक्ष को कांफि-

(श्री रामनारायण चौधरी)

डेंस में लिए ही इस बिल के लिए आपने एक घटा तैयार कर दिया। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष को साथ में नहीं लेकर सदन की कार्यवाही चलाना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता इस डेमोक्रेटिक डीसैंट्रलायजेशन के बिल से प्रभावित होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पूरा एक दिन रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक घन्टे में किस प्रकार से यह बिल आप पास करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय इस बिल के लिये समय निर्धारित करने के लिये मांग उठायी गयी उसके बाद ही सदन द्वारा समय निर्धारित किया गया। सब की सहमति से यह समय तय किया गया। यहां पर उस समय विपक्ष के माननीय सदस्य भी बैठे थे और उस वक्त विपक्ष के माननीय सदस्यों ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी थी।

श्री मूलचन्द डागा : हमने आपत्ति उठायी थी।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है, किसी माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी हो लेकिन जब सदन ने सहमति दी उस समय आपत्ति की आवाज इतनी धीमी थी कि वह सुनाई नहीं नहीं दे सकी। मैं यह नहीं कहता कि किसी ने आपत्ति नहीं उठायी हो। मैं माननीय सदस्यों को इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस बिल पर माननीय सदस्यों ने चर्चा में ज्यादा रुचि दिखायी तो उनकी रुचि के अनुसार समय के लिये संशोधन किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष इसके लिये आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप माननीय सदस्य इस बिल पर जो चर्चा करें वह लिमिटेशन में करें। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बहस को कम समय में समाप्त करें। इसके बाद भी अगर समय कम रहता है तो सदन और समय के लिये स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रथम अवसर है कि जब इस प्रकार की व्यवस्था यहां सदन के द्वारा स्थापित की जाने वाली है। एक घन्टे के अन्दर बहुत मुख्य विधेयक को यहां पारित कराया जायेगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब कांग्रेस शासन था और जब कोशिश की कि यह सात बजे तक बिल पास हो जाये। उस समय मैंने भी विरोधी पक्ष के ऊपर कभी अंकुश नहीं लगाया और न उनकी अभिव्यक्ति को और विचार व्यक्त करने के अधिकार को रोका गया। यह कह रहे हैं कि वाक आउट कर जाओ। किसी इम्पार्टेन्ट विधेयक को कभी आप ध्वनि मत से पारित नहीं कर दें इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)

एक सदस्य को अन्दर बैठा रखा था। वह विरोधी पक्ष में नहीं थे बल्कि हमारे रिप्रे-जेन्टेटिव की तरह थे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि वाक-आउट कर दिया जाये सो हम करने वाले नहीं हैं। हम नहीं करेंगे वाक-आउट। लेकिन हम चेतावनी भी देते हैं कि आप कैसे एक घंटे के अंदर बिल पारित कराते हैं। हमें पूरी बात कहने की स्वतन्त्रता होगी और पूरी बात कहेंगे। एक घन्टे के अन्दर कैसे पास करवा सकते हैं। आखिर इतने इम्पार्टेन्ट बिल पर हमें बोलने का अधिकार है। जब एक काले कानून को तुलनात्मक रूप दे दिया यह तो काली, पीली आंधी की तरह तूफान लाने वाला विधेयक है और उस पर हमारी विचारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। मैं कहूंगा कि सदन में परम्परा स्थापित होने जा रही है जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे।

श्री मथुरा दास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो हिटलर वाली तानाशाही है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी चर्चा कितने समय में समाप्त कर लेंगे? आप सहयोग देना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इस सदन में हमारा कोई सहयोग लेना नहीं चाहता। आप ही बता दें एक घन्टे में कभी हुआ है क्या? इसमें घन्टा लग जाये, सवा घन्टा लग जाये, डेढ़ घन्टा लग जाये, लेकिन तीस सालों में कभी नहीं हुआ। मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, आप ही बता दें कि यह हुआ है? यह तो हुआ है कि अमुक बिल को आज पास कर दिया जाये लेकिन यह नहीं हुआ कि एक घन्टे में कर दिया जाये। कभी एक घन्टे में हुआ नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल चार बिल पास करवाये हैं एक घन्टे के अन्दर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपको याद होगा कि पहले भी जब कभी इम्पार्टेन्ट बिजनेस पर हाउस चलाता था तो रात को दो-दो बजे तक भी हम बैठे हैं और विरोध स्वरूप एक-एक सदस्य भी यहां बैठा रहा है तो भी यहां की बैठक देर रात तक चलती रही है। इसलिए आप जाते जाते यह परम्परा मत डालो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका 20 साल का इतिहास है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनो तो सही। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के नेता और कांग्रेस (यू) के नेता....

श्री मथुरा दास माथुर : हमारा कोई कांग्रेस (यू) नहीं है। इन्डियन नेशनल कांग्रेस है।

(156)

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह दूसरी कौन सी कांग्रेस है ?

श्री मथुरा दास माथुर : वह रजिस्टर्ड है कांग्रेस (आई) और हम रजिस्टर्ड इन्डियन नेशनल कांग्रेस।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अखबारों में (यू) आता है इसलिए कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अखबारों में तो कुछ भी आ जाये। आपके लिए (ऊं) आता है। मैं क्या करूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने दो प्रश्न है। एक नेता महोदय की यह बात कि सदन का समय निर्धारित नहीं किया जाये। सदन का समय निर्धारित करने में दिलचस्पी नहीं थी लेकिन एक बिल में जो कि पुलिस के सम्बन्ध में था, आपने देखा होगा कि 6 घन्टे लगे और 6 घन्टे से ऐसी बातें हो रही हैं कि लगातार रिपिटीशन हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार चलें तो दोनों विधेयक पारित हो सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमने आपके साथ को-आपरेट किया है और कल पांच विधेयक एक घन्टे में पास नहीं हुए थे क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : बैठिये आप गुस्सा करते है तो मेरे पैर कांपने लगते हैं इसलिए आप गुस्सा नहीं किया करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं। यदि आप उचित समझें तो चाहे जितना समय बढ़ा दें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : दोनों आज ही होंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां।

श्री मथुरादास माथुर : फिर तो डिनर मंगवा ले यहीं पर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके लिए भोजन की व्यवस्था करानी हो तो मैं करवा देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समितियों के चुनाव नहीं करवा पायेंगे। लोक सभा में पोल है फिर जल्दी क्या है पास करवाने में ? परसों क्यों नहीं करवाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आर्डिनेन्स है और इसको बिल में परिवर्तित करना है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 9 तारीख का रख लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सब लोगों ने कहा था कि राजस्थान में भयंकर अकाल है और हम जाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सुझाव दे रहा हूं कि 8 तारीख के दिन के लिए रख लें। आज के लेजिस्लेशन को हरिडली मत कीजिए। आप भी थके हुए हैं और हम भी थके हुए हैं। मेरा सुझाव है कि 8 तारीख

(श्री मथुरादास माथुर)

को न एडजर्नमेन्ट मोशन हो और न क्वेश्चन आवर हो और सुबह में बैठ जाओ तीनों बिल पास हो जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन के सभी पक्ष इस बात के लिए सहमत हों····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि आज सदन में यह तय किया था कि जब तक आज की कार्यसूची का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, सदन की कार्यवाही चलेगी और बीच में ही सदन द्वारा यह तय किया गया कि इस बिल पर चर्चा एक घंटे तक सीमित कर दी जाये। शायद सदन की इस समय राय यह है कि इस समय के बंधन को हटा दिया जाये।

क्या सदन इस बात के लिए सहमत है कि एक घंटे की पाबन्दी हटाई जाये।

श्री परसराम मदेरणा : नेता का प्रश्न आया है इसलिए वह स्वतः ही चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि एक घंटे की सीमा हटा दी जाये?

(स्वीकृत)

एक घंटे की जो सीमा लगाई गई थी वह हटा दी गयी है। डागा जी, आप अपनी चर्चा समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करके यह टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल को जल्दी में पास करवाना चाहते हैं····

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत वाले को बाद में रखिये और टिनेन्सी वाले को पहले लाइये। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मैंने कहा था कि टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल बहुत इम्पार्टेन्ट है और आप तीनों बिलों को एक साथ मत लीजिए। इसमें समय लग सकता है लेकिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मेरे निवेदन को अस्वीकार कर दिया। तैश के अन्दर जिस तरह से अभी हाउस में कह रहे थे इसी तरह कहा। इसलिए ऐसा कीजिए कि या तो कल सन्डे को बुला लीजिए या आपको 9 तारीख को बहुत जल्दी का काम हो, स्टेट के इन्ट्रेस्ट में तो कल सन्डे को बैठ सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परसों ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या चाहते हैं? एक बात है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कान्फिडेन्स में नहीं लिया है। सदन के

(158)

(श्री परसराम मदेरणा)

नेता ने अलवर काण्ड के संबंध में जो रिपोर्ट है, उसके संबंध में कहा है कि 8 तारीख को चर्चा करेंगे। मुख्य मन्त्री जी, आप सदन के नेता हैं, सदन में हम भी शामिल हैं। जनतांत्रिक परम्परा है। आपने हमको कान्फिडेन्स में क्यों नहीं लिया। बी. ए. सी. की अवमानना करके यहां अनाऊंस कर दिया, यह कौन सा तंत्र है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : काल अटेन्शन नोटिस था, स्पीकर ने मुझ से पूछा, मैंने कहा ले लीजिये।

परसों के दिन प्रश्नकाल नहीं होगाएडजार्नमेंट मोशन नहीं रहेंगे और तीनों बिल पास होंगे, अगर यह बात मान ली जाये, तो मैं तैयार हूं।

समितियों का गठन
समितियों के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के संबंध में घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

जनलेखा समिति

(1) श्री हनवंत सिंह।
(2) श्री लालशंकर डेडोर।
(3) श्री जगतार सिंह।
(4) श्री नाथूराम।
(5) श्री ओंकारलाल चौहान।
(6) श्री रघुनाथ विश्नोई।
(7) श्री शंकरलाल।
(8) श्री रघुनन्दन व्यास।
(9) श्री नरेन्द्रपाल सिंह।
(10) श्री वृद्धिचंद जैन (161)।
(11) श्री माणकलाल।
(12) श्री गोपाल पचेरवाल।
(13) श्रीमती नारंगी देवी।
(14) श्री हंसराम।
(15) श्री किशनसिंह।

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री हरजीराम बुरड़क।
(2) श्री वृद्धिचंद जैन (162)।
(3) श्री मूलचंद डागा।
(4) श्री रामरघुनाथ चौधरी।
(5) श्री मोहनलाल शर्मा।
(6) श्री नाथूलाल।
(7) श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्रीमती गुणवन्त कुमारी ।

(9) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ।

(10) श्री उगमराज मेहता ।

(11) श्री लालूदास ।

(12) श्री अलदाराम मीणा ।

(13) श्री रामेश्वर दयाल यादव ।

(14) श्री गोरधनलाल गूजर ।

(15) श्री दाताराम ।

प्राक्कलन समिति

(1) श्री सूर्य प्रकाश डोडा ।

(2) श्री शिवकरण बुहाड़िया ।

(3) श्री प्रेम प्रकाश शर्मा ।

(4) श्री नत्थीसिंह ।

(5) श्री टीकमचंद कांत ।

(6) सैयद श्री मंजूर अली ।

(7) श्री जयनारायण सालोदिया ।

(8) श्री मथुरादास माथुर ।

(9) श्रीमती मदन कौर ।

(10) श्री बालकृष्ण थानवी ।

(11) श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

(12) श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ।

(13) श्री माधोसिंह कछवाह ।

(14) श्री नवनीत पालीवाल ।

(15) श्री हरिकिशन ।

(16) श्री कल्याणसिंह सांखला ।

(17) श्री आलम अली खां ।

(18) श्री रामकरण सिंह ।

(19) श्री रामदेवसिंह ।

(20) श्री श्रवणलाल ।

(21) श्री रणजीत सिंह ।

माननीय मन्त्री महोदय श्री महबूब अली को प्रस्ताव रखना था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में जल प्रदाय तथा सीवरेज····

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वापस ले रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बुलेटिन भाग 2, दिनांक 20 सितम्बर, 1979 द्वारा हमको यह सूचित किया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया था कि 4 अप्रैल, 79 को राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था परन्तु सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो जाने एवं तत्पश्चात् सत्रावसान हो जाने से प्रवर समिति के नामों की घोषणा नहीं हो सकने के कारण प्रवर समिति का गठन नहीं हो पाया था। अब उक्त विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव करेंगे। उक्त विधेयक पर यदि कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो उसकी सूचना दिनांक 24 सितम्बर तक दे दें। 24 तारीख को कोई संशोधन आया कि नहीं आया, उसको रखना पड़ेगा। अब यह जो बुलेटिन सर्कुलेट किया गया है, सदन में आने के बाद दिया गया है। मोशन अण्डर रूल 66 प्रवर समिति को सुपुर्द किया है, क्या उसमें संशोधन रखने का समय हमें मिलेगा वह हमारा राइट है। वह विथड्रा करने की बात भी करें तो परसों आ सकता है। पहले सेर्कुलेट करना और फिर विथड्रा की बात करना, यह नियमों के विपरीत है, माननीय नेता महोदय। संशोधन पेश करने का हमारा राईट है, हम संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो रिज्यूलेशन आ रहा है उस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम जी, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा। कोई भी मोशन जब रखा जाता है, उसे विथड्रा करने के बारे में सदन की सहमति ली जाती है। सदन की सहमति से वह विथड्रा किया जा सकता है। अगर वह विथड्रा करना चाहते हैं तो क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : 20 तारीख का बुलेटिन पढ़ रहा हूं उस दिन किसने जानकारी दी थी, मुझ से आज जानकारी चाहते हैं। मैं तो जानकारी मांग रहा हूं आपने जो परम्परा डाली है। पूर्व में जो परम्परा रही है उसी के अनुसार निवेदन करना चाहूंगा। जो 20 तारीख को बुलेटिन निकला है उसकी आखरी तीन लाइनें पढ़ने से स्वतः शंका समाधान हो जाता है। अतः निवेदन है कि उक्त विधेयक पर यदि कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, उसकी सूचना दिनांक 24 सितम्बर, 79 के अपरान्ह 1-00 बजे तक सूचना कार्यालय में देने का कष्ट करें। विधेयक की प्रति दिनांक 17 मार्च, 1979 को आपको वितरित की जा चुकी है। इसलिये कल एक बजे तक और कल की छुट्टी है, परसों एक बजे तक का समय निश्चित तौर पर देना पड़ेगा, यह हमारा राइट है। संशोधन हम प्रस्तुत करना चाहते है। यह बड़ा इम्पार्टेंट मेटर है। यह कोई सरकार है। रूल 66 के अन्दर सरकार ने मोशन रखा और नामों की सूची नहीं दी। वह भूतपूर्व मन्त्री आज डाक्टर साहब नहीं हैं। उन्होंने कन्सीडरेशन का मूव किया ....फिर प्रवर समिति की बात कही। प्रवर समिति के बाद नामों की बात आती है, उससे मुख्य मन्त्री जी आप सहमत नहीं कि नाम दे दें। लेकिन हम तो कभी मुख्य मन्त्री जी से पूछते भी नहीं थे। 9 तारीख को यह पहले आने वाला था लेकिन 4 को विधान सभा स्थगित हो गई और विधान

(श्री परसराम मदेरणा)

सभा को जिस तरह स्थगित कराया उसी का परिणाम था कि अध्यक्ष को प्रधान मन्त्री से मिलना पड़ा और आपके अलोकतांत्रिक कार्य के लिए गवर्नर साहब की धज्जियां उड़ी। आप हमारी तो अवमानना कर ही रहे हैं, उसकी भी कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी से तो आप विरोधी पक्ष के नेता बने, आपको भी तो लाभ मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : अब हमारी इच्छा है आप भी विरोधी पक्ष में आ जायं तो आपको भी लाभ मिलेगा। मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष जी, अब घड़ा भर रहा है और आप शांति रखें, आखिरी दिन हैं इसलिए शांति रखनी ही पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसराम जी ये आंखें दिखाने से मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हम कहां आंख दिखा रहे हैं। मेरी आंख थोड़ी बड़ी है तो दिखेगी। यह जो अभी प्रस्ताव रखने जा रहे हैं उसमें मेरा यही निवेदन है कि सदन के नेता प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। कल एक बजे तक के लिए हमें समय दिया जाय और चूंकि कल छुट्टी है इसलिए परसों तक समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी कोई जानकारी देना चाहेंगे तो जानकारी ले लेंगे कि ऐसे विद्ड्राल के मोशन पर क्या संशोधन हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सचिवालय के द्वारा जानकारी दी गई कि विदड्राल पर मोशन दे सकते हैं और जो भी नियम होते हैं वे सदन से वापस भी किये जाते हैं तो विथड्रा के मोशन पर क्या हो सकता है, जानकारी दें। मैं कम से कम यह अपेक्षा करूंगा कि आप क्या संशोधन मूव कर सकते हैं और संशोधन क्या हो सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संशोधन थे, तभी तो लिखा है और जो आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की बात करते हैं तो फिर हमको रात्रि में पढ़ने के लिए समय दिया जाय। मैंने आज ही प्रोसीजर एण्ड प्रैक्टिस इन पार्लियामेंट की पुस्तक जो कौल और शकधर की लिखी हुई है खरीदी है। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आप गौर कर लेना बहुत ठण्डे दिमाग से ···

श्री मदन सिंह दांता : आंखें नीची करके।

श्री परसराम मदेरणा : आंखों-वाखों से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा बिल जिसमें 65 क्लाजेज हैं। ऐसा बिल पूर्व में जब कभी पारित हुआ है तो पांच दिन से पहले नहीं हुआ। आप ही केवल ऐसा कर रहे हैं कि पूरे हाऊस के बिजनेस को एक-दो दिन चला कर समाप्त करना चाहते हैं। हम भी समझते हैं, बहुत आवश्यक है कार्पोरेशन बनाना, कार्पोरेशन तो आप ···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डिनेन्स भी बना सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सही है, आर्डिनेन्स के जरिये बना सकते हैं अगर आपको इतना जरूरी है। आपने पिछले सैशन में भी कहा था कि एक-दो दिन में पास होना जरूरी है और आर्डिनेन्स को आप लैप्स करवा रहे हैं, यह भी परम्परा पहले नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और माथुर साहब यह चाहते हैं कि यहां पास नहीं करें और आर्डिनेन्स इश्यू कर दें, तो आप वैसे बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : यह 65 क्लाजेज का जो बिल है उसको आप एक दिन में पास करवाना चाहते हैं तो पहले सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें ...

एक माननीय सदस्य : वर्ल्ड बैंक का भी तो मामला उलझा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : यह कोई नया मामला नहीं है वर्ल्ड बैंक तो दो साल से है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह प्रश्न उपस्थित किया गया था और हमने निवेदन किया था कि यह पिछले सत्र में इन्ट्रोड्यूस किया गया था और इसको सलेक्ट कमेटी में मूव करने के लिए प्रस्ताव रखा था लेकिन 9 तारीख को यह बिल नहीं रखा जा सका, क्योंकि विधान सभा का सत्र 4 तारीख को ही स्थगित हो गया था इसलिए इस सत्र में इस विधेयक को पास करना पड़ेगा। इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव था, उसको मैं वापस ले रहा हूं और मैं इसलिए कर रहा हूं जैसा कि आपको मालूम है यह कानून वर्ल्ड बैंक के सामने रखने वाले हैं। हम वर्ल्ड बैंक से 120 करोड़ का समझौता कर रहे हैं जिससे राजस्थान में पानी के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाय। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को यह भी पता है कि वर्ल्ड बैंक की टीम बार-बार प्रैस कर रही है कि यह पास किया जाय। वर्ल्ड बैंक के सामने यदि कोई प्रोजेक्ट रखते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि इस प्रकार का कानून वर्ल्ड बैंक के सामने रखें। अभी वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी और हमने कहा कि यह विधान सभा में रखा हुआ है। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करता लेकिन परिस्थितियां इसी प्रकार की हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आर्डिनेन्स था जिसकी चर्चा में ही पांच घण्टे लग गये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप इस पर विस्तार से चर्चा करें। मैं माननीय माथुर साहब को, माननीय मदेरणा साहब को, बाकी के माननीय सदस्यों को जो दिलचस्पी रखते हैं कि कोई संशोधन रखने चाहिये तो कल विधान सभा का सत्र तो नहीं है परन्तु अन-आफिसियली जो भी संशोधन प्रस्तावित करना चाहें वह कर दें ताकि उसके बाद एक एग्रीड फार्मूला हाउस में पेश कर दें और जो डेपूटेड मामले हैं, उन पर चर्चा कर लें ताकि यह बिल सत्र में पास हो जाय और यह कानून हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वर्ल्ड बैंक को दे दें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की जनता के हित में ही होगा और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, आपके मकान पर आ सकता हूं यहां भी आ सकता हूं, मदेरणा साहब के घर पर भी बैठ सकते हैं····

श्री मथुरादास माथुर : अपने मकान पर ही बुलाओ, हमारे घर पर क्यों, और चाय-नाश्ता का इन्तजाम कर लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मैं कल 11-00 बजे का समय सैक्रेटेरियट का निश्चित करता हूं, जो भी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हों वे आ जायं और उसके बाद एक एग्रीड फार्मूला हाउस में आ जाय और हाउस बाद में निर्णय कर लेगा। इसलिए मैं मूव कर रहा हूं आपकी आज्ञा से और आपके सहयोग से····

श्री परसराम मदेरणा : हमारी कल कोई मीटिंग रखी हुई है साढ़े दस बजे इसलिए····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3-00 बजे रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे सलेक्ट कमेटी का रेफरेंस हैं, आप अपनी चेयरमैनशिप में मिनिस्टर कन्सर्न को साथ लेकर बैठ जायं और आपकी रिपोर्ट परसों पेश हो जाय····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें सलेक्ट कमेटी का रेफरेन्स होने से मुश्किल होगी। यह रूल्स की किताब है। सलेक्ट कमेटी के नाम नहीं दिये जाय तब तक वह प्रोसीजर इन-कम्पलीट होगा। सलेक्ट कमेटी में 10-20 मैम्बर होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधान सभा के जो भी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, वे कल सचिवालय पर आ जायं, मैं उनका स्वागत करूंगा····

श्री मथुरादास माथुर : आप दरवाजे पर स्वागत मत करना, अपने कमरे में इन्तजाम कर देना खाने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज विधेयक, 1979 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वापस लेता हूं।

कार्य सूची का निर्धारण

विधान सभा की बैठक दिनांक 8 अक्टूबर, 1979 के लिए कार्य सूची का निर्धारण

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायी कार्य का क्रम होगा, ये जो दो बिल रह गये हैं उनको कार्य-सूची में पहले लेंगे। कई माननीय सदस्यों को शंका है कि टिनेंसी बिल को पास नहीं कराना चाहते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह शंका आपसे है, मेरे से शंका नहीं है, आप पर शंका है, मुझ पर नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने उन से मिल कर जो घपला किया है वह मुझे मालूम है लेकिन बात यह है कि ये उसी क्रम में आने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि 8 तारीख के लिए क्वेश्चन आवर और एडजोर्नमेंट मोशन नहीं रखे जावें और आज जो बिलों का क्रम है उसी आर्डर में रखे जावें?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार 8 तारीख की कार्य सूची तद्नुसार बनाई जावे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये तीनों बिल आयेंगे साहब।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : काल अटेंशन मोशन भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि यह कार्यक्रम जो आज लेजिस्लेशन का किया गया है उसके अनुसार आठ तारीख की कार्य सूची बनाई जाय?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

सदन की आज की बैठक परसों 8 तारीख को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि को 9.00 बजे, सोमवार, दिनांक 8 अक्टूबर, 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)